आई पी एल
IPL

# ANNUAL REPORT

## 2024-25

# IIFCL PROJECTS LIMITED

## आई आई एफ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(A Wholly Owned Subsidiary of IIFCL,
A Government of India Enterprise)
आई.आई.एफ.सी.एल. (भारत सरकार का एक उपक्रम)
के पूर्ण स्वामित्व वाली संबद्ध कंपनी)

# विषय सूची


| | |
|---|---|
| कंपनी प्रोफाइल | 1 |
| वार्षिक आम बैठक की सूचना | 4 |
| निदेशक की रिपोर्ट | 16 |
| स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | 34 |
| कंपनी तुलन पत्र | 54 |
| कंपनी की लाभ और हानि का विवरण | 56 |
| कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट | 58 |
| गिफ्ट सिटी शाखा स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | 114 |
| गिफ्ट सिटी शाखा तुलन पत्र | 120 |
| गिफ्ट सिटी शाखा की लाभ और हानि का विवरण | 122 |
| गिफ्ट सिटी शाखा की नकदी प्रवाह का विवरण | 124 |
| भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां | 148 |


# CONTENTS


| | |
|---|---|
| Company Profile | 1 |
| Notice of Annual General Meeting | 5 |
| Director's Report | 17 |
| Independent Auditor's Report | 35 |
| Company Balance Sheet | 55 |
| Company Statement of Profit and Loss | 57 |
| Company Statement of Cash Flows | 59 |
| Gift City Branch Independent Auditor's Report | 115 |
| Gift City Branch Balance Sheet | 121 |
| Gift City Branch Statement of Profit and Loss | 123 |
| Gift City Branch Statement of Cash Flows | 125 |
| Comments of the Comptroller and Auditor General of India | 149 |


**वैधानिक लेखा परीक्षक**

मैसर्स सहगल मेहता एंड कंपनी

भूतल 14/35, वेस्ट ब्लॉक, 14,

ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली–110008

**पंजीकृत कार्यालय**

5वीं मंजिल, प्लेट–ए, एनबीसीसी टॉवर,

प्रखंड–2, किदवई नगर

(पूर्व), नई दिल्ली–110023

फोन: 011–23445100

www,iifclprojects.com

सीआईएन: U74999DL2012GOI231473

**बैंकर्स**

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

**Statutory Auditors**

M/s. Sehgal Mehta & Company

Basement 14/35, West Block, 14,

East Patel Nagar, Delhi-110008

**Registered Office**

5th Floor, Plate-A, NBCC Tower,

Block-2, Kidwai Nagar

(East), New Delhi-110023

Phone: 011-23445100

www.iifclprojects.com

CIN: U74999DL2012GOI231473

**Bankers**

IDBI Bank Limited

# Parent & Group Companies

2006

INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LIMITED

IIFCL

**PARENT COMPANY**
**India Infrastructure Finance Company Ltd (IIFCL)**

IIFCL, a Government of India enterprise, provides long-term financial assistance to viable infrastructure projects through the Scheme for Financing Viable Infrastructure Projects (SIFTI)

**GROUP COMPANY 1**
**IIFC (UK) Limited**

Foreign Currency Loans to Infra projects in India for import of Capital Goods based in London, United Kingdom.

2008

India Infrastructure Finance Company (UK) Limited

IIFC(UK) (A wholly owned subsidiary of IIFCL)

2012

IAMCL

**GROUP COMPANY 2**
**IIFCL Asset Management Co. Ltd.**
**Infrastructure Debt Fund (IDF)**

To provide cost effective, long term alternative source of finance to Infrastructure projects in India, through mutual fund route.

# IIFCL PROJECTS LIMITED (IPL) AT A GLANCE

IPL is a dedicated project advisory company adding value in the areas of project appraisal, syndication, transaction advisory, and infrastructure consultancy services.

## Mandate:

- To assist, advise and promote infrastructure development by way of advisory and development management services to infrastructure projects.
- To act as a nodal agency for Identification, appraisal, development and establishment of infrastructure projects and facilities in India or outside India

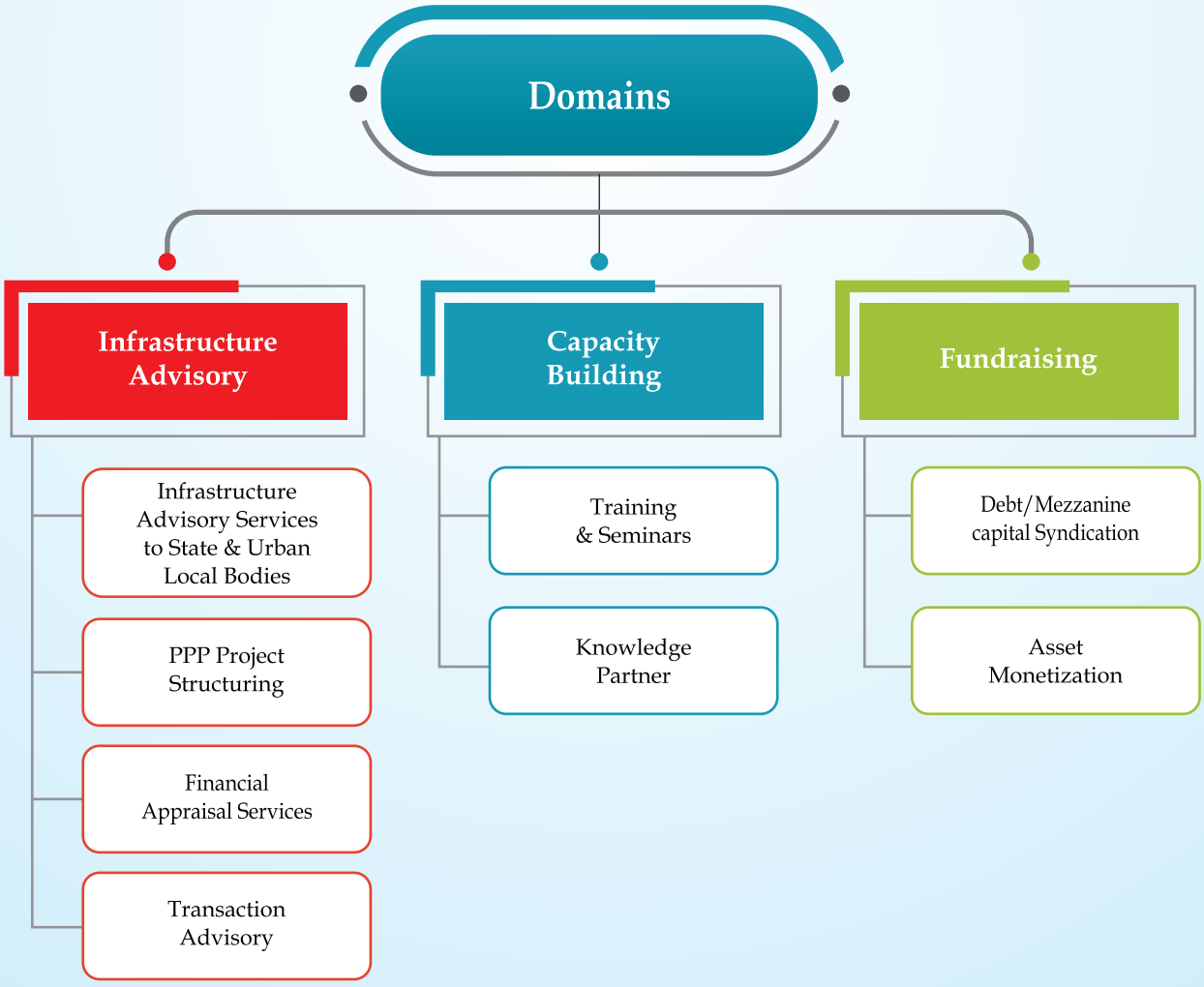

## Wholly owned subsidiary of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)

Realizing the importance of identifying and conceptualizing good bankable infrastructure projects and attracting private capital, IIFCL, in Feb 2012, established IPL, as completely owned subsidiary, to leverage its domain expertise for providing project advisory services including project appraisal and syndication services.

Acting as a dedicated **Financial & Infrastructure Advisory Company,** IPL extends advisory support to the Central / State/ Local Governments & its bodies, Project Developers and Investors on the needs and priorities of infrastructure, impediments, policy, financing issues.

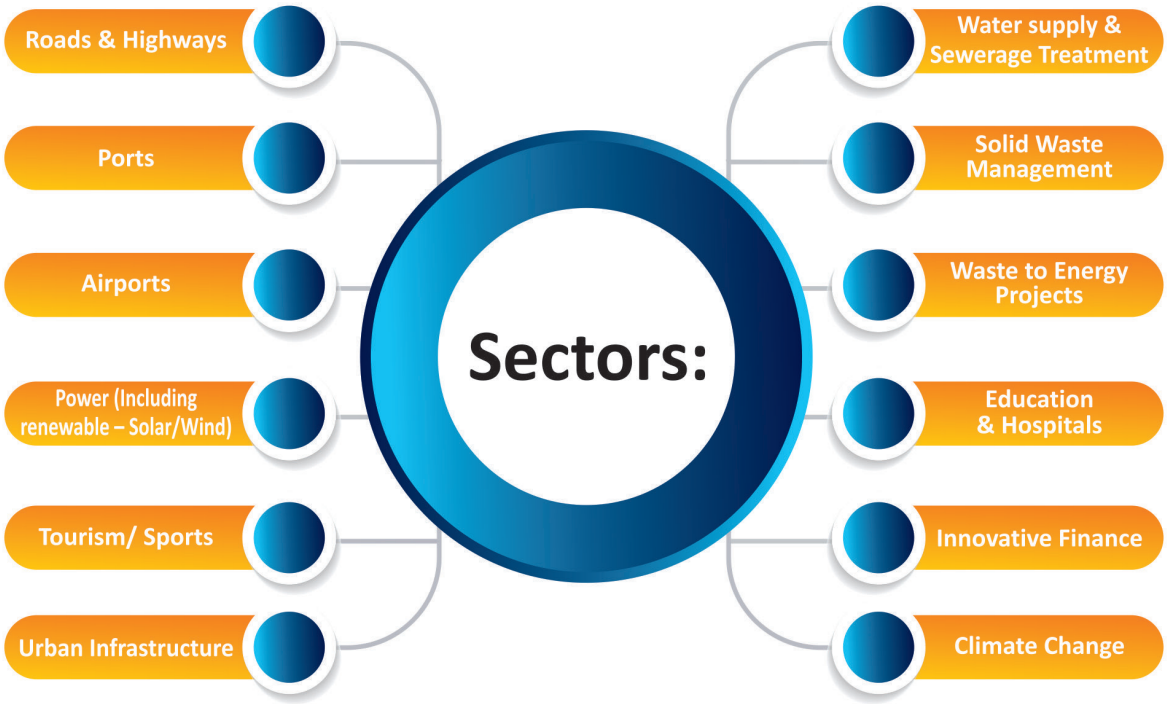


## Our Footprint

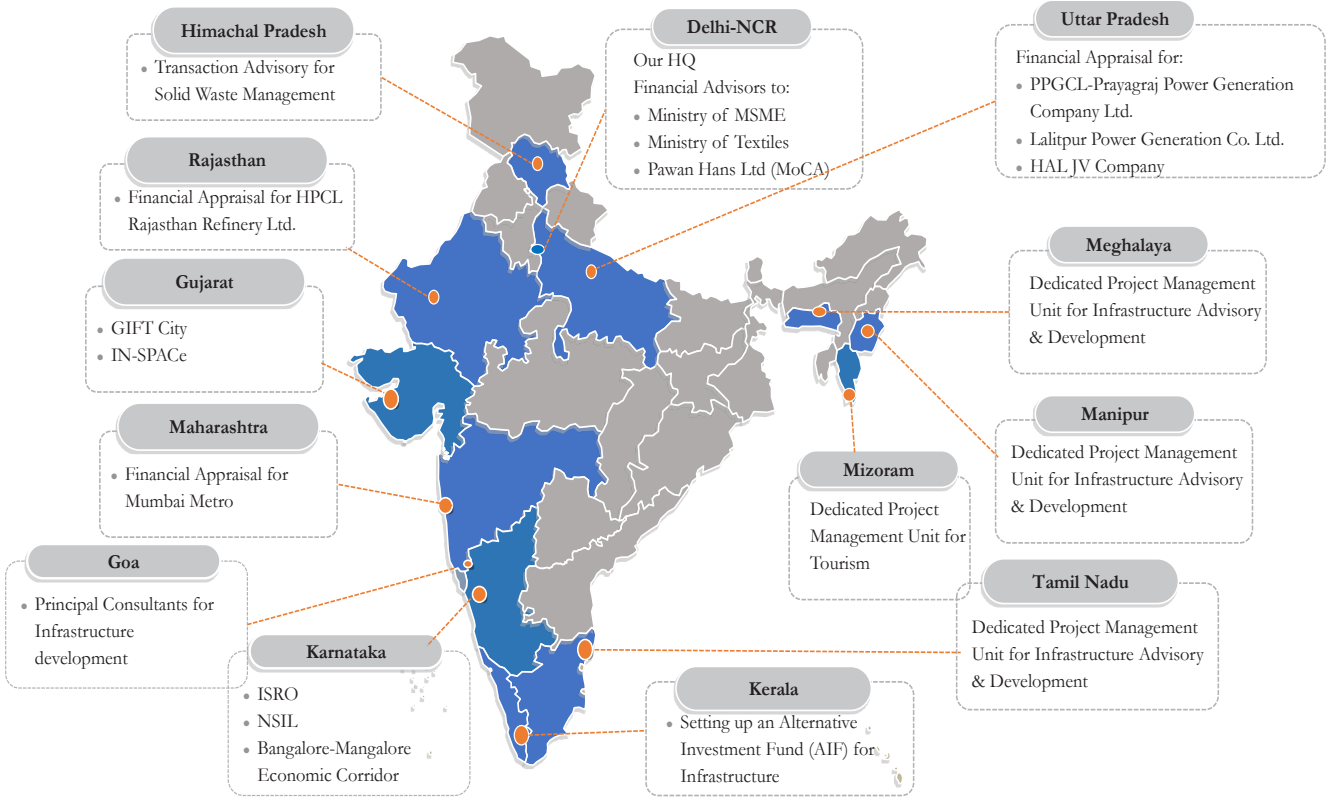

# OUR BOARD OF DIRECTORS

**Shri Palash Srivastava**

(Director & Chairman)

**Shri Ashwani Kumar Aggarwal**

(Director & CEO)

**Shri Raj Kumar Ralhan**

(Nominee Director)

**Shri Gaurav Kumar**

(Nominee Director)

**Shri Arvind Kumar Jain**

(Independent Director)

# आई.आई.एफ.सी.एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
# वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा संक्षिप्त सूचना दी जाती है कि आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के सदस्यों की तेरहवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 को अप. 12.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बोर्ड रूम, 5वां तल, प्लेट–ए, एनबीसीसी टॉवर, ब्लॉक–2, किदवई नगर (ईस्ट), नई दिल्ली–110023 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर विचार–विमर्श किया जाएगा:

## साधारण व्यवसाय:

1. निदेशकों की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2025 के लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त अवधि के लाभ तथा हानि लेखा विवरण को प्राप्त करना, उस पर विचार करना, अनुमोदन करना और उसे अपनाना।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुपालन में, एक सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) द्वारा नियुक्त या पुनः नियुक्त किए जाने होते है, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किया जाना होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 12 सितंबर, 2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कम्पनी के सांवधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स सहगल मेहता एंड कं.., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया है।

   सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करें तथा यदि उचित समझें तो, आवश्यक संशोधनों सहित या बिना संशोधन के, इसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करें:

   "संकल्प किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की संस्तुति के अनुसार, कंपनी द्वारा मेसर्स सेहगल मेहता एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ख्कर्म पंजीकरण सं. एफआरएन डीई044एन,, को वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा उनका पारिश्रमिक ₹ 75,000/– (केवल पचहत्तर हजार रुपये) निर्धारित किया जाता है।"

## विशेष व्यवसाय:

3. **श्री पलाश श्रीवास्तव (डीआईएनः 02007911) की कंपनी के निदेशक (अध्यक्ष एवं गैर–कार्यकारी) के रूप में निदेशक पद की नियमितीकरण।**

   निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि ठीक समझा जाए तो, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

   **"संकल्प किया गया है कि –**

   क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 एवं 161 तथा अन्य लागू प्रावधानों (समय–समय पर प्रभावी किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनःअधिनियमन सहित), इसके अंतर्गत बनाए गए लागू नियमों तथा कंपनी के अंतर्नियम के साथ पठित किए जाने पर, श्री पलाश श्रीवास्तव (डीआईएनः 02007911), जिनका पदनाम 25 जुलाई, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक (अध्यक्ष एवं गैर–कार्यकारी) के रूप में परिवर्तित किया गया था, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक (अध्यक्ष एवं गैर–कार्यकारी) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

   ख) एतद्द्वारा कंपनी के सभी निदेशकों को पृथक–पृथक रूप से इस प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति जारी करने तथा उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सभी कार्य, विलेख एवं औपचारिकताएँ पूर्ण करने, तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष आवश्यक प्रपत्र एवं रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अधिकृत किया जाता है''।

4. **श्री अश्वनी कुमार अग्रवाल (डीआईएनः 01213327) की कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में निदेशक पद की नियमितीकरण।**

   निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि ठीक समझा जाए तो, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

# IIFCL PROJECTS LIMITED
# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Shorter Notice is hereby given that the Thirteenth Annual General Meeting of the members of IIFCL Projects Limited will be held on Friday, 26th September 2025 at 12.00 P.M. at registered address of the Company at Board Room, 5th Floor, Plate - A, NBCC Tower, Block - 2, Kidwai Nagar (East), New Delhi,110023, to transact the following businesses:

## ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider, approve, and adopt the audited Balance Sheet as at March 31, 2025, and Statement of Profit and Loss Account for the year ended on that date, together with the reports of the Directors and the Auditors thereon.

2. Pursuant to Section 139(5) of Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are to be appointed or re-appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the Financial Year 2025-26 and in terms of Section 142(1) of the Companies Act, 2013, their remuneration has to be fixed by the Company in Annual General Meeting. The C&AG vide its letter dated September 12, 2025, appointed M/s Sehgal Mehta & Co., Chartered Accountants, as Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2025-26.

   The members are requested to consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

   **"RESOLVED THAT** the Company hereby appoints M/s Sehgal Mehta & Co., Chartered Accountants [Firm Registration No. FRN DE044N], as Statutory Auditors of IIFCL Projects Limited for the financial year 2025-26, as recommended by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) and fixes the remuneration at Rs. 75,000/- (Rupees Seventy-Five Thousand Only)."

## SPECIAL BUSINESS:

3. **REGULARIZATION OF DIRECTORSHIP OF SHRI PALASH SRIVASTAVA (DIN: 02007911) AS A DIRECTOR (CHAIRMAN & NON-EXECUTIVE) OF THE COMPANY.**

   To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

   **"RESOLVED THAT** –

   a) Pursuant to the provisions of Section 152, 161 and other applicable provisions (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), if any, of the Companies Act, 2013, read with the applicable rules made thereunder and the Articles of Association of the Company, Shri Palash Srivastava (DIN: 02007911) whose designation was changed as an Additional Director (Chairman & Non-Executive) on the Board of the Company with effect from July 25, 2025, be and is hereby appointed as a Director (Chairman & Non-Executive) of the Company.

   b) All the directors of the Company, be and are hereby authorized severally to issue a certified copy of the resolution and to do all such acts, deeds, and things which are necessary to give effect to the above said resolution and to file necessary forms and returns with Registrar of Companies and such other authorities, as required from time to time".

4. **REGULARIZATION OF DIRECTORSHIP OF SHRI ASHWANI KUMAR AGARWAL (DIN: 01213327) AS A WHOLE-TIME DIRECTOR OF THE COMPANY.**

   To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

   **"RESOLVED THAT** –

   a) Pursuant to the provisions of Section 152, 161, 196 and other applicable provisions (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), if any, of the Companies Act, 2013, read with the applicable rules made thereunder, Schedule V and the Articles of Association of the Company, Shri Ashwani Kumar Agarwal (DIN: 01213327) whose designation was changed as an Additional Director

**"संकल्प किया गया है कि –**

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 161, 196 तथा अन्य लागू प्रावधानों (समय–समय पर प्रभावी किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनःअधिनियमन सहित), इसके अंतर्गत बनाए गए लागू नियमों तथा कंपनी के अंतर्नियम के साथ पठित किए जाने पर, 4ण श्री अश्वनी कुमार अग्रवाल (डीआईएनः 01213327), जिनका पदनाम 25 जुलाई, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक (कार्यकारी) के रूप में परिवर्तित किया गया था, को एतद्द्वारा कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ख) एतद्द्वारा कंपनी के सभी निदेशकों को पृथक–पृथक रूप से इस प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति जारी करने तथा उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सभी कार्य, विलेख एवं औपचारिकताएँ पूर्ण करने, तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष आवश्यक प्रपत्र एवं रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अधिकृत किया जाता है''।

**5. श्री अरविंद कुमार जैन (डीआईएनः 07911109) की कंपनी के गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में निदेशक पद की नियमितीकरण।**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि ठीक समझा जाए तो, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करनाः

**"संकल्प किया गया है कि –**

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 150, 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों (समय–समय पर प्रभावी किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनःअधिनियमन सहित), इसके अंतर्गत बनाए गए लागू नियमों, अनुसूची–प्ट तथा कंपनी के अंतर्नियम के साथ पठित किए जाने पर, श्री अरविंद कुमार जैन (डीआईएनः 07911109), जिन्हें 24 जनवरी, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक (गैर–कार्यकारी एवं स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त किया गया था, को एतद्द्वारा कंपनी के गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करने हेतु नियुक्त किया जाता है।

ख) एतद्द्वारा कंपनी के सभी निदेशकों को पृथक–पृथक रूप से इस प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति जारी करने तथा उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सभी कार्य, विलेख एवं औपचारिकताएँ पूर्ण करने, तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष आवश्यक प्रपत्र एवं रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अधिकृत किया जाता है''।

बोर्ड के आदेशानुसार

हस्ता/–
**अश्वनी कुमार अग्रवाल**
डीआईएनः 01213327
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26.09.2025

(Executive) on the Board of the Company with effect from July 25, 2025, be and is hereby appointed as a Whole Time Director (Executive) of the Company.

b) All the directors of the Company, be and are hereby authorized severally to issue a certified copy of the resolution and to do all such acts, deeds, and things which are necessary to give effect to the above said resolution and to file necessary forms and returns with Registrar of Companies and such other authorities, as required from time to time".

**5. REGULARIZATION OF DIRECTORSHIP OF SHRI ARVIND KUMAR JAIN (DIN: 07911109) AS A NON-EXECUTIVE INDEPENDENT DIRECTOR OF THE COMPANY.**

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

**"RESOLVED THAT** –

a) Pursuant to the provisions of Section 149, 150, 152 and other applicable provisions (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), if any, of the Companies Act, 2013, read with the applicable rules made thereunder, Schedule IV and the Articles of Association of the Company, Shri Arvind Kumar Jain (DIN: 07911109) who was appointed as an Additional Director (Non-Executive & Independent) on the Board of the Company with effect from January 24, 2025, be and is hereby appointed as a Non-Executive Independent Director of the Company to hold office for a term of 3 consecutive years.

b) All the directors of the Company, be and are hereby authorized severally to issue a certified copy of the resolution and to do all such acts, deeds, and things which are necessary to give effect to the above said resolution and to file necessary forms and returns with Registrar of Companies and such other authorities, as required from time to time".

By order of the Board

Sd/-

**Ashwani Kumar Agarwal**

DIN: 01213327

Director & CEO

Place: New Delhi

Date: 26.09.2025

## टिप्पणियां:

1. कोई सदस्य जो बैठक में भाग लेने एवं वोट देने का पात्र है, वह स्वयं के बदले किसी प्रॉक्सी को बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए नियुक्त कर सकता है तथा प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी की नियुक्ति करते हुए इंस्ट्रूमेंट को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराना होगा।
2. बैठक में भाग लेने के लिए भेजी जा रही उपस्थिति पर्ची सदस्यों/प्रॉक्सी द्वारा विधिवत् भरकर अपने साथ लानी चाहिए।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अंतर्गत रखा जाने वाला निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर बैठक में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखा जाने वाला संविदा रजिस्टर, जैसा प्रस्तावों तथा अथवा व्याख्यात्मक विवरणों में उल्लिखित है, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
5. भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना कंपनी को दें। सदस्यों को अपने पत्राचार के दौरान अपने फोलियो नम्बर का उल्लेख करना चाहिए।

---

# कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

## मद सं.: 3

श्री पलाश श्रीवास्तव (डीआईएनः 02007911) कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे, जिनका पदनाम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से 6 मार्च, 2025 को प्राप्त ईमेल सूचना के अनुपालन में, आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल) की 62वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 से नामित निदेशक के रूप में परिवर्तित किया गया।

इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल) को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से दिनांक 4 जुलाई, 2025 का एक अन्य ईमेल भी प्राप्त हुआ, जिसमें श्री पलाश श्रीवास्तव के पदनाम को कंपनी (आईपीएल) के अध्यक्ष एवं निदेशक के रूप में परिवर्तित किए जाने की सूचना दी गई। इसके अनुपालन में, निदेशक मंडल ने अपनी 64वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया कि उनका पदनाम 25 जुलाई, 2025 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक (अध्यक्ष एवं गैर–कार्यकारी) के रूप में परिवर्तित किया जाए, जो आगामी वार्षिक साधारण सभा के समापन तक पद धारण करेंगे, यह नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा कंपनी के उपनियमों के अनुरूप है। उक्त 64वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल ने यह भी निर्णय लिया कि आगामी वार्षिक साधारण सभा में उनके अध्यक्ष एवं नियमित निदेशक (गैर–कार्यकारी) के रूप में नियुक्ति हेतु एक प्रस्ताव शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अतः कंपनी का निदेशक मंडल वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा स्वीकृति हेतु मद संख्या 3 में उल्लिखित प्रस्ताव को अपनाए जाने की अनुशंसा करता है।

प्रस्तावित प्रस्ताव के संबंध में श्री पलाश श्रीवास्तव (डीआईएनः 02007911) को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक तथा उनके संबंधियों का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई हित या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल अनुशंसा करता है कि मद संख्या 3 के अंतर्गत प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाए।

## मद सं.: 4

श्री अश्वनी कुमार अग्रवाल (डीआईएनः 01213327) 27 सितंबर, 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में नामित निदेशक के रूप में कार्यरत थे।

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल) को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से दिनांक 4 जुलाई, 2025 का एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें श्री अश्वनी कुमार अग्रवाल के पदनाम को कंपनी (आईपीएल) के पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परिवर्तित किए जाने की सूचना दी गई। इसके अनुपालन में, निदेशक मंडल ने अपनी 64वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया कि उनका पदनाम 25 जुलाई, 2025 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक (कार्यकारी) के रूप में परिवर्तित किया जाए, जो आगामी वार्षिक साधारण सभा के समापन तक पद धारण करेंगे, यह नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा कंपनी के उपनियमों के अनुरूप है। उक्त 64वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल ने यह भी निर्णय लिया कि उन्हें 30 मई, 2025 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप

## Notes:

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF, AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. THEINSTRUMENT APPOINTING A PROXY SHOULD, HOWEVER, BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY, NOT LESS THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.
2. Members/proxies should bring duly filled Attendance Slips sent herewith to attend the meeting.
3. The Register of Directors' Shareholding, maintained under section 170 of the Companies Act, 2013, will be available for inspection by the members at the meeting.
4. The Register of Contracts, maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013, and all documents as mentioned in the resolutions and or explanatory statement will be available for inspection by the members at the registered officeof the Company.
5. Members holding shares in physical form are requested to notify the change in their address to the Company. Members should quote their folio numbers in thecorrespondence.

---

# EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

## ITEM NO.: 3

Shri Palash Srivastava (DIN: 02007911) was serving as the Executive Director on the Board of the Company, whose designation was changed to the Nominee Director w.e.f. April 3, 2025, in the 62nd Board Meeting of IIFCL Projects Limited (IPL), pursuant to an email notification dated March 6, 2025, received from India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL).

Further, IPL had received another email notification dated July 4, 2025, from India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), regarding the change in designation of Shri Palash Srivastava to Chairman & Director of the Company (IPL). In pursuance of which, the Board of Directors in their 64th Board Meeting resolved to change his designation as an Additional Director (Chairman & Non-Executive) of the Company w.e.f. July 25, 2025, to hold office up to the conclusion of the ensuing Annual General Meeting, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, and Articles of Association of the Company. The Board also resolved in the said 64th Board Meeting to move a resolution for his appointment as Chairman and Regular Director (Non-Executive) before the shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

Hence, the Board of Directors of the Company recommends a resolution at item no. 3 for adoption by members of the Company in the Annual General Meeting.

None of the Directors, and their relatives, except Shri Palash Srivastava (DIN: 02007911), is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the proposed resolution.

The Board recommends resolution under item No. 3 be passed as an ordinary resolution.

## ITEM NO.: 4

Shri Ashwani Kumar Agarwal (DIN: 01213327) was serving as the Nominee Director on the Board of the Company, w.e.f. September 27, 2024.

IIFCL Projects Limited (IPL) had received an email notification dated 4th July 2025 from India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), regarding the change in designation of Shri Ashwani Kumar Agarwal to Whole Time Director and CEO of the Company (IPL). In pursuance of which, the Board of Directors in their 64th Board Meeting resolved to change his designation as an Additional Director (Executive) of the Company w.e.f. July 25, 2025, to hold office up to the conclusion of the ensuing Annual General Meeting, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, and Articles of Association of the Company. The Board also resolved in the said 64th Board Meeting to appoint him as CEO w.e.f. May 30, 2025, and to move a resolution for the regularization of his directorship from Additional Director to Whole-time Director before the shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

में नियुक्त किया जाए तथा आगामी वार्षिक साधारण सभा में उनके अतिरिक्त निदेशक से पूर्णकालिक निदेशक के रूप में निदेशक पद के नियमितीकरण हेतु एक प्रस्ताव शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अतः कंपनी का निदेशक मंडल वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा स्वीकृति हेतु मद संख्या 4 में उल्लिखित प्रस्ताव को अपनाए जाने की अनुशंसा करता है।

प्रस्तावित प्रस्ताव के संबंध में श्री अश्वनी कुमार अग्रवाल (डीआईएनः 01213327) को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक तथा उनके संबंधियों का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई हित या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल अनुशंसा करता है कि मद संख्या 4 के अंतर्गत प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाए।

## मद सं.: 5

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल ने अपनी 146वीं बैठक, जो 18 दिसंबर, 2024 को आयोजित हुई, में आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल) में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति संबंधी नीति के अनुसार, श्री अरविंद कुमार जैन की नियुक्ति की अनुशंसा की, जो 3 वर्ष की अवधि के लिए तथा अधिकतम 2 कार्यकाल तक होगी।

उक्त अनुशंसा के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के अनुसार, श्री अरविंद कुमार जैन (डीआईएनः 07911109) को 24 जनवरी, 2025 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक (गैर–कार्यकारी एवं स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त किया, जो आगामी वार्षिक साधारण सभा के समापन तक पद धारण करेंगे।

अब निदेशक मंडल प्रस्ताव करता है कि श्री अरविंद कुमार जैन की नियुक्ति को कंपनी के गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में 3 वर्ष की अवधि हेतु, 24 जनवरी, 2025 से 23 जनवरी, 2028 तक, नियमित किया जाए तथा सदस्यों की स्वीकृति हेतु सूचना के मद संख्या 5 में उल्लिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया जाता है।

निदेशक मंडल ने श्री अरविंद कुमार जैन की प्रोफ़ाइल, योग्यता एवं अनुभव का अवलोकन करने के उपरांत यह संतोष व्यक्त किया है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित शर्तों को पूर्ण करते हैं। नियुक्त व्यक्ति के पास व्यापक अनुभव, उच्च स्तर की ईमानदारी तथा पेशेवर विशेषज्ञता है, जो निदेशक मंडल की विचार–विमर्श प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके संबंधियों का, श्री अरविंद कुमार जैन को छोड़कर, इस प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई हित या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल सूचना के मद संख्या 5 में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित किए जाने की अनुशंसा करता है।

Hence, the Board of Directors of the Company recommends resolution at item no. 4 for adoption by members of the Company in the Annual General Meeting.

None of the Directors, and their relatives, except Shri Ashwani Kumar Agarwal (DIN: 01213327), is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the proposed resolution.

The Board recommends resolution under item No. 4 be passed as an ordinary resolution.

## ITEM NO.: 5

The Board of directors of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) in its 146th Meeting held on December 18, 2024, recommended the appointment of Shri Arvind Kumar Jain for a tenure in terms of the policy of appointment of Independent Directors in IIFCL Projects Limited (IPL), i.e., for a period of 3 years and a maximum of 2 terms.

In pursuance of the said recommendation, the Board of Directors of the Company appointed Shri Arvind Kumar Jain (DIN: 07911109) as an Additional Director (Non-Executive & Independent) of the Company with effect from January 24, 2025, in accordance with the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 to hold office up to the conclusion of the ensuing Annual General Meeting.

The Board now proposes to regularize the appointment of Shri Arvind Kumar Jain as a Non-Executive Independent Director of the Company for a term of 3 years commencing from January 24, 2025, up to January 23, 2028, and recommends the resolution as set out at Item No. 5 of the Notice for approval of the members by way of ordinary resolution.

The Board, after reviewing the profile, qualifications, and experience of Shri Arvind Kumar Jain, is satisfied that he fulfills the conditions for appointment as an Independent Director as laid down under the Companies Act, 2013. The appointee possesses extensive experience, high standards of integrity, and professional expertise that will add significant value to the Board's deliberations.

None of the Directors of the Company, Key Managerial Personnel, or their relatives, except Shri Arvind Kumar Jain himself, is in any way concerned or interested, financially or otherwise, in this resolution.

The Board recommends passing of the Ordinary Resolution at Item No. 5 of the Notice.

अनुबंध I

**भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक–2 के अनुसार, नियुक्त/पुनर्नियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित निदेशकों से संबंधित विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:**

| निदेशक का नाम (डीआईएन) | श्री पलाश श्रीवास्तव (डीआईएन: 02007911) | श्री अश्वनी कुमार अग्रवाल (डीआईएन: 01213327) | श्री अरविंद कुमार जैन (डीआईएन: 07911109) |
|---|---|---|---|
| **श्रेणी** | अध्यक्ष एवं निदेशक (गैर–कार्यकारी) | पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कार्यकारी) | स्वतंत्र निदेशक (गैर–कार्यकारी) |
| **जन्म तिथि** | 15 सितंबर, 1972 | 13 सितंबर, 1965 | 13 जनवरी, 1957 |
| **आयु (वर्षों में)** | 53 वर्ष | 60 वर्ष | 68 वर्ष |
| **शैक्षणिक योग्यता** | | | |
| **निदेशक का संक्षिप्त परिचय (बायोडाटा)** | | | |
| **भूमिका के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएँ तथा प्रस्तावित व्यक्ति द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति का विवरण** | श्री पलाश श्रीवास्तव निम्नलिखित क्षमताओं से युक्त हैं:<br>क) व्यवसायिक नेतृत्व<br>ख) क्षेत्रीय विशेषज्ञता<br>ग) बाज़ार संबंधी विशेषज्ञता<br>घ) मानव संसाधन प्रबंधन<br>ङ) सुशासन, वित्त एवं जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञता<br>च) वित्त एवं जोखिम प्रबंधन की मूलभूत समझ | श्री अश्वनी कुमार अग्रवाल निम्नलिखित क्षमताओं से युक्त हैं:<br>क) व्यवसायिक नेतृत्व<br>ख) क्षेत्रीय विशेषज्ञता<br>ग) बाज़ार संबंधी विशेषज्ञता<br>घ) मानव संसाधन प्रबंधन<br>ङ) सुशासन, वित्त एवं जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञता<br>च) वित्त एवं जोखिम प्रबंधन की मूलभूत समझ | श्री अरविंद जैन निम्नलिखित क्षमताओं से युक्त हैं:<br>क) व्यवसायिक नेतृत्व<br>ख) बाज़ार संबंधी विशेषज्ञता<br>ग) अभिशासन<br>घ) वित्त एवं जोखिम प्रबंधन की मूलभूत समझ |
| **निदेशक मंडल में प्रथम नियुक्ति की तिथि** | 10 अप्रैल, 2019 | 27 सितंबर, 2024 | 24 जनवरी, 2025 |
| **निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध** | कंपनी के किसी भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं | कंपनी के किसी भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं | कंपनी के किसी भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं |
| **विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता** | वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक | वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक | वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक |
| **वर्ष के दौरान निदेशक द्वारा उपस्थित बोर्ड/समिति बैठकों का विवरण** | बोर्ड बैठकें: _____<br>समिति बैठकें: _____ | बोर्ड बैठकें: _____<br>समिति बैठकें: _____ | बोर्ड बैठकें: _____<br>समिति बैठकें: _____ |
| **पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं से उक्त व्यक्ति ने त्यागपत्र दिया है, उनका विवरण** | | | |
| **नियुक्ति की शर्तें एवं नियम** | | | |

**ANNEXURE I**

## PURSUANT TO SECRETARIAL STANDARD 2 ISSUED BY ICSI, INFORMATION ABOUT THE DIRECTORS PROPOSED TO BE APPOINTED/ RE-APPOINTED IS FURNISHED BELOW:

| Name of Director (DIN) | Shri Palash Srivastava (DIN: 02007911) | Shri Ashwani Kumar Agarwal (DIN: 01213327) | Shri Arvind Kumar Jain (DIN: 07911109) |
|---|---|---|---|
| **Category** | Chairman & Director (Non-Executive) | Whole-time Director & CEO (Executive) | Independent Director (Non-Executive) |
| **Date of Birth** | September 15, 1972 | September 13, 1965 | January 13,1957 |
| **Age (in years)** | 53 Years | 60 Years | 68 Years |
| **Qualification** | | | |
| **Brief resume of the Director** | | | |
| **Skills and capabilities required for the role and the manner in which proposed person meets such requirements** | Shri Palash Srivastava possesses following capabilities:<br>a) Business Leadership<br>b) Sector Expertise<br>c) Market expertise<br>d) Human resource management<br>e) Governance, Finance & risk management expertise<br>f) Basic understanding of finance & risk management. | Shri Ashwani Kumar Agarwal possesses following capabilities:<br>a) Business Leadership<br>b) Sector Expertise<br>c) Market expertise<br>d) Human resource management<br>e) Governance, Finance & risk management expertise<br>f) Basic understanding of finance & risk | Shri Arvind Kumar Jain possesses following capabilities:<br>(a) Business Leadership<br>(b) Market Expertise<br>(c) Governance<br>(d) Basic understanding of finance and risk |
| **Date of first appointment on the Board** | April 10, 2019 | September 27, 2024 | January 24, 2025 |
| **Relationship with Directors & KMP's** | Not related to any Director or KMP of the Company | Not related to any Director or KMP of the Company | Not related to any Director or KMP of the Company |
| **Expertise in specific functional area** | Commercial & Administrative | Commercial & Administrative | Commercial & Administrative |
| **Details of Board/ Committee meetings attended by the Directors during the year** | Board Meeting: __<br>Committee Meeting: __ | Board Meeting: __<br>Committee Meeting: __ | Board Meeting: __<br>Committee Meeting: __ |
| **Listed entities from which the person has resigned in the past three years** | | | |
| **Terms & conditions of appointment** | | | |

| निदेशक का नाम (डीआईएन) | श्री पलाश श्रीवास्तव (डीआईएनः 02007911) | श्री अश्वनी कुमार अग्रवाल (डीआईएनः 01213327) | श्री अरविंद कुमार जैन (डीआईएनः 07911109) |
|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का विवरण | वर्ष के दौरान उनके द्वारा आहरित पारिश्रमिक रु. ––– लाख था। | वर्ष के दौरान उनके द्वारा आहरित पारिश्रमिक रु. ––– लाख था। | वर्ष के दौरान उनके द्वारा आहरित पारिश्रमिक रु. ––– लाख था। |
| अन्य कंपनियों में निदेशक पदों का विवरण | (i) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड<br>(ii) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | कोई नहीं | (i) विजयपुर कुंजवानी हाईवेज़ प्राइवेट लिमिटेड<br>(ii) शिवालय कंस्ट्रक्शन लिमिटेड<br>(iii) फेयरकनेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड<br>(iv) पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड<br>(v) नबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड<br>(vi) बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड<br>(vii) आईएफसीआई लिमिटेड<br>(viii) आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड<br>(ix) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड<br>(x) सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड |
| जिन कंपनियों में वह अध्यक्ष/सदस्य के रूप में समितियों में पद धारण करते/करती हैं, उन समितियों के नाम | | | |
| धारित इक्विटी शेयरों की संख्या | शून्य | शून्य | शून्य |

| Name of Director (DIN) | Shri Palash Srivastava (DIN: 02007911) | Shri Ashwani Kumar Agarwal (DIN: 01213327) | Shri Arvind Kumar Jain (DIN: 07911109) |
|---|---|---|---|
| **Remuneration/ sitting fees last drawn (FY 2024-25)** | During the year, remuneration withdrawn by her was Rs. ___ Lakhs. | During the year, remuneration withdrawn by him was Rs. ___ Lakhs. | During the year, remuneration withdrawn by him was Rs. ___ Lakhs. |
| **Directorships in other companies** | (i) India Infrastructure Finance Company Limited<br>(ii) IIFCL Asset Management Company Limited | None | (i) Vijaypur Kunjwani Highways Private Limited<br>(ii) Shivalaya Construction Limited<br>(iii) Fairconnect Financial Services Private Limited<br>(iv) Paytm Payments Bank Limited<br>(v) Nabsamruddhi Finance Limited<br>(vi) Bank Of India Trustee Services Private Limited<br>(vii) IFCI Limited<br>(viii) IFCI Venture Capital Funds Limited<br>(ix) PNB Investment Services Limited<br>(x) Sidbi Venture Capital Limited |
| **Name of committees of the Companies of which he/ she holds chairman/ membership** | | | |
| **No. of equity shares held** | NIL | NIL | NIL |

# निदेशकों की रिपोर्ट

## बोर्ड की रिपोर्ट

**वित्त वर्ष 2024–2025**

**आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड**

सेवा में

सदस्यगण

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों के साथ आपकी कंपनी के कार्यप्रदर्शन पर 13वीं (तेरहवीं) वार्षिक रिपोर्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

## वित्तीय स्थिति, परिचालन एवं कार्य–व्यवस्था का सारांश

### वित्तीय विशेषताएं

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| कुल राजस्व | 2103.18 | 1703.99 |
| कुल व्यय | 1896.60 | 1432.88 |
| कर पूर्व लाभ | 206.58 | 271.11 |
| कर व्यय | 56.93 | 71.62 |
| अवधि के लिए लाभ | 149.65 | 199.49 |
| अन्य व्यापक आय (कर का निवल) | (49.91) | (55.31) |
| अवधि के लिए कुल व्यापक आय | 99.74 | 144.18 |

### शेयर पूंजी

कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी, जो ₹475 लाख है, जो पूर्णतः आईआईएफसीएल एवं उसके नामित व्यक्तियों द्वारा धारित की जा रही है।

### व्यवसाय परिदृश्य

हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल) की 13वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे प्रदर्शन, रणनीतिक दिशा तथा मूल्य सृजन के प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों में हमारे द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रभाव को रेखांकित करती है तथा यह दर्शाती है कि हमारे मूल मूल्य, परामर्श विशेषज्ञता एवं हितधारकों के साथ सक्रिय सहभागिता किस प्रकार सतत एवं दीर्घकालिक परिणाम प्रदान कर रही है। यह हमारे पूर्ववर्ती रिपोर्टों में स्थापित आधार को आगे बढ़ाते हुए हमारी प्रगति, प्राथमिकताओं एवं दीर्घकालिक उद्देश्यों पर विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है।

कंपनी की 13वीं वर्षगाँठ के अवसर पर, हमें यह स्वीकार करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आईपीएल ने आईआईएफसीएल के ज्ञान–आधारित परामर्श एवं सलाहकारी अंग के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने में निरंतर एवं दृढ़ प्रगति की है। यह वर्ष क्षेत्रीय विविधीकरण के उद्देश्यपूर्ण प्रयासों तथा क्षेत्रीय पहुँच को सुदृढ़ करने के लिए उल्लेखनीय रहा, जिसके माध्यम से हमें शहरी अवसंरचना, एयरोस्पेस तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास एवं उसके डीकार्बोनाइज़ेशन जैसे उभरते क्षेत्रों में उच्च–मूल्य समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाया है।

वर्तमान में आईपीएल सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के विविध ग्राहकों को वित्तीय परामर्श, लेन–देन परामर्श तथा निधियों का समूहन से संबंधित समाधान प्रदान करने में एक प्रमुख स्थान रखता है। हम सतत मूल्य सृजन एवं रणनीतिक नवाचार पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी क्षेत्रीय विशेषज्ञता को और सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका निरंतर विश्वास एवं सहयोग हमें हमारी विकास यात्रा के अगले चरण में उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

### वर्ष के दौरान आईपीएल के प्रदर्शन की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

- इस वित्तीय वर्ष के दौरान, आईपीएल ने विदेश मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया, जिसके

# DIRECTOR'S REPORT

## BOARD'S REPORT

**F.Y. 2024-2025**

**IIFCL PROJECTS LIMITED**

To

THE MEMBERS OF IIFCL PROJECTS LIMITED

Your directors have the great pleasure to present the 13th (Thirteenth) Annual Report on the performance of your Company for the financial year ended March 31, 2025, along with the Audited Financial Statements, Report of the Auditors, and the Comptroller and Auditor Generalof India (CAG) thereon.

## SUMMARY OF FINANCIALS, OPERATIONS & STATE OF AFFAIRS

### FINANCIAL HIGHLIGHTS

(INR in Lakh)

| PARTICULARS | Year Ended March 31, 2025 | Year Ended March 31, 2024 |
|---|---|---|
| Total Revenue | 2103.18 | 1703.99 |
| Total Expenses | 1896.60 | 1432.88 |
| Profit Before Tax | 206.58 | 271.11 |
| Tax Expense | 56.93 | 71.62 |
| Profit For the Period | 149.65 | 199.49 |
| Other Comprehensive Income (net of tax) | (49.91) | (55.31) |
| Total Comprehensive Income for the Period | 99.74 | 144.18 |

**SHARE CAPITAL**

The entire paid-up share capital of the Company, amounting to INR 475 Lakh, continues to be held by IIFCL and its nominees.

## BUSINESS OVERVIEW

We are pleased to present the 13th Annual Report of IIFCL Projects Limited (IPL), capturing our performance, strategic direction, and value creation efforts for the financial year spanning 01st April 2024 to 31st March 2025. This report outlines the meaningful impact we continue to make across sectors, while showcasing how our core values, advisory expertise, and stakeholder engagement deliver sustainable outcomes. It builds upon the foundation established in our previous reports, offering deeper insights into our progress, priorities, and long-term objectives.

On the occasion of your Company's 13th anniversary, we are pleased to acknowledge the steadfast progress IPL has made in solidifying its role as the knowledge-driven advisory and consultancy arm of IIFCL. The year has been marked by purposeful sectoral diversification and strengthening of regional outreach, enabling us to deliver high-value solutions in emerging domains such as Urban Infrastructure, Aerospace, and MSME development and its decarbonization.

Today IPL holds a dominant position in offering financial, transaction advisory, and funds syndication solutions to a diverse clientele in both the public and private sectors. We remain committed to deepening our sectoral expertise and broadening our national impact, with a focus on sustainable value creation and strategic innovation. Your continued trust and support inspire us to pursue excellence as we navigate the next phase of our growth journey.

No change in the nature of business occurred during the Financial Year 2024-25.

### Key Highlights of IPL's performance for the year include:

- During this Financial Year, IPL executed a MoU with the Ministry of External Affairs for providing end-to-end Project Advisory Support for all Departments of the Ministry focusing on worldwide Development Partnerships.

अंतर्गत मंत्रालय के सभी विभागों को वैश्विक विकास भागीदारी पर केंद्रित एंड–टू–एंड परियोजना परामर्श सहायता प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ, आपकी कंपनी ने स्वयं को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाताओं के बीच स्थापित किया है तथा अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता के मानकों के अनुरूप उच्च–प्रभाव वाले परामर्श सेवाएँ प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया है। उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने की दिशा में, आईपीएल इस दायित्व के सफल क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञों की एक व्यापक टीम का गठन कर रही है, ताकि इस कार्य के लिए उच्चतम स्तर के परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।

❖ वर्ष के दौरान, मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आईपीएल द्वारा तैयार किया गया इको–डेवलपमेंट सोसायटी (ईडीएस) के लिए विज़न डॉक्यूमेंट 2047 का शिलांग, मेघालय में विमोचन किया गया। विकासात्मक प्राथमिकताओं को दिशा देने के उद्देश्य से तैयार इस दस्तावेज़ में मेघालय की पहचान की रक्षा, वन–आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा प्रस्तावित परियोजनाओं के एक पोर्टफोलियो के माध्यम से आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करने हेतु रणनीतिक पहलों का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया गया है।

❖ एयरोस्पेस क्षेत्र में, आईपीएल अंतरिक्ष विभाग के अधीन नियामक निकाय इन–स्पेस के साथ मिलकर भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से संबंधित पीपीपी मॉडल के निष्पादन हेतु कार्य कर रहा है, जिन्हें वर्तमान में इसरो द्वारा निर्मित किया जाता है। वर्तमान निविदा के अंतर्गत 12 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के विकास एवं प्रबंधन हेतु अनुबंध के अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया पूर्णता के निकट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी सहभागिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, आईपीएल ने इस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से साझेदारी औपचारिक रूप से स्थापित की है। यह गठबंधन सहयोगात्मक अनुसंधान एवं संस्थागत क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है, जिससे भारत के विकसित होते अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार एवं अवसरों के अग्रणी केंद्र के रूप में आईपीएल की भूमिका सुदृढ़ हो रही है।

❖ ज्ञान संवर्धन की दिशा में एक अन्य पहल के रूप में, आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स ने वर्ष के दौरान 'ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज, सस्टेनिंग फ्यूचर्सरू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया' विषय पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जो विभिन्न औद्योगिक परामर्शों के निष्कर्षों पर आधारित है। इस आयोजन की शोभा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति से बढ़ी। नगर निगमों को वित्तीय बाधाओं से उबरने तथा सतत शहरी विकास को प्रोत्साहित करने हेतु उपलब्ध साधनों जैसे म्यूनिसिपल बॉण्ड, समेकित वित्तपोषण, सार्वजनिक–निजी भागीदारी तथा जलवायु–संवेदनशील वित्तपोषण पर व्यापक चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में बहुपक्षीय बैंकों, रेटिंग एजेंसियों, नगर निकायों तथा उद्योग विशेषज्ञों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

☐ आईपीएल, 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक समर्थित 'रैम्प' (एमएसएमई प्रदर्शन का संवर्द्धन एवं तेज वृद्धि) योजना के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम निगरानी एजेंसी के रूप में, विकसित भारत 2047 के मिशन की दिशा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु कार्यरत है, जो इस विकास एजेंडा का

With initiation of this programme, your Company has positioned itself among globally recognized service providers, reaffirming its commitment to delivering high-impact advisory services with standards of international excellence. In pursuit of excellence, IPL is assembling a full-spectrum team of specialists to deliver superior outcomes for this assignment.

- During the year, the Vision document 2047 for the Eco-Development Society (EDS), conscripted by IPL, was launched by the Hon'ble Chief Minister at Shillong, Meghalaya. Designed to shape developmental priorities, the document outlines strategic initiatives to protect Meghalaya's identity, stimulate forest-led economic growth, and enhance livelihood opportunities through a proposed portfolio of projects.

- On the Aerospace front, IPL is working closely with IN-SPACe, the Regulatory body under the Department of Space, for the conclusion of India's first PPP in Earth Observation Satellites, which are currently produced by ISRO. The finalization of the contract for the development and management of 12 Earth Observation (EO) satellites under the current tender is approaching completion. To strengthen its engagement in the space domain, IPL formalized a partnership this year with the Indian Space Association (ISpA) through an MoU. This alliance is focused on promoting collaborative research and institutional capacity building, positioning IPL at the forefront of innovation and opportunity in India's evolving space ecosystem.

- With another initiative on knowledge enrichment, IIFCL Projects released its report on 'Transforming Cities, Sustaining Futures: Urban Infrastructure in India' during the year, culminating outcomes of various industry consultations. The event was graced by senior bureaucrats from the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA). Discussions were held around available tools like municipal bonds, pooled financing, PPPs and climate-resilient funding to empower Municipal Corporations for overcoming fiscal constraints to drive sustainable urban growth. Stakeholders from multilateral banks, rating agencies, municipal authorities, and industry experts were present.

- IPL, as the National Program Monitoring Agency for USD 808 Mn World Bank supported RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) programme, is working towards the mission of Viksit Bharat 2047 to facilitate the most significant MSME sector as part of this development agenda. With three years into the monitoring of the Scheme, IPL has facilitated the sanction of Rs. 2966.16 Crores as a grant to 36 States/UTs for ~400 projects.

एक महत्त्वपूर्ण अंग है। योजना की निगरानी के तीन वर्ष पूर्ण होने तक, आईपीएल ने लगभग 400 परियोजनाओं हेतु 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ₹ 2966.16 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत कराने में सहयोग प्रदान किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नई योजनाएँ जैसे एमएसई गिफ्ट (हरित वित्तपोषण), एमएसई स्पाइस (चक्रिय अर्थव्यवस्था), एमएसई ऑनलाइन विवाद समाधान (विलंबित भुगतान) तथा एमएसएमई टीम (डिजिटल व्यापार) प्रारंभ की गई हैं, जिनसे 5.6 लाख से अधिक एमएसएमई को लाभ प्राप्त होने की अपेक्षा है। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से प्राप्य वित्तपोषण को सुदृढ़ किया गया है, जिसके अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई की संख्या बढ़कर 1.67 लाख हो गई है। योजना के अंतर्गत स्कीम–आधारित से सिस्टम–आधारित प्रशासन की ओर हुए संक्रमण ने संस्थागत सुदृढ़ीकरण, डेटा–आधारित नीतिनिर्माण, बेहतर वित्तपोषण एवं बाजार पहुँच को प्रोत्साहित किया है, साथ ही लैंगिक समावेशन, हरित विकास एवं एमएसएमई उत्पादकता पर निरंतर ध्यान केंद्रित रखा गया है।

- वर्ष के दौरान आईपीएल की परियोजना पोर्टफोलियो में एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, एमएसएमई क्षेत्र के हरित एजेंडा को आगे बढ़ाने हेतु विश्व बैंक से प्राप्त इसका पहला कार्य शामिल है। आईपीएल ने अखिल भारतीय स्तर पर तीन (3) क्लस्टरों के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में सफलतापूर्वक स्कोपिंग अध्ययन संपन्न कर प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए डीकार्बोनाइजेशन मार्गों की पहचान करना है। जिन क्लस्टरों को इस अध्ययन में शामिल किया गया, वे वस्त्र, फाउंड्री तथा सिरेमिक क्षेत्रों से संबंधित हैं।

- समूह की रणनीतिक दृष्टि के अनुरूप तथा अंतर–इकाई सहयोग को सुदृढ़ करने के प्रयासों के तहत, आईपीएल ने वर्ष के दौरान इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन इकाई को अपनी क्षेत्रीय विशेषज्ञता प्रदान की। यह सहभागिता सतत अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने हेतु क्रॉस–फंक्शनल सेवाओं एवं तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से आईपीएल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, आईपीएल, एक प्रचलित सेवा समझौते के अंतर्गत, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड को व्यापक द्वितीयक परियोजना मूल्यांकन एवं निगरानी सेवाएँ प्रदान करता रहा है। आईपीएल, इंग्लैंड एवं वेल्स के कंपनी रजिस्ट्रार, लंदन में पंजीकृत आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के लिए, भारत में अवसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली भारतीय कंपनियों को उनके ऐसे परियोजनाओं हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार के सह–वित्तपोषण के उद्देश्य से, एंड–टू–एंड द्वितीयक परियोजना मूल्यांकन एवं निगरानी सेवाएँ निरंतर प्रदान कर रहा है।

- आईपीएल वर्तमान में एक समन्वित सूची के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं का एक समेकित पोर्टफोलियो प्रबंधित कर रहा है, जिसकी कुल निवल स्वीकृतियाँ लगभग 4.91 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास हैं। इस पोर्टफोलियो में पुनर्वित्तपोषित परिसंपत्तियाँ तथा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत समाधान प्रक्रिया में चल रही परियोजनाएँ भी शामिल हैं, जिनमें कुछ मामले राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हैं। प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दायरा व्यापक है और इसमें द्वितीयक परियोजना वित्तीय मूल्यांकन, मसौदा बोर्ड ज्ञापन की तैयारी, वितरण एवं संशोधन संबंधी अनुरोधों की प्रक्रिया, तथा आईआईएफसी (यूके) की ओर से परियोजनाओं की समग्र निगरानी शामिल है।

- आईपीएल विमानन क्षेत्र में भी अपना योगदान निरंतर जारी रखे हुए है और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ अपने प्रचलित कार्यों के माध्यम से इस क्षेत्र में सक्रिय है। इन परियोजनाओं पर आईपीएल निकटता से कार्य कर रहा है, ताकि देश में नागरिक हेलीकॉप्टर बाज़ार पर बढ़ते ध्यान को समर्थन मिल सके तथा इस पारिस्थितिकी तंत्र में विदेशी एवं निजी संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जा सके।

- इस वर्ष आपकी कंपनी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का और विस्तार करते हुए मिज़ोरम राज्य के साथ पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु एक नए कार्यारंभ की शुरुआत की है। यह दायित्व, पूर्व में मेघालय की भाँति, एक नए क्षेत्र में आईपीएल के भविष्य के विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। वर्ष के दौरान आईपीएल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को निवेश परामर्श सेवाएँ भी प्रदान कीं।

- तमिलनाडु एवं मेघालय राज्य प्राधिकरणों के साथ चल रहे परामर्श कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन एवं निरंतर प्रतिबद्धता ने कंपनी के सतत प्रदर्शन में महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली योगदान दिया है। आईपीएल ने तमिलनाडु ट्रांसमिशन कंपनी (टीएनट्रांसको) के साथ अपने दायित्व को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, जिसके अंतर्गत उनकी खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा निविदा दस्तावेजों का मानकीकरण करने का कार्य किया गया, ताकि उनकी खरीद प्रणाली में दक्षता एवं पारदर्शिता लाई जा सके।

- आपकी कंपनी उभरते हुए अवसंरचना उप–क्षेत्रों में संभावित निधि संग्रहण एवं परियोजना मूल्यांकन के अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश कर रही है। वर्ष के दौरान, आईपीएल ने कर्नाटक राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित 300 कि.मी. बेंगलुरुदृ मैंगलुरु आर्थिक कॉरिडोर के लिए पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन संचालित करने हेतु वित्तीय परामर्श सेवाएँ प्रदान कीं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी सिटी गैस वितरण तथा पर्सनल रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क जैसे उभरते क्षेत्रों में अन्य फंड सिंडिकेशन संबंधी कार्यों पर भी कार्यरत है।

New Schemes viz. MSE GIFT (green financing), MSE SPICE (circular economy), MSE Online Dispute Resolution (delayed payments), and MSME TEAM (digital trade) have been launched under this programme to benefit over 5.6 lakh MSMEs. Receivables Financing has been strengthened via TReDS (Trade Receivables Discounting System) with an increase in onboarded MSMEs to 1.67 lakhs. RAMP's shift from scheme-based to system-based governance has led to stronger institutions, data-driven policy, better financing and market access, with a sustained focus on gender, green growth, and MSME productivity.

- Another significant addition to the project portfolio of IPL during the year is its first ever assignment from World bank for taking forward the Greening agenda for MSME sector. IPL has successfully conducted and delivered a scoping study for three (3) Clusters at PAN India level as a pilot project to identify decarbonisation pathways for the sector. The clusters covered are in the sectors of Textile, Foundry and Ceramics.

- In alignment with the Group's strategic vision and its efforts to strengthen inter-entity collaboration, IPL extended its domain expertise to support the Environment and Social Management Unit of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) during the year. This engagement reflects IPL's commitment to advancing sustainable infrastructure development through cross-functional service delivery and technical guidance. Further, IPL continues to provide comprehensive secondary project appraisal and monitoring services to India Infrastructure Finance Company (UK) Ltd. under an ongoing Service Agreement. IPL continues to undertake end-to-end secondary project appraisal and monitoring services for IIFC(UK) Limited, incorporated with the Registrar of Companies of England and Wales at London, to lend to Indian companies implementing infrastructure projects in India to co-finance their External Commercial Borrowings for such projects.

- IPL presently manages a consolidated portfolio of infrastructure projects under a harmonised list with Cumulative net sanctions of around USD 4.91 billion. This portfolio includes both refinanced assets and projects undergoing resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), with cases proceeding before the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT). The services provided have a wide scope and cover secondary project financial appraisal, preparation of draft board memoranda, processing disbursement and modification requests, and overall monitoring of projects on behalf of IIFC (UK).

- IPL continues to contribute to the Aviation sector with its ongoing assignments with sector's public entities like Hindustan Aeronautics Limited, amongst others. IPL is closely working on these projects to support enhanced focus on the civil helicopter market in the country and encourage participation of foreign/private entities in this ecosystem.

- This year, your Company has further expanded its presence in the Northeast region with the commencement of another assignment with the state of Mizoram for the development of Tourism infra in the state. This mandate paves way for future expansion of IPL in a virgin territory just like Meghalaya in past. During the year, IPL also provided services to the Haryana Shehri Vikas Pradhikaran (HSVP) for providing investment advisory.

- The successful execution and commitment of ongoing advisory programmes with the State authorities of Tamil Nadu and Meghalaya has been influential and a major contributor to the sustainable performance of the Company. IPL has successfully completed its mandate with the TN Transmission Company (TNTRANSCO) to streamline their procurement practices and Standardise Bidding Documents with an objective to bring about efficiencies in their procurement process.

- Your Company has been proactively looking at potential fund raising and project appraisal opportunities in the emerging infrastructure sub sectors. During the year, IPL provided financial advisory services for carrying out pre-feasibility study for the 300 km Bangalore Mangalore Economic corridor proposed by PWD under the State Government of Karnataka. Your Company is also working on other syndication assignments in emerging sectors of City Gas Distribution and Personal Rapid Transport network.

  For smooth and efficient execution of mandates and to expand the outreach and positioning ofthe IIFCL Group in the country, especially with state clients/authorities, your Company has posted dedicated working team (permanent and/or consultants/retainers) in the states of New Delhi, Meghalaya, Tamil Nadu and GIFT City branch.

  During the year, your Company invested in manpower enrichment for readiness of its services to create a skilled pool for delivery of these assignments. To ensure continued delivery of high-quality services to our clients, the Company has undertaken hiring processes for attracting new talents with adequate skillsets.

देश में आईआईएफसीएल समूह की पहुँच एवं सुदृढ़ स्थिति को विस्तारित करने तथा सौंपे गए कार्यों के सुचारु एवं प्रभावी निष्पादन के लिए, विशेषकर राज्य सरकारों/प्राधिकरणों के साथ कार्यों हेतु, आपकी कंपनी ने नई दिल्ली, मेघालय, तमिलनाडु तथा गिफ्ट सिटी शाखा में समर्पित कार्यदल (स्थायी एवं/या परामर्शदाता/रिटेनर) तैनात किए हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इन कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु अपनी सेवाओं की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण में निवेश किया तथा कुशल कर्मियों का एक सक्षम समूह विकसित करने की दिशा में पहल की। ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने उपयुक्त कौशल वाले नए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने हेतु नियुक्ति प्रक्रियाएँ भी संचालित कीं।

आईपीएल ने पीएमयू एवं गैर–पीएमयू व्यवसाय खंडों में केंद्रित विकास तथा परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए द्वि–आयामी रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है। यह द्वि–पथ रणनीति आईपीएल को अपनी मूल क्षमताओं का प्रभावी उपयोग करने के साथ–साथ विविध अवसंरचना पहलों की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपनी सेवाओं एवं विशेषज्ञता का विस्तार करने में सक्षम बनाती है।

इस रणनीति के अंतर्गत, आईपीएल स्वयं को अवसंरचना परियोजनाओं के संपूर्ण जीवन–चक्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करेगा। अवधारणा निर्माण एवं योजना से लेकर क्रियान्वयन, संचालन एवं अनुरक्षण तक, आईपीएल प्रत्येक चरण में उच्च–प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह समग्र दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में सतत एवं सुदृढ़ अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को और सशक्त करता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, आईपीएल ने ☐21.03 करोड़ का कुल राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के ☐17.03 करोड़ की तुलना में 24: की वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी ने वर्ष के लिए ☐1.49 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

## मानव संसाधन

आपकी कंपनी ग्राहकों एवं हितधारकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने में दृढ़ विश्वास रखती है तथा अपने सभी व्यावसायिक कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सतत प्रयासरत है। वर्तमान में आईपीएल एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित संरचना के साथ कार्यरत है, जिसका नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। उनके साथ 9 अधिकारी, 35 परामर्शदाता तथा 1 शोध सहयोगी कार्यरत हैं, जो परियोजना परामर्श एवं वित्तीय परामर्श सेवाओं से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक योग्यता एवं विशेषज्ञता से संपन्न हैं।

मानव संसाधन विकास का प्रयास ऐसा संगठन बनाना है जो विभिन्न सौंपे गये कार्य की आवश्यकताओं को उचित तरीके से पूरा कर सकें जिसके लिए व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखने के लिए नेतृत्व की पहचान करने तथा उसे पोषित करने पर बल दिया जाता है। संगठन निर्माण के प्रयासों में, आपकी कपंनी निरंतर अधिकारियों के प्रशिक्षण और उनके विकास तथा व्यवसाय के नए क्षेत्रों में काम के नजरिए से कौशल विकास में लगी है।

कंपनी के मानव संसाधन विकास के क्रम में, वर्ष के दौरान विभिन्न प्रयास किए गए जिनमें प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन शामिल था। विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनार तथा बैठकों में भागीदारी के साथ ही कौशल को बढ़ावा देने के कार्य भी किए गए।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य अधिदेशों की समय पर शुरूआत सुनिश्चित की गई । इन योजनाओं के लिए कंपनी ने संविदात्मक आधार पर विशेषज्ञों की सेवाएं ली। इस सिद्धांत को लागू करते हुए आपकी कंपनी विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अधिदेशों के सफल निष्पादन के लिए अपने मानव संसाधन आधार को मजबूत करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले सलाहकारों के साथ काम कर रही है। ये प्रयास निरंतर सीखते रहने का वातावरण तैयार कर रहे हें जिसका उद्देश्य प्रत्येक कर्मचारी का विकास और व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करना है।

## लेखापरीक्षक एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

मेसर्स सेहगल मेहता एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखा–विवरणों का लेखापरीक्षित विवरण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ संलग्न है। कैग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आईपीएल का अनुपूरक लेखा परीक्षा न करने का निर्णय लिया है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं लेखा टिप्पणियाँ स्वयं स्पष्ट हैं और किसी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

मेसर्स सेहगल मेहता एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु भी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अंतर्गत सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

## लागत लेखा परीक्षा से संबंधित प्रकटीकरण

लागत लेखा अभिलेखों के संधारण तथा उनके अभिलेखन/प्रस्तुतीकरण से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

IPL has adopted a two-pronged strategic approach to ensure focused growth and operational efficiency across both PMU and Non-PMU business segments. This dual pathway enables IPL to harness its core strengths while diversifying capabilities to serve a broader array of infrastructure initiatives.

As part of this strategy, IPL will position itself as a key player throughout the entire infrastructure project life cycle. From concept development and planning to execution, operation, and maintenance, IPL is committed to delivering high-impact solutions across every phase. This comprehensive positioning reinforces the company's dedication to building sustainable and resilient infrastructure assets across diverse sectors.

IPL posted a top line of Rs. 21.03 Crore with a growth rate of 24% as against the corresponding previous year top line of Rs. 17.03 crore. The Company recorded a Net Profit of Rs. 1.49 Crore for the year.

## HUMAN RESOURCES

Your Company truly believes in enabling Customer and Stakeholder satisfaction and strives towards excellence in all its business endeavors. IPL presently comprises a lean setup led by the Chief Executive Officer, along with 9 officers supported by 35 consultants, and 1 research associate, well qualified to undertake project consultancy and financial advisory services assignments.

The endeavors of human resource development include structuring the organization to appropriately address the needs of the various assignments, emphasizing on identification of and nurturing leadership planning for managing the business in perpetuity. Towards organization building, your company has been continually engaged in training and development of its officers, upgrading skill sets with a view to undertaking new areas of business.

In order to develop the human resources of the Company, various initiatives were taken during the year, which include imparting training/ workshops. Participation in various conferences, seminars, and meetings for networking as well as skill upgradation was also undertaken.

In order to ensure timely execution of the mandates in the various diversified areas of infrastructure sector, the plans of the company have been to engage professional expertise on a contractual basis. Applying this principle, your Company is working with consultants with specific domain expertise to strengthen its human resource base for successful execution of the mandates received from various state governments. These efforts are directed towards building a continues learning environment in the organization aimed at facilitating the growth and personal achievement of all employees.

## AUDITORS AND AUDITORS' REPORT

M/s. Sehgal Mehta & Co., Chartered Accountants, were appointed as Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2024-25 by the Office of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

The audited statement of accounts, along with the report of the Auditors, is appended with comments of the Comptroller and Auditor General of India. The C&AG decided not to conduct the supplementary audit of IPL for the Financial Year 2024-25. The Audit Report and notes on account are self-explanatory and need no comment.

M/s. Sehgal Mehta & Co., Chartered Accountants, have further been appointed as Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2025-26 by the Office of the Comptroller and Auditor General of India.

The provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013, relating to submission of Secretarial Audit Report are not applicable to the Company.

## DISCLOSURE ABOUT COST AUDIT

The provision of maintenance of cost accounts & records and filing the same is not applicable to the Company.

## DEPOSITS

The Company has not accepted any Deposits during the year; therefore, no disclosure is required.

## DIVIDEND

Based on approval of the Board in its meeting held on July 25, 2025, on the grounds of IPL's Capital preservation and future business expansion requirements, the Company has not proposed any dividend for the Financial Year 2024-25. IPL has approached IIFCL for exempting it from paying dividends.

## जमा

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है।

## लाभांश

आईपीएल की पूंजी संरक्षण और भविष्य के व्यापार विस्तार आवश्यकताओं के आधार पर 25 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक में अनुमोदन के आध ाार पर कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है। आईपीएल ने लाभांश भुगतान से छूट देने के लिए आईआईएफसीएल से संपर्क किया।

## आरक्षित निधि

कंपनी किसी भी राशि को किसी आरक्षित निधि में अंतरित करने का प्रस्ताव नहीं करती है और वर्ष के लिए लाभ की पूरी राशि 'प्रतिधारित आय' का हिस्सा बनती है।

## सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी नहीं है।

अतः वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के प्रदर्शन के प्रमुख बिंदुओं तथा कंपनी के समग्र प्रदर्शन में उनके योगदान से संबंधित रिपोर्ट कंपनी पर लागू नहीं होता है।

## कर्मचारियों के विवरण

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम), 2014 के नियम 5 के प्रावधानों के संदर्भ में कर्मचारियों का ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है।

## इंड एएस मानक

आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), 2015 (यहां के बाद ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) में अधिसूचित की गई अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी, 2015 के अनुसरण में 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी इंड एएस को अपनाया है। आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के साथ 31 मार्च 2025 को समाप्त इंड एएस वित्तीय विवरणों को अनुमोदित किया है।

## सचिवीय मानक

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सीमा तक सभी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

## वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के साथ पठित धारा 92(3) के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट ूण्पपबिसचतवरमबजेण्पद पर उपलब्ध है और इसे वेबलिंक ीजजचेरूध्ध्पपबिसचतवरमबजेण्पदध्ंदनंस.तमचवतजेध के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान तथा इस बोर्ड रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी के निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- 27 सितंबर, 2024 – श्री गौरव कुमार (डीआईएनः 08848659) ने आईआईएफसीएल द्वारा नामांकन वापस लिए जाने पर नामित निदेशक का पद त्याग दिया।
- 22 नवंबर, 2024 – श्री पवन के. कुमार (डीआईएनः 08901398) कंपनी के निदेशक पद से मुक्त हुए।
- 24 जनवरी, 2025 – श्री अरविंद कुमार जैन (डीआईएनः 07911109) को गैर–कार्यकारी, स्वतंत्र अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- 3 अप्रैल, 2025 – श्री संजीव कुमार (डीआईएनः 08828758) को अतिरिक्त निदेशक (कार्यकारी) तथा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, श्री पलाश श्रीवास्तव के स्थान पर नियुक्त किया गया।
- 3 अप्रैल, 2025 – श्री गौरव कुमार (डीआईएनः 08848659) को आईआईएफसीएल द्वारा नवीन नामांकन प्राप्त होने पर पुनः नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

## RESERVES

The Company do not propose to transfer any amount to any reserve and the entire amount of profit for the year forms part of the 'Retained Earnings'.

## DETAILS OF SUBSIDIARY/ JOINT VENTURES/ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint Venture, or Associate Company in terms of the provisions of the Companies Act 2013.

Therefore, the report on the highlights of performance of Subsidiaries, Joint Venture and Associate Companies, and their contribution to the overall performance of the Company during the Financial Year 2024-25 is not applicable to the Company.

## PARTICULARS OF EMPLOYEES

Your Company, being a Government Company, is not required to give particulars of employeesin terms of provisions of Section 197(12) of the Companies Act, 2013, read with Rule 5 of the Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel Rules), 2014.

## IND AS STANDARDS

Your Company had adopted IND AS with effect from 1st April, 2018 pursuant to notification dated February 15, 2015 under Section 133 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as "The Act") issued by the Ministry of Corporate Affairs, notifying the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015. Your Company has approved IND AS Financials for the year ended March 31, 2025, along with comparable financials for the year ended March 31, 2024.

## SECRETARIAL STANDARDS

During the year, your Company is in compliance with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) to the extent applicable.

## ANNUAL RETURN

Pursuant to the provisions of section 92 (3) read with section 134 (3) (a) of the Companies Act,2013, and rules framed thereunder, the Annual Return for the Financial Year ended March 31,2025, is available on the website of the Company, i.e., www.iifclprojects.in, and can be accessedthrough the web link - https://iifclprojects.in/anual-reports/

## DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

During the financial year 2024-25 and up to the date of this Board Report, the following changes took place in the composition of the Board of Directors and Key Managerial Personnel of the Company:

- 27th September, 2024 – Shri Gaurav Kumar (DIN: 08848659) ceased to be a Nominee Director upon withdrawal of nomination by IIFCL.
- 22nd November, 2024 – Shri Pawan K Kumar (DIN: 08901398) ceased to be a Director of the Company.
- 24th January, 2025 – Shri Arvind Kumar Jain (DIN: 07911109) was appointed as Non-Executive, Independent Additional Director.
- 3rd April, 2025 – Shri Sanjeev Kumar (DIN: 08828758) was appointed as an Additional Director (Executive) and as the Chief Executive Officer of the Company in place of Shri Palash Srivastava.
- 3rd April, 2025 – Shri Gaurav Kumar (DIN: 08848659) was re-appointed as a Nominee Director upon fresh nomination by IIFCL.
- 3rd April, 2025 – The designation of Shri Palash Srivastava (DIN: 02007911) was changed from Executive Director to Nominee Director, and he ceased to be Chief Executive Officer on this date.
- 28th May, 2025 – Shri Padmanabhan Raja Jaishankar (DIN: 06711526) ceased to be the Chairman and Director of the Company.
- 29th May, 2025 – Shri Sanjeev Kumar (DIN: 08828758) ceased to be the Additional Director (Executive) of the Company; he also ceased as CEO upon the appointment of new CEO.

- 3 अप्रैल, 2025 – श्री पलाश श्रीवास्तव (डीआईएनः 02007911) का पदनाम कार्यकारी निदेशक से नामित निदेशक में परिवर्तित किया गया तथा वे इस तिथि से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से मुक्त हुए।
- 28 मई, 2025 – श्री पद्मनाभन राजा जयशंकर (डीआईएनः 06711526) कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक पद से मुक्त हुए।
- 29 मई, 2025 – श्री संजीव कुमार (डीआईएनः 08828758) अतिरिक्त निदेशक (कार्यकारी) के पद से मुक्त हुए; साथ ही नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर वे सीईओ पद से भी मुक्त हुए।
- 30 मई, 2025 – श्री अश्वनी कुमार अग्रवाल (डीआईएनः 01213327) को श्री संजीव कुमार के स्थान पर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
- 25 जुलाई, 2025 – श्री पलाश श्रीवास्तव (डीआईएनः 02007911) का पदनाम नामित निदेशक से अतिरिक्त निदेशक (अध्यक्ष एवं गैर–कार्यकारी) में परिवर्तित किया गया।
- 25 जुलाई, 2025 – श्री अश्वनी कुमार अग्रवाल (डीआईएनः 01213327) का पदनाम नामित निदेशक से अतिरिक्त निदेशक (कार्यकारी) में परिवर्तित किया गया।
- 25 जुलाई, 2025 – श्री तिरुवेंगडम हरि कृष्णन (डीआईएनः 02842869) को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

वार्षिक आम सभा में क्रमवार सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो एक सरकारी कंपनी है, की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

## बोर्ड की बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं तथा निदेशकों द्वारा उनमें की गई उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार हैः

| निदेशकों का नाम | बोर्ड की बैठक में भाग लेने का विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 08 अप्रैल, 2024 | 13 अप्रैल, 2024 | 09 सितं., 2024 | 27 सितं., 2024 | 25 जन., 2025 |
| पदमनाभन राजा जयशंकर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| पवन के. कुमार | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | - |
| पलाश श्रीवास्तव | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| गौरव कुमार | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | . |
| राज कुमार रलहन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं |
| अश्वनी कुमार अग्रवाल | - | - | - | हाँ | हाँ |
| अरविंद कुमार जैन | - | - | - | - | हाँ |

## निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

आपके निदेशकगण उल्लेख करते हैं कि:

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं को तैयार करने के लिए लागू भारतीय लेखांकन मानकों के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अधीन निर्धारित आवश्यकताओं का भौतिक प्रस्थान, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ पालन किया गया है।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों को चुना है और उन्हें दृढ़ता से लागू किया है तथा उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन तैयार किए हैं ताकि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की सच्ची एवं सही स्थिति प्रस्तुत की जा सके और उक्त अवधि में कंपनी के लाभ का उल्लेख किया जा सके।
3. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप लेखाकरण के रिकार्ड का पर्याप्त रखरखाव करने और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को दूर करने के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।
4. निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'चालू प्रतिष्ठान' आधार पर लेखाओं को तैयार किया गया है;
5. निदेशकों द्वारा कंपनी के अनुपालनार्थ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और उक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा ये प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।
6. निदेशकों ने उचित कार्यप्रणाली तय की है ताकि सभी लागू कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और उक्त कार्यप्रणाली समुचित एवं प्रभावी ढंग से लागू हो।

- 30th May, 2025 – Shri Ashwani Kumar Agarwal (DIN: 01213327) was appointed as the Chief Executive Officer in place of Shri Sanjeev Kumar.
- 25th July, 2025 – Shri Palash Srivastava's (DIN: 02007911) designation was changed from Nominee Director to Additional Director (Chairman & Non-Executive).
- 25th July, 2025 – Shri Ashwani Kumar Agarwal's (DIN: 01213327) designation was changed from Nominee Director to Additional Director (Executive).
- 25th July, 2025 – Shri Thiruvengadam Hari Krishnan (DIN: 02842869) was appointed as Nominee Director.

The provisions relating to directors liable to retire by rotation at the Annual General Meeting is not applicable to the Company as the Company is a wholly owned subsidiary of India Infrastructure Finance Company Limited, a Government Company.

## MEETINGS OF THE BOARD

The meetings of the board of directors are held at regular intervals in compliance with provisions of section 173 of the Companies Act, 2013.

During the financial year ended March 31, 2025, the following meetings of the Board were conducted, and the details of the meetings attended by Directors.

| Name of Directors | Details of Board Meetings Attended | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Apr 08, 2024 | May 13, 2024 | Sep 09, 2024 | Sept 27, 2024 | Jan 24, 2025 |
| Padmanabhan Raja Jaishankar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pawan K Kumar | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| Palash Srivastava | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gaurav Kumar | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| Raj Kumar Ralhan | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Ashwani Kumar Agarwal | - | - | - | Yes | Yes |
| Arvind Kumar Jain | - | - | - | - | Yes |

## DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your directors state that:

1. In the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2025, the applicable Indian accounting standards, read with the requirements set out under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
2. The directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year ended March 31, 2025, and of the profit of the Company for that period.
3. The directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
4. The directors have prepared the accounts for the financial year ended March 31, 2025, on a 'going concern' basis;
5. The directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
6. The directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

## DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS

The provisions of Section 149 of the Companies Act, 2013, relating to the appointment of Independent Directors are not applicable to the Company. However, the Company has appointed Shri Arvind Kumar Jain as an Independent Director on the Board.

## स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तथापि, कंपनी ने श्री अरविंद कुमार जैन को निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

कंपनी को श्री अरविंद कुमार जैन से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) पाँचवाँ संशोधन नियम, 2019 के नियम 6(3) के अंतर्गत एक घोषणा प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के मानदंडों की पूर्ति की पुष्टि की है। उनके स्वतंत्र निदेशक के रूप में स्थिति को प्रभावित करने वाली कोई भी परिस्थिति विद्यमान नहीं है।

अतिरिक्त रूप से, श्री अरविंद कुमार जैन, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 6(1) के अनुपालन में भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान के साथ पंजीकृत हैं।

निदेशक मंडल की राय में, श्री अरविंद कुमार जैन स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों को पूर्ण करते हैं तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(पपपक) के अंतर्गत निर्दिष्ट आवश्यक सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता एवं अनुभव भी रखते हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी का कोई भी निदेशक लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा पद पर बने रहने के लिए अयोग्य नहीं है।

## धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण जो निम्न के अलावा केंद्र सरकार को रिपोर्ट की जा सकती हैं

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत निदेशक मंडल को किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी है जिसमें इसके तहत बनाए गए नियम भी शामिल हैं।

## कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई सीएआर निष्पादित नहीं किया है और यह लागू नहीं है।

## धारा 186 के अनुसार ऋणों, गारंटियों या निवेशों के विवरण

कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से इतर लिए गए ऋणों के लिए कोई ऋण या गारंटी नही दी है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार कोई निवेश नहीं किया है।

## जोखिम प्रबंधन

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन योजना की तैयारी तथा महत्त्वपूर्ण जोखिमों की नियमित पहचान एवं समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण संगठन के समक्ष विद्यमान विभिन्न प्रकार के जोखिमों की स्पष्ट समझ, अनुशासित जोखिम निगरानी, मापन एवं सतत जोखिम मूल्यांकन तथा शमन उपायों पर आधारित है।

निदेशक मंडल के मतानुसार, ऐसे किसी जोखिम तत्व की पहचान नहीं हुई है जो कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता हो।

कंपनी के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले जोखिम तत्व अत्यंत न्यून होने के कारण, कंपनी के पास पृथक जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध नहीं है।

## 188 धारा 188 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ सामान्य व्यवसाय के तौर पर और आसान पहुंच के आधार पर किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएं/लेनदेन की कोई कारवाई नहीं की है।

### इसका विवरण निम्नानुसार है:

| संबंधित पार्टी का नाम | इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड | | | आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड | श्री पलाश श्रीवास्तव |
|---|---|---|---|---|---|
| अनुबंध/व्यवस्थाएं/लेनदेन की प्रकृति | किराया, पेन्ट्री, पार्किंग एवं कार्यालय रखरखाव | तैनात कर्मचारी के वेतन की प्रतिपूर्ति (प्राप्य) | सलाहकार सेवा शुल्क | सलाहकार सेवा शुल्क एवं प्रतिपूर्तियां | पारिश्रमिक |
| लेनदेन की राशि | ₹ 103.59 लाख | ₹ 62.11 लाख | ₹ 118.50 लाख | ₹ 172.05 लाख | ₹ 55.00 लाख |

The Company has received a declaration from Shri Arvind Kumar Jain under Section 149 of the Companies Act, 2013, and Rule 6(3) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2019, confirming that he meets the criteria of independence. There have been no circumstances affecting his status as an Independent Director.

Further, Shri Arvind Kumar Jain is registered with the Indian Institute of Corporate Affairs in compliance with Rule 6(1) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014.

In the opinion of the Board, Shri Arvind Kumar Jain fulfils the conditions specified for appointment as an Independent Director and also possesses the requisite integrity, expertise, and experience as prescribed under Rule 8(5)(iiia) of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

Additionally, no Director of the Company is disqualified from being appointed or continuing as a director in terms of any applicable law.

## DETAILS IN RESPECT OF FRAUDS REPORTED BY AUDITORS UNDER SUB-SECTION (12) OF SECTION 143 OTHER THAN THOSE WHICH ARE REPORTABLE TO THE CENTRAL GOVERNMENT

The Statutory Auditors of the Company have not reported any fraud to the Board of Directorsunder Section 143(12) of the Companies Act, 2013, including rules made thereunder.

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

During the financial year ended March 31, 2025, the Company did not undertake any CSR expenditure as the same was not applicable.

## PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES, OR INVESTMENTS AS PER SECTION186

The Company has not given loans or guarantees for loans taken by others from Banks and financial institutions.

The Company has not made any investment as per Section 186 of the Companies Act, 2013.

## RISK MANAGEMENT

The Board is responsible for the preparation of a risk management plan, identifying and reviewing critical risks on a regular basis. The risk management approach is based on a clear understanding of the variety of risks that the organization faces, disciplined risk monitoring, measurement & continuous risk assessment, and mitigation measures.

In the opinion of the Board, there has been no identification of elements of risk that may threaten the existence of the Company.

The Company does not have any Risk Management Policy as the elements of risk threatening the Company's existence are very minimal.

## PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES AS PER SECTION 188

All contracts/arrangements/transactions entered by the Company during the financial year withrelated parties were in the ordinary course of business and on an arm's length basis.

**The details are as hereunder:**

| Name(s) of related party | India Infrastructure Finance CompanyLimited | | | IIFC (UK) Limited | Shri Palash Srivastava |
|---|---|---|---|---|---|
| Nature of contracts/ arrangements/ transactions | Rent, Pantry, Parking &Office Maintenance | Reimbursement of Salaries of Deputed Employee (Receivable) | Advisory Service Fee | Advisory Service Fee and reimbursements | Remuneration |
| Amount of the transaction | Rs. 103.59 Lacs | Rs. 62.11 Lacs | Rs. 118.50 Lacs | Rs. 172.05 Lacs | Rs. 55.00 Lacs |

## वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सापेक्ष बदलाव और प्रतिबद्धताएं

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई सापेक्ष बदलाव एवं प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

## ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना, विदेशी विनिमय द्वारा आय एवं व्यय

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाने, विदेशी विनिमय द्वारा आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

## ऊर्जा का संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी को अपनाना:

कंपनी द्वारा विनिर्माण गतिविधियाँ संचालित न किए जाने के कारण, ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित विवरणों का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। तथापि, कंपनी ने अपने कार्यालय परिसर में ऊर्जा खपत के संरक्षण हेतु उपयुक्त उपाय अपनाए हैं।

## विदेशी विनिमय द्वारा आय एवं व्यय:

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की विदेशी मुद्रा अर्जन राशि ₹ 172.05 लाख रही। उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय शून्य रहा।

## नियामक या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं अतिआवश्यक आदेश, जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भावी कार्यों को प्रभावित करते हैं

नियामक या न्यायालयों या प्राधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण एवं अतिआवश्यक आदेश पारित नहीं किए गए हैं जो कंपनी की वर्तमान स्थिति तथा भावी कार्यों को प्रभावित करते हैं।

## वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता

बही खातों और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आपकी कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उक्त नियंत्रण ों की समीक्षा और परीक्षण किए गए थे जिनके लिए हमारे वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा एक अध्ययन किया गया था और उसकी टिप्पणियों को बोर्ड के समक्ष स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल किया गया था।

डिजाइन एवं संचालन में कोई महत्वपूर्ण कमी उजागर नहीं गई गई थी तथा रिपोर्ट में उल्लेख था कि 31 मार्च, 2025 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

## एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का कारण सहित विवरण

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने आज तक बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं लिया है और तदनुसार मूल्यांकन के संबंध में विवरण लागू नहीं हैं।

## दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन दायर नहीं किया गया या कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

## राजभाषा

आपकी कंपनी कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। वर्ष के दौरान एनएआरएकेएसएस द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया गया।

## मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी सभी लागू श्रम कानूनों, जिसमें मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 भी सम्मिलित है, के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2024द्25 के दौरान, पात्र महिला कर्मचारियों को लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार मातृत्व लाभ प्रदान किए गए।

## सामान्य

आपके निदेशकों ने यह बताया है कि उन विभिन्न मदों के संबंध में कोई प्रकटन देने या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है जो केवल सूचीबद्ध कंपनियों अथवा वहां, जहां समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेनदेन न हुआ हो, पर लागू होती है।

## MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THEFINANCIAL POSITION

No material changes and commitments affecting the financial position of the Company.

## CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, AND FOREIGNEXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The details of conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings, and outgo are as follows:

### Conservation of energy and Technology absorption:

The Company is not required to disclose particulars relating to conversation of energy and technology absorption as your company does not undertake manufacturing activity. However, the Company has taken adequate measures to conserve energy consumption in the office premises.

### Foreign exchange earnings and Outgo:

During the financial year ended March 31, 2025, the Company had INR 172.05 Lakh foreign exchange earnings.The foreign currency outgo during the financial year ended March 31, 2025, was NIL.

## SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATOR OR COURTS, OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND THE COMPANY'S OPERATIONS IN THE FUTURE

There are no significant and material orders passed by the regulator or courts, or tribunals impacting the going concern status and the company's operations in the future.

## ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Your company has in place adequate internal financial controls with reference to the closing of books of accounts and financial statements. During the year under review, such controls werereviewed and tested through a study conducted by our statutory auditor, and the observations were incorporated as part of the Independent Auditor's Report placed before the Board.

There were no reportable material weaknesses in the design or operations, and the report stated that internal financial controls were operating effectively as of March 31, 2025.

## THE DETAILS OF THE DIFFERENCE BETWEEN THE AMOUNT OF THE VALUATION DONE AT THE TIME OF ONE TIME SETTLEMENT AND THE VALUATION DONEWHILE TAKING A LOAN FROM THE BANKS OR FINANCIAL INSTITUTIONS, ALONG WITH THE REASONS THEREOF

IIFCL Projects Limited has not availed loans from Banks or Financial Institutions till date, andaccordingly, details with regard to valuation are not applicable.

## DISCLOSURE UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016

There were no applications filed or pending proceedings under the Insolvency and BankruptcyCode, 2016 during the Financial Year 2024-25.

## OFFICIAL LANGUAGE

Your Company ensures compliance with the Official Language Act, 1963, and the Official Language Rules, 1976, and other guidelines issued every year by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, to promote the use of the Official Language Hindi in the office. There has been participation in workshops organized by NARAKAS during the year.

## DISCLOSURE UNDER THE MATERNITY BENEFIT ACT, 1961

The Company is committed to ensuring compliance with all applicable labour laws, including

the Maternity Benefit Act, 1961. During the Financial Year 2024–25, maternity benefits were extended to eligible women employees as per the applicable statutory requirements.

इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 ख्2013 का 14, के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

आपके निदेशक यह भी निवेदन करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई।

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निपटाई गई यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का सारांश निम्नानुसार है:

| | | |
|---|---|---|
| क. | वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या | – शून्य |
| ख. | वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या | – शून्य |
| ग. | नब्बे दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की संख्या | – शून्य |

## आभार

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल भारत सरकार, राज्य सरकार तथा मूल कंपनी आईआईएफसीएल के प्रति कंपनी की प्रगति में उनके निरंतर सहयोग एवं समर्थन के लिए अपनी हार्दिक प्रशंसा एवं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है। निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा कंपनी के लेखा परीक्षकों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं परामर्श के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता है।

आपके निदेशक कंपनी के निदेशक मंडल के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनके मार्गदर्शन एवं मूल्यवान निर्देशन से कंपनी अपने उद्देश्यों की दिशा में अग्रसर रहने में सक्षम होगी।

आपके निदेशकगण सभी स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम एवं समर्पित प्रयासों की गहन सराहना करते हैं तथा कंपनी के मिशन एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में उनके निरंतर योगदान की अपेक्षा करते हैं।

**कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से**
**आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड**

हस्ता/–
**पलाश श्रीवास्तव**
निदेशक एवं अध्यक्ष
डीआईएन – 02007911

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26.09.2025

## GENERAL

Your Directors further state that no disclosure or reporting is required in respect of various items, which are only applicable to listed companies or where there were no transactions duringthe year under review.

Further, in accordance with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Company is committed to ensuring a safe and respectful work environment.

During the Financial Year 2024-25, the company has complied with provisions relating to the constitution of the Internal Complaints Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 [14 of 2013].

Your Directors state that during the financial year ended on March 31, 2025, there were no cases filed pursuant to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

The following is a summary of sexual harassment complaints received and disposed of duringthe year:

| | | |
|---|---|---|
| a. | Number of complaints of sexual harassment received in the year | - NIL |
| b. | Number of complaints disposed-off during the year | - NIL |
| c. | Number of cases pending for more than ninety days | - NIL |

## ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors of your Company would like to place on record their sincere appreciation and gratitude to the Government of India, State Government, and parent IIFCL forproviding their continued support and cooperation in the growth of the Company. The Board is also thankful to the Comptroller and Auditor General of India and the Auditors of the Company for their valuable guidance and advice.

Your Directors place on record their sincere gratitude to the Board of the Company, whose guidance and valuable direction will enable it to tread the path towards the objective.

Your Directors express their deep appreciation for the hard work and dedicated efforts put in by the employees at all levels, and look forward to their continued contribution in achieving the mission and objectives of the Company.

**For and on behalf of the Board of Directors**

**IIFCL PROJECTS LIMITED**

Sd/-
**Palash Srivastava**
Director and Chairman
DIN – 02007911

Place: New Delhi
Date: 26.09.2025

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

## आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली (''कम्पनी'') के संलग्न एंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक विवरण (यहां के बाद एंड एएस वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

### राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और हमें दी गई व्याख्या के अनुसरण में, उपरोक्त कथित एंड एएस वित्तीय विवरण अपेक्षित प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हें और भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों का पालन सहित 31 मार्च, 2025 को कम्पनी की वित्तीय स्थिति का एंड एएस और इसके वित्तीय कार्यप्रर्दषन, इसके नकदी प्रवाह विवरण और उस तिथि को वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

### राय का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्देषित लेखापरीक्षा पर मानक (एसए) के अनुरूप हमारी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों पर हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी में आगे वर्णित की गई है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ कंपनी अधिनियम, 2013

प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी के लिए स्वतंत्र हैं और हमने नैतिक संहिता की इन आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी अन्य सभी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाया है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु उचित एवं पर्याप्त हैं।

### मुख्य लेखा परीक्षण विषय

मुख्य लेखा परीक्षण विषय वे विषय हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इनका विवरण निम्नानुसार है:

1. हमारे लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कर्मचारियों को प्रदान किए गए कुछ त्योहार अग्रिम कंपनी की आंतरिक नीति के अनुसार निर्धारित समय–सीमा के भीतर वसूल नहीं किए गए। प्रबंधन ने ऐसे अग्रिमों की पहचान कर संबंधित कर्मचारियों के लेखा खातों में बकाया राशि को आगामी वित्तीय वर्ष में वसूली हेतु दर्ज किया है। इस संदर्भ में हमने प्रकटीकरण और लेखांकन उपचार की पर्याप्तता पर विचार किया है।

2. हमने पाया कि कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 से कर्मचारियों को दिए जाने वाले व्यक्तिगत ऋणध्अग्रिम पर लागू ब्याज दर में संशोधन किया। संशोधित दर उस तिथि पर बकाया अग्रिमों तथा उसके पश्चात दिए गए नए ऋणों दोनों पर लागू थी। तथापि, इंड एएस 109 एवं इंड एएस 19 के अनुसार आवश्यक लेखांकन समायोजन केवल वित्तीय वर्ष 2024–25 में दर्ज किए गए। हमने इस प्रतिगामी लेखांकन के प्रभाव का आकलन किया तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।

3. वर्षांत पर व्यापारिक एवं अन्य देय राशियों की एक महत्वपूर्ण संख्या संबंधित पक्षों से पुष्टि के लिए लंबित है। ऐसी पुष्टियों के अभाव में इन शेष राशियों की सटीकता, पूर्णता और वसूलीयोग्यता का स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया जा सका। यदि कोई परिणामी समायोजन आवश्यक हो, तो उसका संभावित वित्तीय प्रभाव वर्तमान में अनिश्चित है।

4. हमने कंपनी की पुस्तकों में दर्ज व्यापारिक देय राशियों और कुछ पक्षों से प्राप्त बाहरी शेष पुष्टि के अनुसार दर्शाई गई राशियों में महत्वपूर्ण अंतर पाया। इससे व्यापारिक देय राशियों के गलत प्रस्तुतीकरण, अप्रतिबंधित समायोजन अथवा संभावित ऋण हानि का जोखिम बढ़ जाता है। प्रबंधन ऐसे अंतरों के सामंजस्य की प्रक्रिया में है। हमने इन विसंगतियों के प्रभाव का मूल्यांकन वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के संदर्भ में किया है।

# INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**TO**

**THE MEMBERS OF IIFCL PROJECTS LIMITED**

**Report on Audit of the Financial Statements**

## Opinion

We have audited the accompanying Ind As financial statements of **IIFCL PROJECTS LIMITED,NEW DELHI** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year ended on that date, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "Ind As financial statements").

## Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, , the aforesaid Ind AS financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025 and its profit and loss, total comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

## Basis for Opinion

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the independence requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

## Key Audit Matters

Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. The same are enumerated hereunder:

1. During the course of our audit, it was observed that certain festival advances extended to employees were not recovered within the timelines prescribed under the Company's internal policy. The management has identified such advances and recorded the outstanding balances in the respective employee ledgers for recovery in the subsequent financial year. We have considered the adequacy of the disclosure and accounting treatment in this regard.
2. We noted that the Company revised the interest rate applicable on employee personal loans/advances with effect from 1st April 2021. The revised rate was applicable to both outstanding advances as on that date and new disbursements thereafter. However, the requisite accounting adjustments as per Ind AS 109 and Ind AS 19 have been recorded only during the financial year 2024–25. We have assessed the impact of such retrospective accounting and evaluated the adequacy of disclosures made by management.
3. A significant number of trade and other receivable balances as at year-end are pending confirmation from respective counterparties. In the absence of such confirmations, the accuracy, completeness, and recoverability of these balances could not be independently verified. The potential financial impact of any consequential adjustments, if required, is currently unascertained.
4. We observed material variances between the balances of trade receivables as per the Company's books and those as per external balance confirmations received from certain parties. This increases the risk of misstated

5. हमारे मत में, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों एवं उनकी वसूली से संबंधित आंतरिक नियंत्रण कंपनी के संचालन के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त नहीं हैं। चूंकि यह इकाई एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (चैन) है, इसलिए एक सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपेक्षित है। हमारा अवलोकन त्योहार अग्रिमों एवं कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की वसूली में विलंब तथा बकाया देय राशियों के लिए प्रभावी अनुवर्ती तंत्र के अभाव जैसे उदाहरणों पर आधारित है।

6. इकाई द्वारा अपनी मूल कंपनी के साथ शेष राशियों एवं लेन–देन का नियमित या आवधिक सामंजस्य नहीं किया जा रहा है। इससे अंतर–कंपनी खातों में अप्रत्याशित त्रुटियों या असंगतियों का जोखिम उत्पन्न होता है, जो रिपोर्ट की गई शेष राशियों की सटीकता को प्रभावित कर सकता है। हमारे लेखा परीक्षण में उपलब्ध सामंजस्य विवरण प्राप्त करना एवं उनका परीक्षण करना, असामंजस्य के कारणों का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन के साथ उनके प्रभावों पर चर्चा करना शामिल था।

## वित्तीय विवरणों एवं उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक प्रतिवेदन, निदेशक प्रतिवेदन के परिशिष्ट तथा शेयरधारकों की जानकारी सम्मिलित है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय इस अन्य जानकारी को आच्छादित नहीं करती है तथा हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अन्य जानकारी का अवलोकन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारे लेखा परीक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने हेतु कुछ भी नहीं है।

## इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह का इंड एएस तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं निष्पक्ष (ज्तनम ंदक थ्पत) दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

यह जिम्मेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का संधारण करने, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान करनेय उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोगय युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमानों के निर्माणय तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्पन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण को भी सम्मिलित करती है, जो प्रभावी रूप से संचालित हों, ताकि लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित हो सके और ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति हो सके जो सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करें तथा चाहे धोखाधड़ी से या त्रुटि से उत्पन्न किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि से मुक्त हों।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी करते समय, प्रबंधन कंपनी की निरंतर संचालन (ळवपदह ब्वदबमतद) के रूप में कार्य करने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो वहाँ निरंतर संचालन से संबंधित विषयों का प्रकटीकरण करने तथा लेखांकन के लिए निरंतर संचालन के आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी के परिसमापन या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो या उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई यथार्थ विकल्प न हो। प्रबंधन के परिसमापन संबंधी इरादे के संबंध में लेखा परीक्षक का अवलोकन "अन्य विषय" अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

## इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संबंध में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करने हेतु युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से, चाहे धोखाधड़ी के कारण या त्रुटि के कारण, किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि (डंजमतपंस डपेजंजमउमदज) से मुक्त हैं, तथा एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि भारतीय लेखा परीक्षण मानकों ै()) के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षण प्रत्येक स्थिति में विद्यमान महत्वपूर्ण त्रुटि का पता लगा ही लेगा। त्रुटियाँ धोखाधड़ी या गलती के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हों।

trade receivables, unrecorded adjustments, or potential credit losses. The management is in the process of reconciling such differences. We have assessed the implications of these discrepancies in the context of the financial reporting framework.

5. In our view, the internal controls relating to employee advances and recoveries are not commensurate with the size and nature of operations of the Company. Given that the entity is a Public Sector Undertaking (PSU), a stronger internal control framework is expected. Our observation is based on instances such as the delay in recovery of festival advances and loans to employees and the absence of a robust follow-up mechanism for outstanding receivables.

6. The unit has not been performing frequent or regular reconciliations of balances and transactions with its parent company. This raises a risk of unidentified mismatches or errors in inter-company accounts, which may affect the accuracy of reported balances. Our audit procedures included obtaining and reviewing available reconciliation statements, evaluating the reasons for non-reconciliation, and discussing the implications with management.

## Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises the information included in the Director's Report including Annexures to Directors' Report and Shareholder's Information but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements, or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

## Management's Responsibility for the Ind AS Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, total comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Ind AS financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The observation of the auditor with regards to management's intention for liquidation has been stated in other matters paragraph.

The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

## Auditor's Responsibilities for the Audit of the Ind AS Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

SAs के अनुरूप लेखा परीक्षण के दौरान हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं तथा पूरे लेखा परीक्षण में पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, हम निम्नलिखित कार्य करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण त्रुटि के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होंय उन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार कर उन्हें निष्पादित करते हैंय तथा पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करें। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण त्रुटि का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न जोखिम की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, भ्रामक प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण का अतिक्रमण शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षण के प्रयोजन हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखा परीक्षण प्रक्रियाएँ निर्धारित की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अंतर्गत, हम इस विषय में भी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं।
- प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के निरंतर संचालन (ळवपदह ब्वदबमतद) आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं तथा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर यह आकलन करते हैं कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की निरंतर संचालन की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा, यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो, तो अपनी राय में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित होते हैंय तथापि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी को निरंतर संचालन बंद करने के लिए विवश कर सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय–वस्तु, जिसमें प्रकटीकरण शामिल हैं, का मूल्यांकन करते हैं तथा यह देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण आधारभूत लेन–देन एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति (थ्पत च्तमेमदजंजपवद) सुनिश्चित हो।

महत्वपूर्णता वित्तीय विवरणों में त्रुटियों की वह परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से इंड एएस वित्तीय विवरणों के एक युक्तिसंगत रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। हम लेखा परीक्षण की परिधि की योजना बनाते समय तथा अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करते समय मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों कारकों पर विचार करते हैं, तथा वित्तीय विवरण ों में पहचानी गई किसी भी त्रुटि के प्रभाव का आकलन करते हैं।

हम शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों (जेवेम बैंतहमक पूजी ळवअमतदंदबम) को, अन्य विषयों के साथ–साथ, लेखा परीक्षण की नियोजित परिधि एवं समय–सीमा तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं, से अवगत कराते हैं।

हम शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह भी सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उन सभी संबंधों एवं अन्य विषयों की जानकारी देते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी अवगत कराते हैं।

## अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कंपनियां (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम "परिशिष्टद्।" में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट विषयों पर अपना विवरण प्रस्तुत करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम निम्नलिखित प्रतिवेदन करते हैं:
   a. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, लेखा परीक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए हैं।
   b. विधि द्वारा अपेक्षित उपयुक्त लेखा पुस्तकों का कंपनी द्वारा संधारण किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।
   c. इस प्रतिवेदन में सम्मिलित बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु संधारित लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Ind AS financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

## Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of section 143 (11) of the Act, we give in the' **"Annexure-A"** a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the Order.
2. As required by section 143 (3) of the Act, we report that:
   a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
   b. Proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
   c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Statement of Cash flow dealt with by this report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of preparation of Ind AS Financial Statements.
   d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act, read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended.
   e. Being a Government Company, the provisions of section 164(2) of the Companies act, 2013 are not applicable pursuant to the notifications No. G S.R. 463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Central Government of India.
   f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "**Annexure-B**".

d. हमारे मत में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस), जिन्हें कंपनियां (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के साथ पढ़ा जाए, का अनुपालन करते हैं।

e. चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, अतः भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ळै..ट. 463 (म) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते।

f. कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं उनके संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट "परिशिष्टदृठ" में देखें।

g. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अनुपालन विवरण "परिशिष्टदृढ" में दिया गया है।

h. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ळै..ट. 463 (म) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है, अतः अधिनियम की धारा 197 (प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी) इस पर लागू नहीं होती।

i. कंपनियां (लेखा परीक्षण एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मत एवं हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पररू

   i. कंपनी के विरुद्ध कोई लंबित वाद–विवाद नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता हो, सिवाय वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 23 (संभावित देयताएँ) में उल्लिखित वाद–विवाद के।

   ii. कंपनी ने लागू विधि या लेखांकन मानकों के अनुसार दीर्घकालीन अनुबंधों, जिसमें व्युत्पन्न अनुबंध शामिल हैं, पर संभावित महत्वपूर्ण हानियों के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया है।

   iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने योग्य कोई राशि शेष नहीं थी।

   iv. कंपनी को किसी भी व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं, से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है।

   v. कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं, को कोई निधि अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में प्रदान नहीं की गई है।

   vi. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

   vii. हमारे परीक्षण (जिसमें परीक्षण जाँच शामिल थी) के आधार पर, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने अपने लेखा अभिलेखों के संधारण हेतु ऐसे लेखा सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग किया है जिसमें लेखा–पथ (।नकपज ज्तंपसध म्कपज स्वह) सुविधा उपलब्ध है, तथा यह सुविधा वर्ष भर सभी प्रासंगिक लेन–देन के लिए प्रभावी रूप से संचालित रही। इसके अतिरिक्त, हमारे लेखा परीक्षण के दौरान हमें लेखा–पथ सुविधा के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ तथा कंपनी द्वारा विधिक अभिलेख संरक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप लेखा–पथ का संधारण किया गया है।

**कृते सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 003330N

हस्ता/–
**(सीए विनय कुमार सेहगल)**
भागीदार
सदस्यता संख्याः 080517
यूडीआईएनः 25080517BMJNLM5807

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.05.2025

g. As required by the directions issued by the Comptroller and Auditor – General of India, in terms of sub section (5) of section 143 of the Companies Act, 2013 we give the compliance in **"Annexure –C"**

h. As per notification number G.S.R. 463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, section 197 of the Act as regards the managerial remuneration is not applicable to the Company, since it is a Government Company.

i. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the information and explanations given to us:

   i. The company does not have any pending litigations which would impacts its financial position, apart from the litigation as reported in **Note number 23** of the Financial Statements (Contingent liabilities).

   ii. Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts

   iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection fund by the company.

   iv. There were no funds which have been received by the company from any person or entity, including foreign entities.

   v. There were no funds which have been advanced or loaned or invested by the company to or in any other person or entity, including foreign entities.

   vi. The company has not declared dividend during the year.

   vii. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting software systems for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2025 which have the feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software systems. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with and the audit trail has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention

**For Sehgal Mehta And Co.**
**Chartered Accountants**
Firm Registration No. 003330N

Sd/-
**(CA Vinay Kumar Sehgal)**
Partner
Membership No. 080517
UDIN: 25080517BMJNLM5807

Place: New Delhi
Date: 28.05.2025

# ''अनुबंध–क'' स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सेवा में

31 मार्च, 2025 को खत्म हुए साल के लिए ठंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कंपनी के मेंबर को स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट में बताए गए एनेक्सर । के रेफरेंस में, हम ये रिपोर्ट करते हैंरू

हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें दिए गए एक्सप्लेनेशन और नॉर्मल ऑडिट के दौरान हमारे द्वारा जांचे गए अकाउंट बुक्स और रिकॉर्ड्स के अनुसार, हम कहते हैं किरू

i. कंपनी की प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट और इनटैंजिबल एसेट्स के संबंध में:

(क) (ए) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(बी) कंपनी ने इनटैन्जिबल एसेट्स की पूरी जानकारी दिखाने वाले सही रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(ख) साल के दौरान मैनेजमेंट ने प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को रेगुलर वेरिफिकेशन प्रोग्राम के हिसाब से फिजिकली वेरिफाई किया, जो हमारी राय में, कंपनी के साइज और उसके एसेट्स के नेचर को देखते हुए सही है। हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, ऐसे वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी नहीं देखी गई।

(ग) फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी के नाम पर कोई अचल प्रॉपर्टी नहीं बताई गई है।

(घ) कंपनी ने साल के दौरान अपनी किसी भी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट (राइट–ऑफ–यूज एसेट्स सहित) और इनटैंजिबल एसेट्स का रीवैल्यूएशन नहीं किया है।

(ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए वर्ष के दौरान कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2025 तक कोई लंबित नहीं है।

ii. (ए) कंपनी के पास कोई इन्वेंटरी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(बी) कंपनी को साल के दौरान किसी भी समय, बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करंट एसेट्स की सिक्योरिटी के आधार पर कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की वर्किंग कैपिटल लिमिट मंजूर नहीं हुई है , इसलिए ऑर्डर के क्लॉज 3(ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iii. कंपनी ने साल के दौरान, कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कोई निवेश नहीं किया है या दूसरी पार्टियों को अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिया हैय इसलिए ऑर्डर के क्लॉज 3(पपप) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, कंपनी ने उस साल के दौरान न तो किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को कोई लोन, सिक्योरिटी, गारंटी दी है और न ही कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके लिए कंपनीज एक्ट, 2013 का सेक्शन 185 और 186 लागू होता है। इसलिए, ऑर्डर के पैराग्राफ 3 के क्लॉज (पअ) का प्रोविजन कंपनी पर लागू नहीं होता है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज 3(अ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

vi. कंपनी द्वारा की जाने वाली बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कंपनीज एक्ट, 2013 के सेक्शन 148 के सब–सेक्शन (1) के तहत केंद्र सरकार ने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए रखने के बारे में नहीं बताया है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज (अप) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

vii. (ए) कंपनी आम तौर पर इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और दूसरे कानूनी बकाए, जो लागू हों, सही अधिकारियों के पास बिना किसी विवाद के जमा करने में रेगुलर है। कंपनी के बिजनेस के नेचर को देखते हुए, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेस और वैल्यू एडेड टैक्स कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। 31 मार्च, 2025 तक, पेमेंट होने की तारीख से छह महीने से ज्यादा समय के लिए कोई भी बिना विवाद वाला कानूनी बकाए बकाया नहीं है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कोई भी बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो।

viii. पहले से रिकॉर्ड न की गई इनकम से जुड़ा कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं था जिसे टैक्स असेसमेंट में साल के दौरान इनकम के तौर पर सरेंडर या बताया गया हो। अंतर्गत आय कर कार्य, 1961 (43 का 1961).

# "ANNEXURE A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

With reference to the Annexure A referred to in the Independent Auditors Reports to the member of the company on the Ind AS financial statements for the year ended March 31, 2025, we report the following:

To the best of our information and according to the explanations provided to us by the Company and the books of account and records examined by us in the normal course of audit, we state that:

i. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment and Intangible Assets:

(a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment and relevant details of right-of-use assets.

(B) The Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.

(b) The Property, Plant and Equipment were physically verified during the year by the management in accordance with a regular programme of verification which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the company and the nature of its assets. According to the information and explanations given to us, no discrepancy was noticed on such verification.

(c) There are no immovable properties disclosed in the Financial Statements that are held in the name of the company.

(d) The Company has not revalued any of its Property, Plant and Equipment (including right-of-use assets) and intangible assets during the year.

(e) No proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2025 for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made there under.

ii. (a) The Company does not have any inventory and hence reporting under clause 3(ii) (a) of the Order is not applicable.

(b) The Company has not been sanctioned any working capital limit in excess of ₹ 5 crore, in aggregate, at any points of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.

iii. The Company has not made any investments in, companies, firms, Limited Liability Partnerships or granted unsecured loans to other parties, during the year; hence reporting under clause 3(iii) of the Order is not applicable.

iv. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has neither given any loan, security, guarantee to any other person or other body corporate nor made any investment during the year in respect of which section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 are applicable. Accordingly, the provision of clause (iv) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the company.

v. The Company has not accepted any deposit or amounts which are deemed to be deposits. Hence, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.

vi. The maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013 for the business activities carried out by the Company. Hence, reporting under clause (vi) of the Order is not applicable to the Company.

vii. (a) The Company is generally regular in depositing undisputed statutory dues including Income Tax, Goods and Services Tax and other statutory dues, as applicable with the appropriate authorities. Considering the nature of business of the Company, Sales Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and Value Added Tax are not applicable to the Company. There are no undisputed statutory dues outstanding as at March 31, 2025 for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) According to the information and explanations given to us, there are no due of Income Tax, Sales Tax, Excise Duty, Custom Duty, Service Tax or Goods and Services Tax as at March 31, 2025which has not been deposited on account of any dispute.

viii. There were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

ix. (ए) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

(बी) कंपनी को किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सरकार या किसी सरकारी अथॉरिटी ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया है।

(सी) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है, इसलिए, रिपोर्टिंग निम्न के अंतर्गत की जा रही है खंड 3(ix) (सी) का आदेश है नहीं लागू।

(डी) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं जुटाया गया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ई) कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी जांच करने पर, पता चला कि कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनियों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी एंटिटी या व्यक्ति से कोई फंड नहीं लिया है, इसलिए ऑर्डर के क्लॉज 3 (ix) (ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(एफ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix) (एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

x. (ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(एक्स)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

(बी) साल के दौरान, कंपनी ने शेयरों या कन्वर्टिबल डिबेंचर (पूरी तरह या थोड़ा या ऑप्शनल) का कोई प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए ऑर्डर के क्लॉज 3(•) (इ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xi. (ए) कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई और न ही साल के दौरान कंपनी में कोई बड़ी धोखाधड़ी देखी गई है या रिपोर्ट की गई है।

(बी) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक केन्द्रीय सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(सी) हमें दी गई जानकारी, एक्सप्लेनेशन और रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, और हमारे जरूरी रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन के अनुसार, 31 मार्च 2025 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के दौरान, या इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी को कोई व्हिसल–ब्लोअर कंप्लेंट नहीं मिली।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए ऑर्डर के क्लॉज (•पप) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है ।

xiii. हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार और किए गए ऑडिट प्रोसीजर के आधार पर, कंपनी ने कंपनीज एक्ट, 2013 के सेक्शन 177 और 188 के अनुसार, जहाँ लागू हो, रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन किए हैं। ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताई गई हैं, जैसा कि लागू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जरूरी है।

xiv. (ए) हमारी राय में, कंपनी का एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम है जो मोटे तौर पर उसके बिजनेस के साइज और नेचर के हिसाब से है। हालांकि, ऑडिट के दौरान, कुछ कंट्रोल कमजोरियां देखी गईं, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल्स का अनरिकंसाइल्ड बैलेंस (जैसा कि की मैटर पैराग्राफ में बताया गया है) शामिल है, जो बताता है कि मौजूदा इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म को कस्टमर ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और लेजर रिकंसीलिएशन के मामले में और मजबूत करने की जरूरत हो सकती है ।

(बी) कंपनीज एक्ट, 2013 के सेक्शन 138 के नियम, जो इंटरनल ऑडिटर की जरूरी नियुक्ति से जुड़े हैं, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, कंपनी ने अपनी मर्जी से एक इंटरनल ऑडिटर नियुक्त किया है, और हमारी रिपोर्ट के लिए इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट पर विचार किया गया है।

xv. इस साल के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या निदेशकों से जुड़े लोगों के साथ कोई भी नॉन–कैश ट्रांजैक्शन नहीं किया है, इसलिए कंपनीज एक्ट, 2013 के सेक्शन 192 के प्रोविजन कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. (ए) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–८। के तहत रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज 3 (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(बी) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई मुख्य निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि मुख्य निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi) (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xvii. हमारे ऑडिट में शामिल फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंपनी को कोई कैश लॉस नहीं हुआ है और इससे पिछला वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी स्टैच्युटरी ऑडिटर ने इस्तीफा नहीं दिया है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी वैधानिक लेखों ने इस्तीफा नहीं दिया है।

ix. (a) The Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings from any lender.

(b) The Company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.

(c) The Company has not taken any term loan during the year and there are no outstanding term loans at the beginning of the year and hence, reporting under clause 3(ix) (c) of the Order is not applicable.

(d) On an overall examination of the financial statements of the Company, no funds have been raised on short-term basis have, hence, reporting under clause 3 (ix) (d) of the Order is not applicable.

(e) On an overall examination of the financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, hence, reporting under clause 3 (ix) (e) of the Order is not applicable.

(f) The Company has not raised any loans during the year and hence reporting on clause 3(ix) (f) of the Order is not applicable.

x. (a) The Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year and hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.

(b) During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partly or optionally) and hence reporting under clause 3(x) (b) of the Order is not applicable.

xi. (a) No fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.

(b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.

(c) Based on the information, explanations & representations provided to us, and as per our verification of relevant records, no whistle-blower complaints were received by the Company during the financial year ended 31st March 2025, or up to the date of this report.

xii. The Company is not a Nidhi Company and hence reporting under clause (xii) of the Order is not applicable.

xiii. According to the information and explanations given to us and based on the audit procedures conducted, the Company has entered into transactions with related parties in compliance with Sections 177 and 188 of the Companies Act, 2013, where applicable. The details of such related party transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.

xiv. (a) In our opinion, the Company has an internal audit system that is broadly commensurate with the size and nature of its business. However, during the course of the audit, certain control weaknesses were noted, including **unreconciled balances of trade receivables** (as mentioned in Key Matter Paragraph), which indicate that the existing internal audit mechanisms may require further strengthening in respect of **customer transaction monitoring along ledger reconciliations**.

**(b)** The provisions of Section 138 of the Companies Act, 2013, relating to the mandatory appointment of an internal auditor, are **not applicable** to the Company. However, the Company has voluntarily appointed an internal auditor, and the report of internal auditor has been considered for our report.

xv. In our opinion during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected with its directors and hence provisions of section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

xvi. (a) In our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3 (xvi) (a), (b) and (c) of the Order is not applicable.

(b) In our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi) (d) of the Order is not applicable.

xvii. The Company has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year.

xviii. There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.

xix. फाइनेंशियल रेश्यो, एजिंग और फाइनेंशियल एसेट्स के रियलाइजेशन और फाइनेंशियल लायबिलिटीज के पेमेंट की एक्सपेक्टेड डेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ दी गई दूसरी जानकारी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट प्लान्स के बारे में हमारी जानकारी और अजम्पशन्स को सपोर्ट करने वाले सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें लगे कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, जो यह बताए कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक साल के समय के अंदर बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी लायबिलिटीज को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी के भविष्य के वायबिलिटी के बारे में कोई एश्योरेंस नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के फैक्ट्स पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई एश्योरेंस देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक साल के समय के अंदर आने वाली सभी लायबिलिटीज, कंपनी द्वारा उनके आने पर चुका दी जाएंगी।

xx. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3 (xx) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है ।

**कृते सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 003330N

हस्ता/–
**(सीए विनय कुमार सेहगल)**
भागीदार
सदस्यता संख्याः 080517
यूडीआईएनः 25080517BMJNLM5807

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.05.2025

xix. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

xx. There are no amounts required to be spent towards Corporate Social Responsibility (CSR) as per Sec 135 of the Companies Act, 2013, hence reporting under clause 3 (xx) of the Order is not applicable.

**For Sehgal Mehta And Co.**
**Chartered Accountants**
Firm Registration No. 003330N

Sd/-
**(CA Vinay Kumar Sehgal)**
Partner
Membership No. 080517
UDIN: 25080517BMJNLM5807

Place: New Delhi
Date: 28.05.2025

# ''अनुबंध–ख'' स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सेवा में

**अनुलग्नक "ख" दिनांक समान की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जो आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को संबोधित है, में संदर्भित – 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में।**

## कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद 143 के उप–अनुच्छेद 3 की धारा (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 को आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबद्ध हैं।

## वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन उन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तय करने और उनके रखरखाव का जिम्मेदार है जो कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदण्ड के आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिग्दर्शी टिप्पणी में आंतरिक नियंत्रण का अनिवार्य अंग मानते हुए कंपनी द्वारा उस पर विचार किया गया है।

इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त माने जाने वाले आंतरिक वित्तीय निमंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है, जो प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे ताकि इसके बिजनेस को सही रूप में और कुशलतापूर्वक चलाना सुनिश्चित करने के साथ ही कंपनी की नीतियों का पालन हो सके, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा हो सके, धोखघड़ी तथा त्रुटियों का पता लगाया तथा उन्हें दूर किया जा सके, लेखा रिकार्ड सटीक तथा पूर्ण हो सकें, विश्वसनीय वित्तीय जानकारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में अपेक्षित है, समय से तैयार हो सके।

## लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमसी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपनी राय व्यक्त करना है हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शी टिप्पणी) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षा की मागदर्शी टिप्पणी के अनुरूप अपनी लेखापरीक्षा की है और लेखापरीक्षा के मानक इंस्ट्रीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं तथा जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए इस प्रकार लागू है कि दोनों मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं तथा दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं उक्त मानक तथा अपेक्षित मार्गदर्शी टिप्पणी का हमने अनिवार्य अपेक्षा और योजना के साथ अनुपालन किया है तथा यह समुचित आश्वासन पाने के लिए लेखापरीक्षा की है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और उसे बनाए रखा गया था और क्या हर तरह से उक्त नियंत्रण प्रभावी ढंग से संचालित था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रभाविता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की जानकारी प्राप्त करना शामिल है जिसमें एक सापेक्ष रूप से मौजूदा कमजोरी के जोखिम का आकलन और आकलित जोखिम के आधर पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन की प्रभाविता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों में दी गई सामग्री की गलतबयानी के जोखिमों के आकलन पर भी आधारित होती है, चाहे वे विवरण धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि के कारण दिए गए हों।

## वित्तीय रिपोर्टिंगं पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रंण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण किसी कंपनी की एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराने तथा बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की गई है, जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कंपनी की वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1) रिकार्डों के रखरखाव के संबंद्ध होती हैं, जो समुचित विवरण लिए, कंपनी की परिसंपत्तियों के ट्रांजेक्शंस और अवस्थिति की सटीक और सही स्थिति दर्शाती हैं, (2) उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराती हैं कि ट्रांजेक्शंस उस रूप में दर्ज की जाती हैं जिनसे वित्तीस विवरण तैयार

# "ANNEXURE–B" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**Annexure-"B" referred to the Independent Auditor's Report of even date to the Members of IIFCL PROJECTS LIMITED LIMITED ("the Company") on the financial statements for the year ended March 31, 2025**

## Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of IIFCL PROJECTS LIMITED ("the Company") as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

## Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to financial statements based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

## Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013 and the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

## Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

करने की अनुमति, सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप प्राप्त होती है और यह कंपनी की प्राप्तियों आर व्यय के विवरण कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के द्वारा मिले प्राधिकार के अनुरूप ही तैयार किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधि ाग्रहण, उपयोग अथवा अवस्थिति को रोके जाने अथवा समय से पता लग पाने संबंधी उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराती हैं, जो वित्तीय विवरणों पर सापेक्ष प्रभाव डाल सकते हैं।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की आंतरिक सीमा

अपनी अंतनिहित सीमाओं के कारण, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के साथ–साथ टकराव की संभावना अथवा अनुचित प्रबंधन से नियंत्रण बस के बाहर हो जाते हैं, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण विवरणों की गलतबयानी हो सकती है और उनका पता नहीं लग पाता है। साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन की भावी संभावना से जोखिम उत्पन्न हो सकता है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट आ सकती है।

## राय

हमारी राय में, विवरणों के संबंध में, कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोटिंग पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय नियंत्रण ों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के अनिवार्य अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा निर्धारित आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदण्ड पर आधारित थे।

**कृते सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 003330N

हस्ता/–
**(सीए विनय कुमार सेहगल)**
भागीदार
सदस्यता संख्याः 080517
यूडीआईएनः 25080517BMJNLM5807

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.05.2025

## Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Due to the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

## Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**For Sehgal Mehta And Co.**
**Chartered Accountants**
Firm Registration No. 003330N

Sd/-
**(CA Vinay Kumar Sehgal)**
Partner
Membership No. 080517
UDIN: 25080517BMJNLM5807

Place: New Delhi
Date: 28.05.2025

# ''अनुबंध–ग'' स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सेवा में

## 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लि. के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश

| क्र. सं. | निर्देश | लेखापरीक्षा उत्तर |
|---|---|---|
| (i) | क्या कंपनी के पास सभी लेखा लेन–देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने हेतु कोई प्रणाली उपलब्ध है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखा लेन–देन के प्रसंस्करण का खातों की अखंडता पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा यदि कोई वित्तीय प्रभाव हो तो उसका उल्लेख करें। | कंपनी के पास सभी लेखा लेन–देन को संसाधित करने के लिए आईटी प्रणाली उपलब्ध है। सभी लेखा लेन–देन आईटी प्रणाली के माध्यम से ही अभिलेखित किए जाते हैं तथा खातों की अखंडता पर इसका कोई प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव नहीं है। |
| (ii) | क्या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या ऋण/ब्याज आदि की माफी/राइट–ऑफ किया गया है? यदि हाँ, तो उसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। | वर्तमान में कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है। अतः ऋण के पुनर्गठन, माफी या ऋणध्याज आदि के राइट–ऑफ का कोई मामला नहीं है। |
| (iii) | क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं हेतु प्राप्त/प्राप्य निधियों का उनके नियम एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन एवं उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों का विवरण दें। | वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान केंद्रीयध्राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना हेतु कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्राप्त निधियों के नियम एवं शर्तों के अनुसार लेखांकन या उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। |

**कृते सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 003330N

हस्ता/–
**(सीए विनय कुमार सेहगल)**
भागीदार
सदस्यता संख्याः 080517
यूडीआईएनः 25080517BMJNLM5807

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.05.2025

# "ANNEXURE–C" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**Directions under section 143(5) of Companies Act 2013 and as per the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India on Financials of M/s IIFCL PROJECTS LTD for the financial year ended 31st March 2025.**

| S.No | Directions | Auditor's Replies |
|---|---|---|
| (i) | Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated. | The company has system in place to process all the accounting transaction through IT system. All accounting transactions are accounted for through IT System and there is no financial implication on the integrity on the accounts. |
| (ii) | Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. | Presently, there is no loan taken by the Company and hence, there is no case of restructuring, waiver or write off of debt or loan or interest etc. |
| (iii) | Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/ State agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and condition? List the cases of deviation. | No, funds have been received for any specific schemes from central state agencies during the FY 2024-25. Hence there is no applicability for accounting/ utilization of funds so received as per terms and conditions of disbursement. |

**For Sehgal Mehta And Co.**
**Chartered Accountants**
Firm Registration No. 003330N

Sd/-
**(CA Vinay Kumar Sehgal)**
Partner
Membership No. 080517
UDIN: 25080517BMJNLM5807

Place: New Delhi
Date: 28.05.2025

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
# 31 मार्च 2025 को तुलन पत्र

(भारतीय लाख रु. में)

| | विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2025 की स्थिति लेखापरीक्षित) | 31 मार्च 2024 की स्थिति लेखापरीक्षित) |
|---|---|---|---|---|
| I | **परिसंपत्तियां** | | | |
| 1 | **गैर–वर्तमान परिसंपत्तिया** | | | |
| | क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण | 2 | 15.41 | 11.95 |
| | (ख) प्रगतिषील पूंजीगत कार्य | 3 | 1.91 | 0.51 |
| | ग) अन्य मूर्त परिसंपत्तियां | | | - |
| | (घ) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | |
| | (i) निवेश | | - | - |
| | (ii) ऋण | 4.1 | 110.74 | 117.18 |
| | (iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 4.2 | - | - |
| | ङ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) | 5 | 91.69 | 71.69 |
| | (च) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तिया | 6 | 38.52 | 49.94 |
| | **कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तिया** | | **258.27** | **251.27** |
| 2 | **वर्तमान परिसंपत्तियां** | | | |
| | (क) वित्तीय परिसंपत्तियां | 7 | | |
| | (i) प्राप्य व्यापार | 7.1 | 699.48 | 509.17 |
| | (ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य | 7.2 | 900.54 | 595.51 |
| | (iii) उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक शेष | 7.3 | 1,203.50 | 1,462.01 |
| | (iv) ऋण | 7.4 | 14.53 | 13.61 |
| | (v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 7.5 | 39.31 | 50.28 |
| | (ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां | 8 | 128.90 | 19.16 |
| | (ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) | 9 | 20.87 | 143.07 |
| | **कुल वर्तमान परिसंपत्तियां** | | **3,007.13** | **2,792.81** |
| | | | | |
| | **कुल परिसंपत्तियां** | | **3,265.40** | **3,044.08** |
| II | **इक्विटी और देयताएं** | | | |
| 1 | **इक्विटी** | | | |
| | क) इक्विटी शेयर पूंजी | 10 | 475.00 | 475.00 |
| | ख) अन्य इक्विटी | 11 | 2,181.56 | 2,098.20 |
| | **कुल इक्विटी** | | **2,656.56** | **2,573.20** |
| 2 | **देयताएं** | | | |
| | **गैर–वर्तमान देयताएं** | | | |
| | क) वित्तीय देयताएं | | | |
| | (i) व्यापार देय | | - | - |
| | (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | | - | - |
| | ख) प्रावधान | 12 | **230.62** | **179.28** |
| | ग) आस्थगित कर देयताए | | - | - |
| | घ) अन्य गैर–वर्तमान देयताएं | | - | - |
| | **कुल गैर–वर्तमान देयताएं** | | **230.62** | **179.28** |
| | **वर्तमान देयताएं** | | | |
| | क) वित्तीय देयताएं | 13 | 156.32 | 70.99 |
| | (i) व्यापार देय | 13.1 | 25.67 | 82.43 |
| | (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 13.2 | 83.99 | 66.31 |
| | ख) कुल वर्तमान देयताएं | 14 | 112.23 | 71.89 |
| | ग) प्रावधान | 12 | - | |
| | घ) वर्तमान कर देयाताएं (शुद्ध) | 9 | | |
| | | | | |
| | **कुल वर्तमान देयताएं** | | **378.22** | **291.62** |
| | | | | |
| | **कुल देयताएं** | | **3,265.40** | **3,044.08** |
| | **महत्वपूर्ण लेखा नीतियां** | 1 | | |

***संलग्न टिप्पणियाँ 1 से 10 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।***

कृते **सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण सं.: 003330N

हस्ता/–
**सीए विनय कुमार सहगल**
(साझेदार)
सदस्यता सं.: 080517

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2025

**कृते निदेशक मंडल की ओर से**
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता/–
**संजीव कुमार**
(निदेशक एवं सीईओ)
डीआईएन: 08828758

हस्ता/–
**पी. आर. जयशंकर**
(अध्यक्ष एवं निदेशक)
डीआईएन: 6711526

# IIFCL PROJECTS LIMITED
# BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(INR in Lakhs)

| | Particulars | Note No. | As at 31st March 2025 (Audited) | As at 31st March 2024 (Audited) |
|---|---|---|---|---|
| I | **ASSETS** | | | |
| 1 | **Non-current assets** | | | |
| | (a) Property, Plant and equipment | 2 | 15.41 | 11.95 |
| | (b) Other Intangible assets | 3 | 1.91 | 0.51 |
| | (c) Capital work-in-progress | | | - |
| | (d) Financial Assets | | | |
| | (i) Investments | | - | - |
| | (ii) Loans | 4.1 | 110.74 | 117.18 |
| | (iii) Other financial assets | 4.2 | - | - |
| | (e) Deferred tax assets (Net) | 5 | 91.69 | 71.69 |
| | (f) Other non-current assets | 6 | 38.52 | 49.94 |
| | **Total non-current assets** | | **258.27** | **251.27** |
| 2 | **Current assets** | | | |
| | (a) Financial Assets | 7 | | |
| | (i) Trade Receivables | 7.1 | 699.48 | 509.17 |
| | (ii) Cash and cash equivalents | 7.2 | 900.54 | 595.51 |
| | (iii) Bank Balances other than (ii) above | 7.3 | 1,203.50 | 1,462.01 |
| | (iv) Loans | 7.4 | 14.53 | 13.61 |
| | (v) Other financial assets | 7.5 | 39.31 | 50.28 |
| | (b) Other Current Assets | 8 | 128.90 | 19.16 |
| | (c) Current Tax Asset (Net) | 9 | 20.87 | 143.07 |
| | **Total Current assets** | | **3,007.13** | **2,792.81** |
| | **Total Assets** | | **3,265.40** | **3,044.08** |
| II | **EQUITY & LIABILITIES** | | | |
| 1 | **Equity** | | | |
| | (a) Equity Share Capital | 10 | 475.00 | 475.00 |
| | (b) Other Equity | 11 | 2,181.56 | 2,098.20 |
| | **Total Equity** | | **2,656.56** | **2,573.20** |
| 2 | **Liabilities** | | | |
| | **Non Current Liabilities** | | | |
| | (a) Financial liablities | | | |
| | (i) Trade Payables | | - | - |
| | (ii) Other Financial Liabilities | | - | - |
| | (b) Provisions | 12 | **230.62** | **179.28** |
| | (c) Defered Tax Liabilities | | - | - |
| | (d) Other Non Current Liabilities | | - | - |
| | **Total Non-Current Liabilities** | | **230.62** | **179.28** |
| | **Current liabilities** | | | |
| | (a) Financial Liabilities | 13 | 156.32 | 70.99 |
| | (i) Trade payables | 13.1 | 25.67 | 82.43 |
| | (ii) Other financial liabilities | 13.2 | 83.99 | 66.31 |
| | (b) Other current liabilities | 14 | 112.23 | 71.89 |
| | (c) Provisions | 12 | - | |
| | (d) Current Tax liability (Net) | 9 | | |
| | **Total Current Liabilities** | | **378.22** | **291.62** |
| | **Total Liabilities** | | **3,265.40** | **3,044.08** |
| | **Significant Accounting Policies** | 1 | | |

**Accompanying notes 1 to 10 form an integral part of financial statements**

For **Sehgal Mehta & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 003330N

Sd/-
**CA Vinay Kumar Sehgal**
(Partner)
Membership No.: 080517

**For and on behalf of the Board of Directors**
IIFCL Projects Limited

Sd/-
**Sanjeev Kumar**
(Director & CEO)
DIN: 08828758

Sd/-
**P R Jaishankar**
(Chairman & Director)
DIN: 6711526

Place: New Delhi
Date: 28.05.2025

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
# 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
# लाभ और हानि का विवरण

(भारतीय लाख रु. में)

| | विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2025 की स्थिति (लेखापरीक्षित) | 31 मार्च 2024 की स्थिति (लेखापरीक्षित) |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **प्रचालनों से राजस्व** | **15** | 1,757.78 | 1,560.11 |
| **II** | **अन्य आय** | **16** | 345.40 | 143.88 |
| | **कुल राजस्व (I+II)** | | **2,103.18** | **1,703.99** |
| **III** | **व्यय** | | | |
| | कर्मचारी हितलाभ व्यय | **17** | 1,420.32 | 1,210.31 |
| | मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय | **2 & 3** | 10.66 | 8.72 |
| | अन्य व्यय | **18** | 465.62 | 213.86 |
| | **कुल व्यय (III)** | | **1,896.60** | **1,432.89** |
| **IV** | **चालू प्रचालनों से कर पूर्व लाभ** | | **206.58** | **271.11** |
| V | **कर व्ययः** | | | |
| | – वर्तमान कर | **19** | 60.14 | 30.01 |
| | – आस्थगित कर | | (3.21) | 41.61 |
| | **कुल कर व्यय** | | **56.93** | **71.62** |
| **VI** | **चालू प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ रोके गए प्रचालन** | | **149.65** | **199.49** |
| | **बंद किए गए संचालन** | | | |
| | कर पूर्व परिचालन बंद करने से लाभ | | - | - |
| | परिचालन बंद करने का कर व्यय | | - | - |
| | **कार्य बंद करने से लाभ** | | **-** | **-** |
| | **पूर्व अवधि व्यय** | | **-** | |
| VII | **अवधि के लिए लाभ** | | **149.65** | **199.49** |
| VIII | **अन्य व्यापक आय** | **20** | | |
| | मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनरू वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | | |
| | परिभामित हितलाभ योजनाओं पर पुनरू मापन अर्जन/(हानि) | | (66.70) | (73.92) |
| | इन मदों से संबंधित आय कर प्रभाव | | 16.79 | 18.61 |
| | **अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)** | | **(49.91)** | **(55.31)** |
| **X** | **अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VIII + IX) अवधि के लिए** | | **99.74** | **144.18** |
| **X** | **चालू प्रचालनों से लाभ के लिए प्रति इक्विटी शेयर अर्जन** | | | |
| | मूल (रु. में) | **27.1** | **2.10** | **3.04** |
| | तनुकृत (रु. में) | **27.2** | **2.10** | **3.04** |
| **XI** | **रोके गए प्रचालनों से लाभ के लिए प्रति इक्विटी शेयर अर्जन** | | | |
| | मूल (रु. में) | | - | - |
| | तनुकृत (रु. में) | | - | - |
| **XII** | **चालू एवं रोके गए प्रचालनों से लाभ के लिए प्रति इक्विटी** | | | |
| | मूल (रु. में) | | **2.10** | **3.04** |
| | तनुकृत (रु. में) | | **2.10** | **3.04** |
| | **महत्वपूर्ण लेखा नीतियां** | **1** | | |

***संलग्न टिप्पणियाँ 1 से 10 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।***

कृते **सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण सं.: 003330N

हस्ता/–
**सीए विनय कुमार सहगल**
(साझेदार)
सदस्यता सं.: 080517

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.05.2025

**कृते निदेशक मंडल की ओर से**
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता/–
**संजीव कुमार**
(निदेशक एवं सीईओ)
डीआईएनः 08828758

हस्ता/–
**पी. आर. जयशंकर**
(अध्यक्ष एवं निदेशक)
डीआईएनः 6711526

# IIFCL PROJECTS LIMITED
# STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(INR in Lakhs)

| S. No. | Particulars | Note No. | For year ended 31st March 2025 (Audited) | For year ended 31st March 2024 (Audited) |
|---|---|---|---|---|
| I | **Revenue from operations** | **15** | 1,757.78 | 1,560.11 |
| II | **Other Income** | **16** | 345.40 | 143.88 |
| | **Total Income (I+II)** | | **2,103.18** | **1,703.99** |
| **III** | **Expenses** | | | |
| | Employee Benefit Expenses | **17** | 1,420.32 | 1,210.31 |
| | Depreciation and amortisation expense | **2 & 3** | 10.66 | 8.72 |
| | Other Expenses | **18** | 465.62 | 213.86 |
| | **Total Expenses (III)** | | **1,896.60** | **1,432.89** |
| **IV** | **Profit before tax from continuing operations** | | **206.58** | **271.11** |
| **V** | **Tax Expense:** | | | |
| | - Current Tax | **19** | 60.14 | 30.01 |
| | - Deferred Tax | | (3.21) | 41.61 |
| | **Total Tax Expense** | | **56.93** | **71.62** |
| **VI** | **Profit for the Period from continuing operations** | | **149.65** | **199.49** |
| | **Discontinued Operations** | | | |
| | Profit from discontinuing operations before tax | | - | - |
| | Tax expense of discontinuing operations | | - | - |
| | **Profit from discontinuing operations** | | **-** | **-** |
| | **Prior Period Expense** | | **-** | |
| **VII** | **Profit for the Period** | | **149.65** | **199.49** |
| **VIII** | **Other Comprehensive Income** | **20** | | |
| | Items that will not be reclassified to profit or loss | | | |
| | Remeasurement gains/(losses) on defined benefit plans | | (66.70) | (73.92) |
| | Income tax effect (+/-) relating to these items | | 16.79 | 18.61 |
| | **Other Comprehensive Income (net of tax)** | | **(49.91)** | **(55.31)** |
| **IX** | **Total Comprehensive Income for the period (VIII + IX) (Comprehensive profit and other comprehensive income for the period)** | | **99.74** | **144.18** |
| **X** | **Earnings per equity share for profit from Continuing operations** | | | |
| | Basic (in Rs.) | **27.1** | **2.10** | **3.04** |
| | Diluted (in Rs.) | **27.2** | **2.10** | **3.04** |
| **XI** | **Earnings per equity share for profit from discontinued operations** | | | |
| | Basic (in Rs.) | | - | - |
| | Diluted (in Rs.) | | - | - |
| **XII** | **Earnings per equity share for profit from Continuing and discontinued operations** | | | |
| | Basic (in Rs.) | | **2.10** | **3.04** |
| | Diluted (in Rs.) | | **2.10** | **3.04** |
| **Significant Accounting Policies** | | **1** | | |

**Accompanying notes 1 to 10 form an integral part of financial statements**

For **Sehgal Mehta & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 003330N

Sd/-
**CA Vinay Kumar Sehgal**
(Partner)
Membership No.: 080517

**For and on behalf of the Board of Directors**
IIFCL Projects Limited

Sd/-
**Sanjeev Kumar**
(Director & CEO)
DIN: 08828758

Sd/-
**P R Jaishankar**
(Chairman & Director)
DIN: 6711526

Place: New Delhi
Date: 28.05.2025

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
# नकदी प्रवाह का विवरण

(भारतीय लाख रु. में)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े |
|---|---|---|---|
| 1 | **(क) प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह** | | |
| | कराधान से पूर्व शुद्ध लाभ | 206.58 | 271.11 |
| | जोड़ें: गैरदृनकदी मदों के लिए समायोजन | | |
| | मूल्यह्रास, ऋण परिशोधन और क्षीणता | 10.66 | 8.72 |
| | एंड एएस के प्रभाव का समायोजन | (8.27) | (8.89) |
| | प्रावधान/कर समायोजन | 36.75 | 6.94 |
| | | 245.73 | 277.88 |
| | जोड़ें: अन्य मदों के लिए समायोजन | 10.80 | |
| | पूर्व अवधि व्यय | (2.96) | (8.99) |
| | प्री–ऑपरेटिव गिफ्ट सिटी | (4.33) | |
| | अन्य व्यापक आय | (66.70) | (73.92) |
| | **कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ** | 182.54 | 194.97 |
| | **(ख) कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन** | | |
| | **प्रचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन** | | |
| | वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी | (290.00) | 128.76 |
| | | **(290.00)** | **128.76** |
| | **(ग) प्रचालन देयताओं में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन** | | |
| | अन्य वर्तमान देयताओं में (वृद्धि)/कमी | 86.58 | (2.88) |
| | स्टॉफ वेल्फेयर फंड का उपयोग | (5.29) | (4.95) |
| | | **81.29** | **(7.83)** |
| | **परिचालन से प्राप्त नकदी** | (26.17) | 315.90 |
| | अदा/प्राप्त किए गए प्रत्यक्ष कर | 62.06 | (121.74) |
| | **प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (क)** | **35.89** | **194.16** |
| 2 | **निवेश कार्यकलापों से नकदी** | | |
| | स्थायी परिसंपत्तियों पर पूंजी व्यय | (15.53) | (6.64) |
| | ((खरीद)/निवेशों की बिक्री/बैंक जमा आय | 258.51 | 179.25 |
| | ऋण संपत्ति | 26.13 | (64.43) |
| | **निवेश गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी (थ)** | **269.11** | **108.18** |
| 3 | **वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | **वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी (ग)** | **-** | **-** |
| | **नकद और नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क़थग)** | **304.99** | **302.33** |
| | **वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **595.51** | **293.19** |
| | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **900.54** | **595.51** |
| | **नकद एवं नकदी समतुल्य** | | |
| | – नकदी एवं नकदी समतुल्य | - | - |
| | **अनुसूचित बैंकों के पास शेष** | | |
| | – चालू खाते में | 560.54 | 177.63 |
| | – सावधि जमा खाते में | 340.00 | 417.88 |

**टिप्पणी:**

उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित एंड–एएस–7 के अनुसार निर्धारित अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के अधीन तैयार किया गया है।

कृते **सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण सं.: 003330N

हस्ता/–
**सीए विनय कुमार सहगल**
(साझेदार)
सदस्यता सं.: 080517

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2025

**कृते निदेशक मंडल की ओर से**
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता/–
**संजीव कुमार**
(निदेशक एवं सीईओ)
डीआईएन: 08828758

हस्ता/–
**पी. आर. जयशंकर**
(अध्यक्ष एवं निदेशक)
डीआईएन: 6711526

# IIFCL PROJECTS LIMITED
# STATEMENT OF CASH FLOWS

(INR in Lakhs)

| S. No. | Particulars | Figures for the year ended 31 March 2025 | Figures for the year ended 31 March 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | **(a) Cash Flow from Operating Activities** | | |
| | Net Profit Before Taxation | 206.58 | 271.11 |
| | Add: Adjustment for non cash items : | | |
| | Depreciation, amortization and impairment | 10.66 | 8.72 |
| | Effect of Ind AS adjustment | (8.27) | (8.89) |
| | Provisions/Tax Adjustments | 36.75 | 6.94 |
| | | 245.73 | 277.88 |
| | Add: Adjustment for other items | 10.80 | |
| | Prior period expense | (2.96) | (8.99) |
| | Pre-operative GIFT City | (4.33) | |
| | Other Comprehensive Income | (66.70) | (73.92) |
| | **Operating Profit Before Working Capital Changes** | 182.54 | 194.97 |
| | **(b) Adjustments for Changes in Working Capital:** | | |
| | **Adjustments for (Increase)/Decrease in Operating Assets:** | | |
| | (Increase)/decrease in Current Assets | (290.00) | 128.76 |
| | | **(290.00)** | **128.76** |
| | **(c) Adjustments for (Increase)/Decrease in Operating Liabilities:** | | |
| | Increase/(decrease) in Other Current Liabilities | 86.58 | (2.88) |
| | Utilization of Staff welfare fund | (5.29) | (4.95) |
| | | **81.29** | **(7.83)** |
| | **Cash Generated from Operations** | (26.17) | 315.90 |
| | Direct Taxes Paid/Received | 62.06 | (121.74) |
| | **Cash Flow from Operating Activities (A)** | **35.89** | **194.16** |
| 2 | **Cash from Investment Activities :-** | | |
| | Capital Expenditure on Fixed Assets | (15.53) | (6.64) |
| | (Purchase of)/ Sale of Investments/Proceeds of Bank Deposits | 258.51 | 179.25 |
| | Loan assets | 26.13 | (64.43) |
| | **Net Cash Generated from / (used in) Investing Activities (B)** | **269.11** | **108.18** |
| 3. | **Cash Flow from Financing Activities :-** | | |
| | **Net Cash Generated from / (used in) Financing Activities (C)** | **-** | **-** |
| | **Net Increase/(Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A+B+C)** | **304.99** | **302.33** |
| | **Cash & Cash Equivalent at the beginning of the Year** | **595.51** | **293.19** |
| | **Cash & Cash Equivalent at the end of year** | **900.54** | **595.51** |
| | **Cash and Cash Equivalents** | | |
| | - Cash and Cheques in Hand | - | - |
| | **Balance with Scheduled Banks** | | |
| | - On Current Account | 560.54 | 177.63 |
| | - On term Deposit Account | 340.00 | 417.88 |

**Notes :**

The above Statement of Cash Flow has been prepared under the indirect method setout as per Ind-AS-7 issued by The Institute of Chartered Accountants of India and notified u/s 133 of the Companies Act, 2013.

For **Sehgal Mehta & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 003330N

Sd/-
**CA Vinay Kumar Sehgal**
(Partner)
Membership No.: 080517

**For and on behalf of the Board of Directors**
IIFCL Projects Limited

Sd/-
**Sanjeev Kumar**
( Director & CEO )
DIN: 08828758

Sd/-
**P R Jaishankar**
(Chairman & Director)
DIN: 6711526

Place: New Delhi
Date: 28.05.2025

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

## 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

**क. इक्विटी शेयर पूंजी**

(भारतीय लाख रु. में)

| विवरण | राशि |
|---|---|
| 31 मार्च, 2024 को शेष | 475.00 |
| **वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन** | **-** |
| **31 मार्च, 2025 को शेष** | **475.00** |

**B. Other Equity**

(भारतीय लाख रु. में)

| विवरण | आरक्षित एवं अधिशेष | | कुल |
|---|---|---|---|
| | स्टॉफ वेलफेयर रिजर्व | रखी गई आमदनी | |
| रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष | - | 2,098.20 | 2,098.20 |
| पूर्व अवधि की त्रुटियां | - | (2.96) | (2.96) |
| कर समायोजन | - | (14.59) | (14.59) |
| इंड एएस समायोजन | | 10.80 | 10.80 |
| प्रीऑपरेटिव गिफ्ट एसईजेड खर्च | | (4.33) | (4.33) |
| **रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः दर्शाया गया शेष** | - | **2,087.12** | **2,087.12** |
| वर्ष के लिए लाभ | - | 149.65 | 149.65 |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का शुद्ध) | - | (49.91) | (49.91) |
| **वर्ष के लिए कुल व्यापक आय** | - | **99.74** | **99.74** |
| वर्ष के दौरान स्थानांतरण की गई राशि | 5.71 | (5.71) | - |
| अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि | (5.29) | - | (5.29) |
| **रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष** | **0.42** | **2,181.14** | **2,181.56** |

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

**क. इक्विटी शेयर पूंजी**

(भारतीय लाख रु. में)

| विवरण | राशि |
|---|---|
| **31 मार्च, 2023 को शेष** | **475.00** |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | - |
| **31 मार्च, 2024 को शेष** | **475.00** |

**ख. अन्य इक्विटी**

(भारतीय लाख रु. में)

| विवरण | आरक्षित एवं अधिशेष | | कुल |
|---|---|---|---|
| | स्टॉफ वेलफेयर रिजर्व | रखी गई आमदनी | |
| रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष | 0.28 | 1,971.80 | 1,972.09 |
| पूर्व अवधि की त्रुटियां | - | - | - |
| कर समायोजन | - | (4.13) | (4.13) |
| **रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः दर्शाया गया शेष** | **0.28** | **1,967.67** | **1,967.96** |
| वर्ष के लिए लाभ | - | 190.50 | 190.50 |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का शुद्ध) | - | (55.31) | (55.31) |
| **वर्ष के लिए कुल व्यापक आय** | **-** | **135.19** | **135.19** |
| वर्ष के दौरान स्थानांतरण की गई राशि | 4.67 | (4.67) | - |
| अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि | (4.95) | | (4.95) |
| **रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष** | **-** | **2,098.20** | **2,098.20** |

कृते **सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण सं.: 003330N

हस्ता/–
**सीए विनय कुमार सहगल**
(साझेदार)
सदस्यता सं.: 080517
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.05.2025

**कृते निदेशक मंडल की ओर से**
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता/–
**संजीव कुमार**
(निदेशक एवं सीईओ)
डीआईएनः 08828758

हस्ता/–
**पी. आर. जयशंकर**
(अध्यक्ष एवं निदेशक)
डीआईएनः 6711526

# IIFCL PROJECTS LIMITED

## STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

**A. Equity share capitalINR** **in Lakhs**

| Particulars | Amount |
|---|---|
| **Balance at March 31, 2024** | **475.00** |
| Changes in equity share capital during the year | - |
| **Balance at March 31st, 2025** | **475.00** |

**B. Other Equity** **(INR in Lakhs)**

| Particulars | Reserve & Surplus | | Total |
|---|---|---|---|
| | Staff welfare Reserve | Retained Earnings | |
| Balance at the beginning of the reporting period | - | 2,098.20 | 2,098.20 |
| Prior period adjustments | - | (2.96) | (2.96) |
| Tax Adjustments | - | (14.59) | (14.59) |
| Ind AS adjustment | | 10.80 | 10.80 |
| Preoperative GIFT SEZ expenses | | (4.33) | (4.33) |
| **Restated balance at the beginning of the reporting period** | - | **2,087.12** | **2,087.12** |
| Profit for the year | - | 149.65 | 149.65 |
| Other Comprehensive Income for the year (net of income tax) | - | (49.91) | (49.91) |
| **Total Comprehensive Income for the year** | - | **99.74** | **99.74** |
| Amount transferred during the year | 5.71 | (5.71) | - |
| Amount utilized during the period | (5.29) | - | (5.29) |
| **Balance at the end of the reporting period** | **0.42** | **2,181.14** | **2,181.56** |

**Statement of changes in equity for the year ended 31st March 2024**

**A. Equity share capital** **INR in Lakhs**

| Particulars | Amount |
|---|---|
| **Balance at March 31, 2023** | **475.00** |
| Changes in equity share capital during the year | - |
| **Balance at March 31st, 2024** | **475.00** |

**B. Other Equity** **INR in Lakhs**

| Particulars | Reserve & Surplus | | Total |
|---|---|---|---|
| | Staff welfare Reserve | Retained Earnings | |
| Balance at the beginning of the reporting period | 0.28 | 1,971.80 | 1,972.09 |
| Prior period adjustments | - | - | - |
| Tax Adjustments | - | (4.13) | (4.13) |
| **Restated balance at the beginning of the year** | **0.28** | **1,967.67** | **1,967.96** |
| Profit for the year | - | 190.50 | 190.50 |
| Other Comprehensive Income for the year (net of income tax) | - | (55.31) | (55.31) |
| **Total Comprehensive Income for the year** | **-** | **135.19** | **135.19** |
| Amount transferred during the year | 4.67 | (4.67) | - |
| Amount utilized during the period | (4.95) | | (4.95) |
| **Balance at the end of the reporting period** | **-** | **2,098.20** | **2,098.20** |

For **Sehgal Mehta & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 003330N

Sd/-
**CA Vinay Kumar Sehgal**
(Partner)
Membership No.: 080517

Place: New Delhi
Date: 28.05.2025

**For and on behalf of the Board of Directors**
IIFCL Projects Limited

Sd/-
**Sanjeev Kumar**
(Director & CEO)
DIN: 08828758

Sd/-
**P R Jaishankar**
(Chairman & Director)
DIN: 6711526

## 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

### टिप्पणी–2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(भारतीय लाख रुपए में)

| विवरण | उपयोग अवधि (वर्ष में) | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | शुद्ध ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2024 की स्थिति | संयोजन | निपटान / समयोजन | 31.03.2025 को | 01.04.2024 को | अवधि के लिए | कटौती / वापसी | 31.03.2025 की स्थिति | 31.03.2025 की स्थिति | 31.03.2024 की स्थिति |
| **मूर्त परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | |
| कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 3 | 43.67 | 9.89 | - | 53.56 | 37.81 | 5.32 | - | 43.13 | 10.43 | 5.86 |
| कार्यालय उपकरण | 5 | 8.57 | 0.47 | - | 9.04 | 6.83 | 0.84 | - | 7.67 | 1.36 | 1.74 |
| कार्यालय फर्नीचर | 10 | 4.86 | 0.45 | - | 5.30 | 2.91 | 0.58 | - | 3.49 | 1.81 | 1.95 |
| वाहन | 8 | 17.67 | - | - | 17.67 | 15.27 | 0.59 | - | 15.86 | 1.81 | 2.40 |
| **कुल मूर्त परिसंपत्तियां** | | **74.77** | **10.80** | **-** | **85.56** | **62.82** | **7.33** | **-** | **70.15** | **15.41** | **11.94** |

### टिप्पणी–3 : अमूर्त परिसंपत्तियां

(भारतीय लाख रुपए में)

| विवरण | उपयोग अवधि (वर्ष में) | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | शुद्ध ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2024 की स्थिति | संयोजन | निपटान / समयोजन | 31.03.2025 को | 01.04.2024 को | अवधि के लिए | कटौती / वापसी | 31.03.2025 की स्थिति | 31.03.2025 की स्थिति | 31.03.2024 की स्थिति |
| **अमूर्त परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | |
| कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | *3* | *4.25* | *4.73* | *-* | *8.98* | *3.75* | *3.33* | *-* | *7.07* | *1.91* | *0.50* |
| **कुल अमूर्त परिसंपत्तियां** | | **4.25** | **4.73** | **-** | **8.98** | **3.75** | **3.33** | **-** | **7.07** | **1.91** | **0.50** |
| | | | | | | | | | | | |
| **कुल परिसंपत्तियां** | | **79.02** | **15.53** | **-** | **94.54** | **66.57** | **10.66** | **-** | **77.22** | **17.32** | **12.44** |

## NOTES ON FINANCIAL STATTEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025

### Note 2 : Property, Plant and Equipment

(INR in Lakhs)

| DESCRIPTION | Useful Life (in years) | GROSS BLOCK | | | | DEPRECIATION | | | | NET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | As at 01.04.2024 | Addition | Disposals/ Adjustments | As at 31.03.2025 | As at 01.04.2024 | For the Period | Deductions/ Reversals | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
| **TANGIBLE ASSETS** | | | | | | | | | | | |
| Computer Hardware | 3 | 43.67 | 9.89 | - | 53.56 | 37.81 | 5.32 | - | 43.13 | 10.43 | 5.86 |
| Office Equipment | 5 | 8.57 | 0.47 | - | 9.04 | 6.83 | 0.84 | - | 7.67 | 1.36 | 1.74 |
| Office Furniture | 10 | 4.86 | 0.45 | - | 5.30 | 2.91 | 0.58 | - | 3.49 | 1.81 | 1.95 |
| Vehicles | 8 | 17.67 | - | - | 17.67 | 15.27 | 0.59 | - | 15.86 | 1.81 | 2.40 |
| **Total Tangible Assets** | | **74.77** | **10.80** | **-** | **85.56** | **62.82** | **7.33** | **-** | **70.15** | **15.41** | **11.94** |

### Note 3 : Intangible Assets

(INR in Lakhs)

| DESCRIPTION | Useful Life (in years) | GROSS BLOCK | | | | DEPRECIATION | | | | NET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | As at 01.04.2024 | Addition | Disposals/ Adjustments | As at 31.03.2025 | As at 01.04.2024 | For the Period | Deductions/ Reversals | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
| **INTANGIBLE ASSETS** | | | | | | | | | | | |
| Computer Software | *3* | *4.25* | *4.73* | - | *8.98* | *3.75* | *3.33* | - | *7.07* | *1.91* | *0.50* |
| **Total Intangible Assets** | | **4.25** | **4.73** | **-** | **8.98** | **3.75** | **3.33** | **-** | **7.07** | **1.91** | **0.50** |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ASSETS** | | **79.02** | **15.53** | **-** | **94.54** | **66.57** | **10.66** | **-** | **77.22** | **17.32** | **12.44** |

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

**31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ** (भारतीय लाख रुपए में)

## टिप्पणी–4: वित्तीय परिसंपत्तियाँ (गैर–चालू)

### 4.1 ऋण

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | असुरक्षित समझे जाने वाली सामग्री | | |
| | कर्मचारियों को ऋण | 110.74 | 117.18 |
| | **अंत शेष** | **110.74** | **117.18** |

### 4.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| | **शून्य** | - | - |
| | **अंत शेष** | **-** | **-** |

## टिप्पणी–5: वित्तीय आस्थगित कर

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 91.69 | 71.69 |
| ii) | आस्थगित कर देयता, | - | - |
| | आस्थगित कर परिसंपत्तियां (आस्थगित कर देयताओं शेमा में वह अस्थायी अंतर शामिल हैं जो देय है: | | 91.69 |
| | **आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | | |
| (क) | मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन | (1.88) | 1.12 |
| (ख) | कर्मचारी हितलाभ | 93.57 | 70.57 |
| | **अंत शेष** | **91.69** | **71.69** |

## टिप्पणी–6: अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | प्रीपेड स्टॉफ लागत | 34.88 | 39.32 |
| ii) | गिफ्ट एसईजेड के लिए पूर्व–संचालन व्यय | - | 4.33 |
| iii) | सुरक्षा जमा | 3.64 | 6.29 |
| | **अंत शेष** | **38.52** | **49.94** |

## टिप्पणी–7: वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान

### 7.1 प्राप्य व्यापार

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| | **असुरक्षित समझी जानी वाली वस्तुएं** | | |
| i) | संबंधित पार्टियों से प्राप्य | 79.80 | 124.40 |
| ii) | अन्य प्राप्य व्यापार | 619.68 | 384.77 |
| | **अंत शेष** | **699.48** | **509.17** |

* संबंधित पक्षों से प्राप्त होने वाली राशियों के विवरण के लिए कृपया नोट 28.4 देखें।

# IIFCL PROJECTS LIMITED

## NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025

(INR in Lakhs)

### Note 4: Financial Assets Non-Current

**4.1 Loans**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | **Unsecured, considered good** | | |
| | Loans to employees | 110.74 | 117.18 |
| | **Closing Balance** | **110.74** | **117.18** |

**4.2 Other Financial Assets**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | **NIL** | - | - |
| | **Closing Balance** | **-** | **-** |

### Note 5 : Deferred Tax

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Deferred tax assets | 91.69 | 71.69 |
| ii) | Deferred tax liabilities | - | - |
| | Deferred tax assets (net of deferred tax liabilities) | 91.69 | 71.69 |
| | The balance comprises to temporary differences attributable to: | | |
| | **Deferred tax assets** | | |
| (a) | Depreciation and amortisation | (1.88) | 1.12 |
| (b) | Employee Benefits | 93.57 | 70.57 |
| | **Closing Balance** | **91.69** | **71.69** |

### Note 6 : Other Non-Current Assets

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Prepaid Staff Cost | 34.88 | 39.32 |
| ii) | Branch- GIFT SEZ | - | 4.33 |
| iii) | Security Deposits | 3.64 | 6.29 |
| | **Closing Balance** | **38.52** | **49.94** |

### Note 7 : Financial Assets - Current

**7.1 Trade Receivables**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | **Unsecured, considered good** | | |
| i) | Trade Receivables from related parties* | 79.80 | 124.40 |
| ii) | Other Trade receivables (details in table below) | 619.68 | 384.77 |
| | **Closing Balance** | **699.48** | **509.17** |

* Please see note 28.4 for detail of receivables from Related Parties

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

**31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ** (भारतीय लाख रुपए में)

**अन्य व्यापार प्राप्य**

| | विवरण | राशि 31.03.2025 तक |
|---|---|---|
| 1 | बीकेसी कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड | 5.90 |
| 2 | इको डेवलपमेंट सोसाइटी | 133.48 |
| 3 | यूरोपियन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर | 5.90 |
| 4 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण | 0.05 |
| 5 | हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड | 0.69 |
| 6 | इनस्पेस | 1.12 |
| 7 | एमआईडीएफसी | 115.31 |
| 8 | मेघालयन एज लिमिटेड | 32.24 |
| 9 | एमआईडीएफसी– एमएसआईपीबी | 115.15 |
| 10 | मिजोरम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी | 34.37 |
| 11 | एमएमआरडीए | 0.02 |
| 12 | एमएसएमई मंत्रालय | 121.11 |
| 13 | न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड | 3.11 |
| 14 | पवन हंस लिमिटेड | 3.66 |
| 15 | शोलागास्को प्राइवेट लिमिटेड | 0.55 |
| 16 | तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड | 21.33 |
| 17 | टैंट्रानस्को | 1.45 |
| 18 | द वर्ल्ड बैंक | 24.23 |
| | | **619.67** |

**31 मार्च, 2025 तक व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल**

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | 6 महीने से कम | 6 महीने–1 वर्ष | 1–2 वर्ष | |
| (i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है | 571.90 | 127.58 | - | 699.48 |
| (ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है | | | | |
| (iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है | | | | |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है | | | | |
| **कुल** | **571.90** | **127.58** | **-** | **699.48** |

**31 मार्च, 2024 तक व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल**

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | 6 महीने से कम | 6 महीने–1 वर्ष | 1–2 वर्ष | |
| (i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है | 420.14 | 23.56 | 65.47 | **509.17** |
| (ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है | | | | |
| (iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है | | | | |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है | | | | |
| **कुल** | **420.14** | **23.56** | **65.47** | **509.17** |

# IIFCL PROJECTS LIMITED

## NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025

(INR in Lakhs)

**Other Trade Receivables**

| | Particulars | Amount as on 31.03.2025 |
|---|---|---|
| 1 | BKC Connect Pvt Ltd. | 5.90 |
| 2 | Eco Development Society | 133.48 |
| 3 | European Business & Technology Centre | 5.90 |
| 4 | Haryana Shehri Vikas Pradhikaran | 0.05 |
| 5 | Hindustan Aeronaoutics Limited | 0.69 |
| 6 | InSpace | 1.12 |
| 7 | MIDFC | 115.31 |
| 8 | Meghalayan Age Limited | 32.24 |
| 9 | MIDFC- MSIPB | 115.15 |
| 10 | Mizoram Tourism Development Authority | 34.37 |
| 11 | MMRDA | 0.02 |
| 12 | Ministry of MSME | 121.11 |
| 13 | New Space India Limited | 3.11 |
| 14 | Pawan Hans Limited | 3.66 |
| 15 | Sholagasco Pvt Limited | 0.55 |
| 16 | Tamil Nadu Infrastructure Development Board | 21.33 |
| 17 | TANTRANSCO | 1.45 |
| 18 | The World Bank | 24.23 |
| | | **619.67** |

**Trade Receivables ageing schedule as at March 31, 2025**

| Particulars | Outstanding for following periods from due date of payment | | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Less than 6 months | 6 months- 1 year | 1-2 years | |
| (i) Undisputed Trade receivables – considered good | 571.90 | 127.58 | - | 699.48 |
| (ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful | | | | |
| (iii) Disputed Trade Receivables – considered good | | | | |
| (iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful | | | | |
| **Total** | **571.90** | **127.58** | **-** | **699.48** |

**Trade Receivables ageing schedule as at March 31, 2024**

| Particulars | Outstanding for following periods from due date of payment | | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Less than 6 months | 6 months- 1 year | 1-2 years | |
| (i) Undisputed Trade receivables – considered good | 420.14 | 23.56 | 65.47 | **509.17** |
| (ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful | | | | |
| (iii) Disputed Trade Receivables – considered good | | | | |
| (iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful | | | | |
| **Total** | **420.14** | **23.56** | **65.47** | **509.17** |

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (भारतीय लाख रुपए में)

**7.2 नकद एवं नकदी समतुल्य**

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | **बैंक के साथ शेष राशि** | | |
| | (क) चालू खाता | 560.54 | 177.63 |
| | (ख) सावधि जमा (3 महीने से कम की परिपक्वता) | 340.00 | 417.88 |
| | **अंत शेष** | **900.54** | **595.51** |

**7.3 नकद एवं नकदी समतुल्य**

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| | **अन्य बैंक शेष** | | |
| i) | अनुसूचित बैंक में सावधि जमा (परिपक्वता 3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम) | 1,199.00 | 1,462.01 |
| ii) | बैंक गारंटी के बदले एफडी | 4.50 | - |
| | **अंत शेष** | **1,203.50** | **1,462.01** |

**7.4 ऋण**

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| | **असुरक्षित समझी जाने वाली वस्तुएं** | | |
| i) | कर्मचारियों को ऋण | 14.53 | 13.61 |
| | **अंत शेष** | **14.53** | **13.61** |

**7.5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया**

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| | **असुरक्षित, अच्छा माना जाता है** | | |
| i) | कर्मचारियों को ऋण | 39.31 | 50.28 |
| | **अंत शेष** | **39.31** | **50.28** |

## टिप्पणी–8: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | प्रीपेड व्यय | 3.37 | 1.18 |
| ii) | प्रीपेड स्टॉफ लागत | 3.94 | 5.76 |
| iii) | आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम | 0.65 | 0.24 |
| iv) | कर्मचारियों को अग्रिम | 11.77 | 1.27 |
| v) | संबंधित पक्षों से अन्य प्राप्तियां | 1.47 | 8.45 |
| vi) | राजस्व अधिकारियों के पास शेष राशि (आयकर वापसी वित्तीय वर्ष 2023–24)* | 107.70 | 2.27 |
| | **अंत शेष** | **128.90** | **19.16** |

*संबंधित पक्षों से **प्राप्त** होने वाली राशियों के विवरण के लिए कृपया नोट 28.4 देखें।

# IIFCL PROJECTS LIMITED

## NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025

(INR in Lakhs)

### 7.2 Cash & Cash Equivalents

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | **Balances with Bank** | | |
| | (a) Current Accounts | 560.54 | 177.63 |
| | (b) Fixed Deposits (Maturity less than 3 Months) | 340.00 | 417.88 |
| | **Closing Balance** | **900.54** | **595.51** |

### 7.3 Bank Balances other than Cash and Cash equivalent

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | **Other Bank Balances** | | |
| i) | Term Deposit in Schedule Bank (Maturity more than 3 Months but less than 12 months) | 1,199.00 | 1,462.01 |
| ii) | FD against Bank guarentee | 4.50 | - |
| | **Closing Balance** | **1,203.50** | **1,462.01** |

### 7.4 Loans

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | **Unsecured, considered good** | | |
| i) | Loans to employees | 14.53 | 13.61 |
| | **Closing Balance** | **14.53** | **13.61** |

### 7.5 Other Financial Assets

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | **Unsecured, considered good** | | |
| i) | Loans to employees | 39.31 | 50.28 |
| | **Closing Balance** | **39.31** | **50.28** |

### Note 8 : Other Current Assets

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Prepaid Expenses | 3.37 | 1.18 |
| ii) | Prepaid Staff Cost | 3.94 | 5.76 |
| iii) | Advance to suppliers | 0.65 | 0.24 |
| iv) | Advance to Employees | 11.77 | 1.27 |
| v) | Other Receivables from related parties* | 1.47 | 8.45 |
| vi) | "Balance with Revenue Authorities (IT Refund FY 2023-24)" | 107.70 | 2.27 |
| | **Closing Balance** | **128.90** | **19.16** |

* Please see note 28.4 for detail of receivables from Related Parties

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

**31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ** (भारतीय लाख रुपए में)

## टिप्पणी–9: वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | **वर्तमान कर देयताएं** | | |
| | भुगतान योग्य प्रत्सक्ष कर | 81.01 | 173.08 |
| | घटाएं: अग्रिम कर एवं टीडीएस | (60.14) | (30.01) |
| **अंत शेष** | | **20.87** | **143.07** |

## टिप्पणी–10: इक्विटी शेयर पूंजी

| विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|
| **अधिकृत शेयर पूंजी** | | |
| **प्रत्येक की दर से 1,00,00,000 इक्विटी शेयर** | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | **1,000.00** | **1,000.00** |
| **जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त** | | |
| **प्रत्येक की दर से 47,50,000 इक्विटी शेयर** | 475.00 | 475.00 |
| | **475.00** | **475.00** |

**कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक धारण करने वाले शेयरधारक का विवरण**

| शेयरधारक का नाम | 31 मार्च 2025 को | | 31 मार्च 2024 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की सं. | धारिता का % | शेयरों की सं. | धारिता का % |
| आईएनआर प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर | | | | |
| 1) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड | 47,49,994.00 | 100.00 | 47,49,994.00 | 100.00 |
| 2) आईआईएफसीएल की ओर से नामिति | 6.00 | - | 6.00 | - |
| **कुल** | **47,50,000.00** | | **47,50,000.00** | **-** |

**शेयरों से संबद्ध अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध**

इक्विटी शेयर: कंपनी के इक्विटी शेयरों की एक श्रेणी है जिसका मूल्य रु. 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक अपने प्रति शेयर के अनुसार एक वोट का पात्र है। परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक अपने–अपने शेयरों के अनुपात में बांटे जाने वाली राशि की कंपनी की शेष परिसंपत्तियां पाने के हकदार होंगे।

**इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का पुनर्मिलान**

| शेयरधारक का नाम | 31 मार्च 2025 को | | 31 मार्च 2024 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की सं. | राशि | शेयरों की सं. | राशि |
| वर्ष के प्रारंभ में जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी | 47,50,000.00 | 475.00 | 47,50,000.00 | 475.00 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी | - | - | - | - |
| वर्ष के अंत में जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी | 47,50,000.00 | 475.00 | 47,50,000.00 | 475.00 |

# IIFCL PROJECTS LIMITED

## NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025

(INR in Lakhs)

### Note 9 : Current Tax Asset (Net)

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | **Current Tax Asset** | | |
| | Advance Tax & TDS | 81.01 | 173.08 |
| | Less: Direct Tax payable | (60.14) | (30.01) |
| **Closing Balance** | | **20.87** | **143.07** |

### Note 10 : Equity Share Capital

| PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|
| **Authorised** | | |
| 1,00,00,000 Equity Share of Rs. 10/- each | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | **1,000.00** | **1,000.00** |
| **Issued, Subscribed & Fully Paid up** | | |
| 47,50,000 Equity shares of Rs. 10/- each | 475.00 | 475.00 |
| | **475.00** | **475.00** |

**Details of shareholder holding more than 5% in the company**

| Name of shareholder | As at 31st March 2025 | | As at 31st March 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | No.of shares | % holding | No.of shares | % holding |
| Equity shares of INR each fully paid | | | | |
| 1) India Infrastructure Finance Company Ltd | 47,49,994.00 | 100.00 | 47,49,994.00 | 100.00 |
| 2) Nominees on behalf of IIFCL | 6.00 | - | 6.00 | - |
| **Total** | **47,50,000.00** | | **47,50,000.00** | **-** |

**Rights, Preferences and Restrictions attaching to shares**

Equity Shares: The Company has one class of Equity Shares having a par value of Rs. 10 per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

**Reconciliation of the number of equity shares and share capital** **(INR in Lakhs)**

| Name of shareholder | As at 31st March 2025 | | As at 31st March 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | No.of shares | Amount | No.of shares | Amount |
| Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year | 47,50,000.00 | 475.00 | 47,50,000.00 | 475.00 |
| Add: Shares Issued during the year | - | - | - | - |
| Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year | 47,50,000.00 | 475.00 | 47,50,000.00 | 475.00 |

वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

| शेयरधारक का नाम | 31 मार्च 2025 को | | 31 मार्च 2024 को | | % वर्ष के दौरान परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की सं. | राशि | शेयरों की सं. | राशि | |
| 1) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड | 47,49,994.00 | 100% | 47,49,994.00 | 100% | - |
| 2) आईआईएफसीएल की ओर से नामिति | 6.00 | | 6.00 | | |
| **कुल** | **47,50,000.00** | **100%** | **47,50,000.00** | **100%** | **-** |

## टिप्पणी–11: अन्य इक्विटी

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | **स्टॉफ वेलफेयर रिजर्व** | | |
| | पिछले तुलनपत्र के अनुसार | - | 0.28 |
| | जोड़ें: रखी गई आमदनी से हस्तांतरण | 5.71 | 4.67 |
| | घटाएं: अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि | (5.29) | (4.95) |
| | | **0.42** | **-** |
| ii) | **रखी गई आमदनी** | | |
| | पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 2,098.20 | 1,971.81 |
| | (+) कर पश्चात लाभ | 149.65 | 199.49 |
| | (+/–) पूर्व अवधि की मद | (2.96) | (8.99) |
| | इंड एएस समायोजन | 10.80 | |
| | (+/–) कर समायोजन | (14.59) | (4.13) |
| | (–) कर्मचारी कल्याण कोष में अंतरण | (5.71) | (4.67) |
| | (–) प्री–ऑपरेटिव गिफ्ट एसईजेड व्यय | (4.33) | |
| | (+/–) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन, कर पश्चात | (49.91) | (55.31) |
| **अंत शेष** | | **2,181.56** | **2,098.20** |

## टिप्पणी–12: प्रावधान

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| **(I)** | **कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान** | | |
| i) | छुट्टी नकदीकरण | 105.82 | 67.60 |
| ii) | उपदान | 73.35 | 61.89 |
| iii) | सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ | 51.45 | 49.79 |
| | **गैर–वर्तमान** | **230.62** | **179.28** |
| iv) | छुट्टी यात्रा रियायत | 48.35 | 33.97 |
| v) | वेतन संशोधन | 63.88 | 37.92 |
| | **वर्तमान** | **112.23** | **71.89** |
| **अंत शेष** | | **342.85** | **251.17** |

**Details of the Shares held by promoters at the end of the year**

| Name of shareholder | As at 31st March 2025 | | As at 31st March 2024 | | % change during the year |
|---|---|---|---|---|---|
| | No.of shares | % holding | No.of shares | % holding | |
| 1) India Infrastructure Finance Company Ltd. | 47,49,994.00 | 100% | 47,49,994.00 | 100% | - |
| 2) Nominees on behalf of IIFCL | 6.00 | | 6.00 | | |
| **Total** | **47,50,000.00** | **100%** | **47,50,000.00** | **100%** | **-** |

## Note 11 : Other Equity

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | **Staff Welfare Reserve** | | |
| | As per last Balance sheet | - | 0.28 |
| | Add: Transfer from retained earning | 5.71 | 4.67 |
| | Less: Amount utilized during the period | (5.29) | (4.95) |
| | | **0.42** | **-** |
| ii) | **Retained Earnings** | | |
| | As per last Balance Sheet | 2,098.20 | 1,971.81 |
| | (+) Profit after Tax | 149.65 | 199.49 |
| | (+/-) Prior period item | (2.96) | (8.99) |
| | Ind AS adjustment | 10.80 | |
| | (+/-) Tax Adjustments | (14.59) | (4.13) |
| | (-) Transfer to Staff welfare fund | (5.71) | (4.67) |
| | (-) Preoperative GIFT SEZ expenses | (4.33) | |
| | (+/-) Remeasurements of defined benefits plans, net of tax | (49.91) | (55.31) |
| | **Closing Balance** | **2,181.56** | **2,098.20** |

## Note 12 : Provisions

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| **(I)** | **Provisions for Employee Benefits** | | |
| i) | Leave Encashment | 105.82 | 67.60 |
| ii) | Gratuity | 73.35 | 61.89 |
| iii) | Post Retirement Benefits | 51.45 | 49.79 |
| | **Non Current** | **230.62** | **179.28** |
| iv) | Leave Travel Concession | 48.35 | 33.97 |
| v) | Wage Revision | 63.88 | 37.92 |
| | **Current** | **112.23** | **71.89** |
| | **Closing Balance** | **342.85** | **251.17** |

फुटनोट

**2.1 आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स कर्मचारियों के लिए**

परिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में भारतीय लेखाकरण मानक–19 ''कर्मचारी हितलाभ'' के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन निम्नानुसार है:

**परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक और अंतिम शेष राशि का समाधानः**

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 का |
|---|---|---|---|
| (I) | **उपदान** | | |
| | प्रारंभिक शेष | 61.88 | 60.03 |
| | ब्याज लागत | 4.47 | 4.41 |
| | वर्तमान सेवा लागत | 4.85 | 6.19 |
| | लाभ का भुगतान किया गया | (9.98) | (23.09) |
| | वास्तविक लाभ/हानि | 12.13 | 14.33 |
| | | 73.35 | 61.88 |
| (II) | **छुट्टी नकदीकरण** | | |
| | प्रारंभिक शेष | 67.59 | 60.78 |
| | ब्याज लागत | 4.88 | 4.47 |
| | वर्तमान सेवा लागत | 10.12 | 7.14 |
| | लाभ का भुगतान किया गया | (13.59) | (7.61) |
| | वास्तविक लाभ/हानि | 36.82 | 2.81 |
| | | 105.82 | 67.59 |
| (III) | **सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ** | | |
| | प्रारंभिक शेष | 49.79 | 47.39 |
| | ब्याज लागत | 3.59 | 3.48 |
| | वर्तमान सेवा लागत | 5.11 | 5.46 |
| | लाभ का भुगतान किया गया | - | - |
| | वास्तविक लाभ/हानि | (7.04) | (6.56) |
| | | 51.45 | 49.79 |
| (IV) | **अवकाश यात्रा रियायत** | | |
| | प्रारंभिक शेष | 33.97 | 19.37 |
| | ब्याज लागत | 2.45 | 1.42 |
| | वर्तमान सेवा लागत | 4.79 | 3.73 |
| | लाभ का भुगतान किया गया | (17.66) | (53.89) |
| | वास्तविक लाभ/हानि | 24.79 | 63.34 |
| | | 48.34 | 33.97 |

**लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि**

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 का |
|---|---|---|---|
| | **ब्याज लागत, वर्तमान सेवा लागत एवं बीमांकिक अर्जन/हानि** | | |
| (I) | उपदान | 21.45 | 24.93 |
| (II) | छुट्टी नकदीकरण | 51.82 | 14.42 |
| (III) | सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ | 8.70 | 2.38 |
| (IV) | एलटीसी | 32.03 | 68.49 |
| | | 114.00 | 110.22 |

**Foot Note**

**12.1 For IIFCL Projects Employees**

The disclosure required under Indian Accounting Standard-19 "Employee Benefit" in respect of defined benefit plan is:

**Reconciliation of opening and closing balances of the present value of the defined benefit obligation:**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| (I) | **Gratuity** | | |
| | Opening balance | 61.88 | 60.03 |
| | Interest Cost | 4.47 | 4.41 |
| | Current service cost | 4.85 | 6.19 |
| | Benefit paid | (9.98) | (23.09) |
| | Acturial Gain/Loss | 12.13 | 14.33 |
| | | 73.35 | 61.88 |
| (II) | **Leave Encashment** | | |
| | Opening balance | 67.59 | 60.78 |
| | Interest Cost | 4.88 | 4.47 |
| | Current service cost | 10.12 | 7.14 |
| | Benefit paid | (13.59) | (7.61) |
| | Acturial Gain/Loss | 36.82 | 2.81 |
| | | 105.82 | 67.59 |
| (III) | **Post retirement benefit** | | |
| | Opening balance | 49.79 | 47.39 |
| | Interest Cost | 3.59 | 3.48 |
| | Current service cost | 5.11 | 5.46 |
| | Benefit paid | - | - |
| | Acturial Gain/Loss | (7.04) | (6.56) |
| | | 51.45 | 49.79 |
| (IV) | **Leave Travel Concession** | | |
| | Opening balance | 33.97 | 19.37 |
| | Interest Cost | 2.45 | 1.42 |
| | Current service cost | 4.79 | 3.73 |
| | Benefit paid | (17.66) | (53.89) |
| | Acturial Gain/Loss | 24.79 | 63.34 |
| | | 48.34 | 33.97 |

**Amount Recognised in Statement of Profit and Loss**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | **Interest Cost, Current Service cost & Acturial Gain / Loss** | | |
| (I) | Gratuity | 21.45 | 24.93 |
| (II) | Leave Encashment | 51.82 | 14.42 |
| (III) | Post retirement benefit | 8.70 | 2.38 |
| (IV) | LTC | 32.03 | 68.49 |
| | | 114.00 | 110.22 |

**अन्य व्यापक आय खाते में मान्यता प्राप्त राशि**

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 का |
|---|---|---|---|
| | **ब्याज लागत, वर्तमान सेवा लागत एवं बीमांकिक अर्जन/हानि** | | |
| (I) | उपदान | 12.13 | 14.33 |
| (II) | छुट्टी नकदीकरण | 36.82 | 2.81 |
| (III) | सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ | (7.04) | (6.56) |
| (IV) | एलटीसी | 24.79 | 63.34 |
| | | (66.70) | (73.92) |

**ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रावधान के विरुद्ध कोई निवेश नहीं किया गया है।**

| बीमांकिक मान्यताएं: | 31 मार्च 2025 |
|---|---|
| मूल्यांकन की पद्धति: | प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति |
| छूट दर: | 7.22% |
| वेतन बढ़ोत्तरी दर: | 5.50% |
| सेवानिवृत्ति आयु: | 60 वर्ष |
| निकासी दर: | 30 वर्ष तक छोटी उम्र में 3 प्रतिशत, 31 से 44 वर्ष तक आयु में 2 प्रतिषत और क्रमिक स्तर के अनुसार 44 वर्ष से अधिक आयु में 1 प्रतिषत तक। |
| मृत्यु दर: | भारत निष्चित जीवंत मृत्यु (2012–14) |

**संवेदनशीलता विश्लेषण:**

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए एक धारणा में बदलाव पर आधारित है। व्यवहार में, ऐसा होने की संभावना नहीं है, और कुछ मान्यताओं में परिवर्तन सह–संबद्ध हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनषीलता की गणना करते समय उसी विधि (अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति) को लागू किया गया है जब वित्तीय स्थिति के विवरण के भीतर मान्यताप्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना की जाती है।

## टिप्पणी–13: वित्तीय देयताएं

**13.1** अन्य वित्तीय देयताएं

भारतीय लाख रुपए में

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 का |
|---|---|---|---|
| i) | व्यापार देय | 156.32 | 70.99 |
| **अंत शेष** | | **156.32** | **70.99** |

**31 मार्च, 2025 तक व्यापार देय राशियों का आयु निर्धारण अनुसूची**

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | 6 महीने से कम | 6 महीने–1 वर्ष | 1–2 वर्ष | |
| (i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है | 156.32 | - | - | 156.32 |
| (ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है | | | | |
| (iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है | | | | |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है | | | | |
| **कुल** | **156.32** | **-** | **-** | **156.32** |

**Amount Recognised in Other Comprehensive Income Account**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | **Acturial Gain / Loss on obligation** | | |
| (I) | Gratuity | 12.13 | 14.33 |
| (II) | Leave Encashment | 36.82 | 2.81 |
| (III) | Post retirement benefit | (7.04) | (6.56) |
| (IV) | LTC | 24.79 | 63.34 |
| | | (66.70) | (73.92) |

**There are no Investment held against the provision for gratuity and leave encashment.**

| ACTUARIAL ASSUMPTIONS: | As at 31st March 2025 |
|---|---|
| Method Of Valuation : | Project Unit Credit Method |
| Discount Rate : | 7.22% |
| Salary Escalation Rate: | 5.50% |
| Retirement Age: | 60 Years |
| Withdrawal Rate: | 3% at younger ages upto 30 years, From age 31 to 44 it is 2% and reducing upto 1% at older age from 44 years according to graduated scale. |
| Mortality Rate | India Assured Lives Mortality (2012-14) |

**Sensitivity analysis:**

The above sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (projected unit credit method) has been applied as when calculating the defined benefit obligation recognised within the statement of financial position.

## Note 13 : Other Financial Liabilities

### 13.1 Trade Payables

**INR in Lakhs**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Trade Payables | 156.32 | 70.99 |
| **Closing Balance** | | **156.32** | **70.99** |

**Trade Payables ageing schedule as at March 31, 2025**

| Particulars | Outstanding for following periods from due date of payment | | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Less than 6 months | 6 months- 1 year | 1-2 years | |
| (i) Undisputed Trade receivables – considered good | 156.32 | - | - | 156.32 |
| (ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful | | | | |
| (iii) Disputed Trade Receivables – considered good | | | | |
| (iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful | | | | |
| **Total** | **156.32** | **-** | **-** | **156.32** |

31 मार्च, 2024 तक व्यापार देय राशियों का आयु निर्धारण अनुसूची

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | 6 महीने से कम | 6 महीने–1 वर्ष | 1–2 वर्ष | |
| (i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है | 70.99 | - | - | 70.99 |
| (ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है | | | | |
| (iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है | | | | |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है | | | | |
| **कुल** | **70.99** | **-** | **-** | **70.99** |

**13.2 अन्य वित्तीय देनदारियां अन्य वित्तीय देनदारियां**

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 का |
|---|---|---|---|
| i) | कर्मचारियों को देय | 7.29 | 49.21 |
| ii) | देय व्यय | 18.38 | 33.22 |
| **अंत शेष** | | **25.67** | **82.43** |

टिप्पणी–14: अन्य वर्तमान देयताएं

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 का |
|---|---|---|---|
| i) | देय डयूटी एवं कर | 83.99 | 66.31 |
| **अंत शेष** | | **83.99** | **66.31** |

टिप्पणी–15: प्रचालनों से राजस्व

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए |
|---|---|---|---|
| | **सलाहकार सेवा शुल्क:** | | |
| i) | सिंडिकेशन | 5.00 | 45.21 |
| ii) | परामर्श | 1,580.73 | 1,319.94 |
| iii) | आईआईएफसी यूके | 172.05 | 194.96 |
| **अंत शेष** | | **1,757.78** | **1,560.11** |

टिप्पणी–16: अन्य आय

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए |
|---|---|---|---|
| **(I)** | **गैर संबंधित और आवर्ती** | | |
| i) | सावधि जमा पर ब्याज आय | 113.14 | 126.98 |
| ii) | आईटी रिफंड पर ब्याज आय | - | 2.50 |
| ii) | कर्मचारी ऋण पर अनवाइंडिंग ब्याज | 12.23 | 12.66 |
| **(II)** | **संबंधित और आवर्तक** | | |
| | व्यय की प्रतिपूर्ति | 211.14 | - |
| | वेतन की वसूली | 0.08 | |
| **(III)** | **संबंधित और अनावर्ती** | | |
| | विविध आय | 0.34 | |
| | विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव से लाभ | 0.77 | - |
| | अतिरिक्त प्रावधान की वापसी (पिछला वित्तीय वर्ष) | 1.13 | |
| **(IV)** | **असंबद्ध एवं गैर–आवर्ती मद** | | |
| | आयकर रिफंड पर ब्याज | 6.57 | 1.74 |
| **अंत शेष** | | **345.40** | **143.88** |

**Trade Payables ageing schedule as at March 31, 2024**

| Particulars | Outstanding for following periods from due date of payment | | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Less than 6 months | 6 months-1 year | 1-2 years | |
| (i) Undisputed Trade receivables – considered good | 70.99 | - | - | 70.99 |
| (ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful | | | | |
| (iii) Disputed Trade Receivables – considered good | | | | |
| (iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful | | | | |
| **Total** | **70.99** | **-** | **-** | **70.99** |

**13.2 Other Financial Liabilities**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Payable to employees | 7.29 | 49.21 |
| ii) | Expenses Payable | 18.38 | 33.22 |
| **Closing Balance** | | **25.67** | **82.43** |

**14 Other Current Liabilities**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Duties & Taxes Payable | 83.99 | 66.31 |
| **Closing Balance** | | **83.99** | **66.31** |

**Note 15 : Revenue from operations**

| S.No. | PARTICULARS | For the year ended 31st March 2025 | For the year ended 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | **Advisory Service Fee from:** | | |
| i) | Syndication | 5.00 | 45.21 |
| ii) | Consultancy | 1,580.73 | 1,319.94 |
| iii) | IIFC UK | 172.05 | 194.96 |
| **Closing Balance** | | **1,757.78** | **1,560.11** |

**Note 16 : Other Income**

| S.No. | PARTICULARS | For the year ended 31st March 2025 | For the year ended 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| **(I)** | **Non Related and recurring** | | |
| i) | Interest Income On Fixed Deposits | 113.14 | 126.98 |
| ii) | Reversal of Bidding fee | - | 2.50 |
| ii) | Unwinding interest on employee loan | 12.23 | 12.66 |
| **(II)** | **Related and recurring** | | |
| | Reimbursement of expenses | 211.14 | - |
| | Recovery of salary | 0.08 | |
| **(III)** | **Related and non-recurring** | | |
| | Miscellaneous Income | 0.34 | |
| | Gain on account of Foreign exchange Fluctuation | 0.77 | - |
| | Excess provision written off (Previous FY) | 1.13 | |
| **(IV)** | **Non Related and non-recurring** | | |
| | Interest on Income Tax Refund | 6.57 | 1.74 |
| **Closing Balance** | | **345.40** | **143.88** |

## टिप्पणी–17: कर्मचारी लाभ व्यय

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए |
|---|---|---|---|
| i) | वेतन और मजदूरी | 566.43 | 568.04 |
| ii) | परामर्शदाता शुल्क | 667.49 | 501.19 |
| iii) | उप परामर्शदाता शुल्क | 7.64 | - |
| iv) | अनुसंधान सहयोगियों को वजीफा | 15.64 | 25.28 |
| iv) | सेवानिवृत्ति लाभों में अंशदान | 80.41 | 39.99 |
| v) | आउटसोर्स किए गए कर्मियों की लागत | 78.75 | 72.04 |
| vi) | कर्मचारी लागत का अमोर्टाइजेशन | 3.96 | 3.77 |
| | **अंत शेष** | **1,420.32** | **1,210.31** |

## टिप्पणी–18: अन्य व्यय

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए |
|---|---|---|---|
| i) | लेखापरीक्षक पारिश्रमिक (नीचे टिप्पणी 18.01 देखें) | 1.25 | 0.36 |
| ii) | किराया* | 69.42 | 80.95 |
| iii) | कार्यालय रखरखाव | 33.37 | 20.41 |
| iv) | यात्रा एवं भ्रमण व्यय | 81.73 | 30.26 |
| v) | विधिक एवं पेशेवर व्यय | 11.88 | 19.91 |
| vi) | दरें एवं कर | 1.42 | 0.23 |
| vii) | मुद्रण एवं स्टेशनरी | 7.97 | 3.47 |
| viii) | कंप्यूटर संचालन एवं रखरखाव | 1.21 | 5.33 |
| ix) | वाहन संचालन एवं रखरखाव | 2.37 | 1.74 |
| x) | मरम्मत एवं रखरखाव कृ अन्य | 1.40 | 0.28 |
| xi) | संचार व्यय | 3.13 | 3.04 |
| xii) | अनुसंधान एवं विकास | 9.76 | - |
| xiii) | बैठक एवं सम्मेलन व्यय | 200.32 | |
| xiv) | विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव से हानि | 0.15 | |
| xv) | प्रशासनिक एवं अन्य व्यय | 40.25 | 47.87 |
| | **अंत शेष** | **465.62** | **213.86** |

*इसमें गिफ्ट सिटी ब्रांच का किराया शामिल है – 10.40 लाख रुपये

## टिप्पणी–18.1: लेखापरीक्षकों को भुगतान का विवरण

| लेखापरीक्षकों को भुगतान | 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए |
|---|---|---|
| लेखापरीक्षक के रूप में: | | |
| वैधानिक लेखापरीक्षक | 1.25 | 0.25 |
| कर लेखापरीक्षा | 0.37 | 0.11 |
| सीमित समीक्षा | 0.37 | - |
| **कुल** | **1.99** | **0.36** |

### Note 17 : Manpower Benefit Expenses

| S.No. | PARTICULARS | For the year ended 31st March 2025 | For the year ended 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Salaries and Wages | 566.43 | 568.04 |
| ii) | Consultants Fee | 667.49 | 501.19 |
| iii) | Sub consultants fee | 7.64 | - |
| iv) | Stipend to Research Associates | 15.64 | 25.28 |
| iv) | Contribution to Retiral Benefits | 80.41 | 39.99 |
| v) | Outsourced Staff cost | 78.75 | 72.04 |
| vi) | Amortisation of staff cost | 3.96 | 3.77 |
| | **Closing Balance** | **1,420.32** | **1,210.31** |

### Note 18 : Other Expenses

| S.No. | PARTICULARS | For the year ended 31st March 2025 | For the year ended 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Auditor Remuneration (see note 18.01 below) | 1.25 | 0.36 |
| ii) | Rent* | 69.42 | 80.95 |
| iii) | Office Maintenance | 33.37 | 20.41 |
| iv) | Tour & Travelling Expenses | 81.73 | 30.26 |
| v) | Legal & Professional Expenses | 11.88 | 19.91 |
| vi) | Rates & Taxes | 1.42 | 0.23 |
| vii) | Printing & Stationery | 7.97 | 3.47 |
| viii) | Running & Maintenance- Computer | 1.21 | 5.33 |
| ix) | Running & Maintenance- Vehicle | 2.37 | 1.74 |
| x) | Repairs & Maintenance- Others | 1.40 | 0.28 |
| xi) | Communication Expenses | 3.13 | 3.04 |
| xii) | Research and Development | 9.76 | - |
| xiii) | Meeting and Conference | 200.32 | |
| xiv) | Loss on Exchange fluctuation | 0.15 | |
| xv) | Administrative & Other Expenses | 40.25 | 47.87 |
| | **Closing Balance** | **465.62** | **213.86** |

*includes rent of GIFT City Branch- Rs. 10.40 Lacs

### Note 18.1 Details of payments to Auditor

| Payment to Auditors | For the year ended 31st March 2025 | For the year ended 31st March 2024 |
|---|---|---|
| As Auditor: | | |
| Statutory Audit | 1.25 | 0.25 |
| Tax Audit | 0.37 | 0.11 |
| Limited Review | 0.37 | - |
| **Total** | **1.99** | **0.36** |

## टिप्पणी–19: वर्तमान कर

| क्र. सं. | लेखापरीक्षकों को भुगतान | 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए |
|---|---|---|---|
| | **वर्तमान आयकर** | | |
| | वर्तमान आयकर प्रभार | 60.14 | 30.01 |
| | पिछले वर्ष के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन | - | - |
| | **आस्थगित कर** | | |
| | अस्थायी अंतरों के उदय एवं रिवर्सल से संबद्ध | (3.21) | 41.61 |
| **अंत शेष** | | **56.93** | **71.61** |

## टिप्पणी–20: अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

### 20.1 अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

इक्विटी में हर प्रकार की आरक्षित निधि में ओसीआई में परिवर्तन को नीचे अलग–अलग दर्शाया गया है

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए |
|---|---|---|---|
| | निर्धारिक लाभकारी योजनाओं का पुनः मापन | (66.70) | 73.92 |
| | मदों से संबंधित आयकर जिसे लाभ और हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | 16.79 | (18.61) |
| **अंत शेष** | | **(49.91)** | **55.31** |

### 20.2 वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए |
|---|---|---|---|
| | परिभाषित लाभकारी योजनाओं के पुनः मापन पर शुद्ध हानि/लाभ | 16.79 | (18.61) |
| **अंत शेष** | | **16.79** | **(18.61)** |

## Note 19 : Current Tax

| S.No. | PARTICULARS | For the year ended 31st March 2025 | For the year ended 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | **Current Income Tax** | | |
| | Current Income Tax charge | 60.14 | 30.01 |
| | Adjustments in respect of current income tax of previous year | - | - |
| | **Deferred Tax** | | |
| | Relating to origination and reversal of temporary differences | (3.21) | 41.61 |
| **Closing Balance** | | **56.93** | **71.61** |

## Note 20 : Other Comprehensive Income (OCI)

**20.1 Components of Other Comprehensive Income (OCI)**

The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below

| S.No. | PARTICULARS | For the year ended 31st March 2025 | For the year ended 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | Remeasurement of Defined benefit plans | (66.70) | 73.92 |
| | Income Tax relating to Items that will not be reclassified to profit and loss | 16.79 | (18.61) |
| **Closing Balance** | | **(49.91)** | **55.31** |

**20.2 Deferred tax related to items recognised in OCI during the year:**

| S.No. | PARTICULARS | For the year ended 31st March 2025 | For the year ended 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | Net Loss/gain on Remeasurement of Defined benefit plans | 16.79 | (18.61) |
| **Closing Balance** | | **16.79** | **(18.61)** |

## 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

### नोट 21: लेखा अनुपात

| क्र. सं. | अनुपात का नाम | मीटर | भाजक | 31 मार्च 2025 | 31 मार्च 2024 | परिवर्तन | पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25: से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वर्तमान अनुपात (समय में) | वर्तमान संपत्ति | वर्तमान देनदारियां | 7.95 | 10.54 | -25% | सावधि जमा में वृद्धि |
| 2 | ऋण–इक्विटी अनुपात (समय में) | कुल ऋण | हिस्सेदारी | लागू नहीं, क्योंकि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है | | | |
| 3 | ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में) | ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय | ऋण सेवा | लागू नहीं, क्योंकि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है | | | |
| 4 | इक्विटी अनुपात पर वापसी (: में) | करों के बाद शुद्ध लाभ | औसत शेयरधारक की इक्विटी | 5.69% | 6.43% | 68 गुना | राजस्व में वृद्धि के कारण लाभ में वृद्धि |
| 5 | इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में) | संचालन से राजस्व | औसत सूची | लागू नहीं, क्योंकि कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है | | | |
| 6 | व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में) | शुद्ध क्रेडिट राजस्व संचालन से | औसत व्यापार प्राप्य | 2.91 | 1.69 | 73% | बेहतर व्यापार प्राप्य अनुपात |
| 7 | व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में) | नेट क्रेडिट खरीद | औसत व्यापार देय | 156.32 | 70.99 | 120% | |
| 8 | शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में) | संचालन से राजस्व | कार्यशील पूंजी | 0.67 | 0.46 | 46% | राजस्व में वृद्धि के कारण लाभ में वृद्धि |
| 9 | शुद्ध लाभ अनुपात (% में) | करों के बाद शुद्ध लाभ | संचालन से राजस्व | 8.51% | 19.80% | -57% | राजस्व में वृद्धि के कारण लाभ में वृद्धि |
| 10 | नियोजित पूंजी पर रिटर्न (% में) | ब्याज और करों से पहले की कमाई | नियोजित पूंजी | 2.70% | 9.35% | -71% | राजस्व में वृद्धि के कारण लाभ में वृद्धि |
| 11 | निवेश पर रिटर्न (% में) | करों के बाद शुद्ध लाभ | औसत पूंजी नियोजित | 3.59% | 6.02% | -40% | राजस्व में वृद्धि के कारण लाभ में वृद्धि |

## NOTES ON FINANCIAL STATTEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2024

### Note 21 : Accounting ratios

| S. No. | Name of the Ratio | Numerator | Denominator | 31st March 2025 | 31st March 2024 | Change | Explanation for change in the ratio by more than 25% as compared to the previous year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Current Ratio (in times) | Current Assets | Current Liabilities | 7.95 | 10.54 | -25% | Decrease in Current Liabilities |
| 2 | Debt-Equity Ratio (in times) | Total Debt | Equity | Not Applicable, as no debt on the company | | | |
| 3 | Debt Service Coverage Ratio (in times) | Earnings available for debt service | Debt Service | Not Applicable, as no debt on the company | | | |
| 4 | Return on Equity Ratio (in %) | Net Profits after taxes | Average Shareholder's Equity | 5.69% | 6.43% | .68 times | Decreased profit due to increased expenses |
| 5 | Inventory turnover ratio (in times) | Revenue from operations | Average Inventory | Not Applicable , as no inventory held by the company | | | |
| 6 | Trade Receivables turnover ratio (in times) | "Net credit revenue from operations" | Average Trade Receivables | 2.91 | 1.69 | 73% | Increased revenue |
| 7 | Trade payables turnover ratio (in times) | Net credit Purchases | Average Trade Payables | 156.32 | 70.99 | 120% | Increased payables due to workshops of MSME |
| 8 | Net capital turnover ratio (in times) | Revenue from operations | Working Capital | 0.67 | 0.46 | 46% | Decreased profit due to increased expenses |
| 9 | Net profit ratio (in %) | Net Profits after taxes | Revenue from operations | 8.51% | 19.80% | -57% | Decreased profit due to increased expenses |
| 10 | Return on Capital employed (in %) | Earnings Before Interest and taxes | Capital Employed | 2.70% | 9.35% | -71% | Decreased profit due to increased expenses |
| 11 | Return on investment (in %) | Net Profits after taxes | Average Capital Employed | 3.59% | 6.02% | -40% | Decreased profit due to increased expenses |

**Definitions:**

a) Net credit sales = Net credit sales consist of gross credit sales minus sales return
b) Average trade receivables = (Opening trade receivables balance + Closing trade receivables balance) / 2
c) Working capital = Current assets - Current liabilities
d) Earnings Before Interest and taxes = Profit before tax + Finance costs
e) Capital Employed = Equity + Non-current Liabilities

### टिप्पणी–22: विदेशी मुद्रा में व्यय

(भारतीय लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|
| विदेश यात्रा व्यय | 9.76 | शून्य |

### टिप्पणी–23: आकस्मिक देयताएं

एक पूर्व सलाहकार द्वारा अनुबंध की निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पहले अनुचित रूप से समाप्त किए जाने का आरोप लगाते हुए वाद दायर किया गया है। कथित अनुबंध उल्लंघन से संबंधित राशि निर्धारित नहीं की जा सकी है। मामले के मूल्यांकन तथा विधिक परामर्श के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि प्रतिकूल परिणाम की संभावना वर्तमान में अनिश्चित है और संभावित नहीं है। अतः इस संबंध में लेखा पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

### टिप्पणी–24: 31.03.2025 को पूंजी प्रतिबद्धता

### टिप्पणी–25: प्रबंधकीय पारिश्रमिक

(भारतीय लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|
| **अल्पावधि कर्मचारी लाभ** | | |
| वेतन एवं भत्ते | 55.00 | 40.50 |
| रोजगार पश्चात लाभ | शून्य | शून्य |
| **कुल** | **55.00** | **40.50** |

### टिप्पणी–26: उचित मूल्य मापन

**(i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन**

| विवरण | 31 मार्च 2025 | | | 31 मार्च 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एफवीटीपीएल | एफवीटीओसीआई | ऋण परिशोधन लागत | एफवीटीपीएल | एफवीटीओसीआई | ऋण परिशोधन लागत |
| **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | | | |
| कर्मचारियों को ऋण | | | 164.09 | | | 160.66 |
| प्राप्य व्यापार | - | - | 699.48 | - | - | 594.70 |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य | - | - | 900.54 | - | - | 805.52 |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष | - | - | 1,203.50 | - | - | 1,060.56 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | | | 39.31 | | | 80.84 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियां** | **-** | - | **3,006.92** | **-** | **-** | **2,702.28** |
| **वित्तीय देयताएं** | | | | | | |
| उधार | - | - | - | - | - | - |
| प्राप्य व्यापार | - | - | 156.32 | - | - | 70.99 |
| अन्य वित्तीय देयताए | | | 25.67 | | | 82.43 |
| **कुल वित्तीय देयताए** | **-** | **-** | **181.98** | **-** | **-** | **153.42** |

**(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य, जिन्हें अमोर्टाइज्ड लागत पर मापा जाता हैरू**

| विवरण | 31 मार्च 2025 | | 31 मार्च 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | वहन मूल्य | उचित मूल्य | वहन मूल्य | उचित मूल्य |
| **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| **कर्मचारियों को ऋण** | 164.09 | 125.27 | 160.66 | 122.47 |
| **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां** | 39.31 | 39.31 | 80.84 | 80.84 |
| **कुल परिसंपत्तियां** | **203.40** | **164.58** | **241.50** | **203.31** |
| **वित्तीय देयताएं** | | | | |
| **अन्य वित्तीय देयताएं** | 25.67 | 25.67 | 82.43 | 82.43 |
| | **25.67** | **25.67** | **82.43** | **82.43** |

### Note 22 : Expenditure in Foreign currency-

(INR in Lakhs)

| Particulars | 31st March 2025 | 31st March 2024 |
|---|---|---|
| Foreign travel expense | 9.76 | NIL |

### Note 23 : Contingent Liabilities

A legal suit has been filed by a former consultant alleging wrongful termination of contract prior to its agreed expiry. The amount for alleged breach of contractual terms is unascertainable. Based on the evaluation of the matter and consultation with legal councel, the management believes that the likelihood of an adverse outcome is presently uncertain and not probable. Accordingly, no provision has been made in the books of accounts in this regard.

### Note 24 : Capital Commitment- NIL as on 31.03.2024

### Note 25 : Managerial Remuneration

(INR in Lakhs)

| Particulars | 31st March 2025 | 31st March 2024 |
|---|---|---|
| **Short Term Employee Benefits** | | |
| Salary and allowances | 55.00 | 40.50 |
| Post employment benefits | Nil | Nil |
| **Total** | **55.00** | **40.50** |

### Note 26 : Fair Value Measurements

**(i) Financial Instruments by Category**

| Particulars | 31st March 2025 | | | 31st March 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FVTPL | FVTOCI | Amortised Cost | FVTPL | FVTOCI | Amortised Cost |
| **Financial Assets** | | | | | | |
| Loans to Employees | | | 164.09 | | | 160.66 |
| Trade Receivables | - | - | 699.48 | - | - | 594.70 |
| Cash and Cash Equivalents | - | - | 900.54 | - | - | 805.52 |
| Bank Balances other than Cash and Cash equivalent | - | - | 1,203.50 | - | - | 1,060.56 |
| Other Financial Assets | | | 39.31 | | | 80.84 |
| **Total Financial Assets** | **-** | - | **3,006.92** | **-** | **-** | **2,702.28** |
| **Financial Liabilities** | | | | | | |
| Borrowings | - | - | - | - | - | - |
| Trade Payables | - | - | 156.32 | - | - | 70.99 |
| Other financial liabilities | | | 25.67 | | | 82.43 |
| **Total Financial Liabilities** | **-** | **-** | **181.98** | **-** | **-** | **153.42** |

**(ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at amortised cost:**

| Particulars | 31st March 2025 | | 31st March 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | Carrying value | Fair value | Carrying value | Fair value |
| **Financial Assets** | | | | |
| Loans to Employees | 164.09 | 125.27 | 160.66 | 122.47 |
| Other Financial Assets | 39.31 | 39.31 | 80.84 | 80.84 |
| **Total Assets** | **203.40** | **164.58** | **241.50** | **203.31** |
| **Financial Liabilities** | | | | |
| Other financial liabilities | 25.67 | 25.67 | 82.43 | 82.43 |
| | **25.67** | **25.67** | **82.43** | **82.43** |

व्यापार प्राप्य, नकदी एवं नकदी समतुल्य, बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं अन्य वित्तीय देयताओं की वहन राशि उनकी संक्षिप्त अवधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के अनुसार विचार की जाती है।

ऋणों के लिए उचित मूल्य की गणना वर्तमान उधार दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी । काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम सहित गैर–अवलोकन योग्य इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य उत्तराधिकार के स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

### उचित मूल्य उत्तराधिकार

स्तर 1– समान परिसंपत्तियों या बाध्यताओं के लिए सक्रिय मार्केट में उद्धत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में शामिल उद्धत मूल्य के अलावा इनपुट जो परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप में (अर्थात् मूल्यों से लिए गए) आवश्यक होते हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट जो देखे जा सकने वाले मार्केट इनपुट पर आधारित नहीं होते हैं।

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य के क्रम की ऋण वसूली लागत पर माप को दर्शाया गया है:

**31.03.2025 का**

| विवरण | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | स्तर 4 |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्तियां**<br>ऋण परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | |
| **कर्मचारियों को ऋण** | - | - | **125.27** | **125.27** |
| | | | **125.27** | **125.27** |

**31.03.2024 का**

| विवरण | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | स्तर 4 |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्तियां**<br>ऋण परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | |
| **कर्मचारियों को ऋण** | - | - | **122.47** | **122.47** |
| | | | **122.47** | **122.47** |

## टिप्पणी 27 – प्रति शेयर अर्जन

| विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|
| **मूल ईपीएस** | | |
| चल रहे प्रचालनों से | 2.10 | 4.25 |
| रोके गए प्रचालनों से | - | - |
| **तनुकृत ईपीएस** | | |
| चल रहे प्रचालनों से | 2.10 | 4.25 |
| रोके गए प्रचालनों से | | |

The carrying amounts of Trade Receivables , Cash and cash equivalents, Bank Balances, other financial assets and other financial liabilities are considered to be the same as their Fair values, due to their short term nature.

The Fair value for loans were calculated based on cash flows discounted using the current lending rate. They are classified as Level 3 Fair Values in the fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable input including counterparty credit risk.

**Fair Value hierarchy**

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilties

Level 2- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilty, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)

Level 3- Inputs for the assets or liabilties that are not based on observable market data (unobservable inputs)

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilties measured at amortised cost:-

**As at 31-03-2025**

| Particulars | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Financial Assets** | | | | |
| Financial assets at Amortised Cost | | | | |
| **Loans to Employees** | - | - | **125.27** | **125.27** |
| | | | **125.27** | **125.27** |

**As at 31-03-2024**

| Particulars | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Financial Assets** | | | | |
| Financial assets at Amortised Cost | | | | |
| **Loans to Employees** | - | - | **122.47** | **122.47** |
| | | | **122.47** | **122.47** |

## Note 27 : Earnings Per Share

| Particulars | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|
| **Basic EPS** | | |
| From continuing Operations | 2.10 | 4.25 |
| From discontinuing Operations | - | - |
| **Diluted EPS** | | |
| From continuing Operations | 2.10 | 4.25 |
| From discontinuing Operations | | |

### 27.1 प्रति शेयर बेसिम आमदनी

प्रति शेयर बेसिक आमदनी की गणना के लिए उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की आमदनी और भारित औसत संख्या

| विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|
| कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभः | | |
| चल रहे प्रचालनों से | 149.65 | 205.17 |
| रोके गए प्रचालनों से | - | - |
| बेसिक ईपीएस की गणना में उपयोग की गई आमदनी | 149.65 | 205.17 |
| प्रति शेयर बेसिक आमदनी के उद्देश्य से शेयरों की भारित | 47.50 | 47.50 |

### 27.2 प्रति शेयर तनुकृत आमदनी

प्रति शेयर तनुकृत आमदनी की गणना के लिए उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की आमदनी और भारित औसत संख्या

| विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|
| कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभः | | |
| चल रहे प्रचालनों से | 149.65 | 205.17 |
| रोके गए प्रचालनों से | - | - |
| बेसिक ईपीएस की गणना में उपयोग की गई आमदनी | 149.65 | 205.17 |
| प्रति शेयर बेसिक आमदनी के उद्देश्य से शेयरों की भारित | 47.50 | 47.50 |

## टिप्पणी 28 : एंड–एएस 24 ''संबद्ध पार्टी प्रकटन द्वारा अपेक्षित संबंधित पार्टी प्रकटन

### 28.1 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री पी आर जयशंकर - अध्यक्ष एवं निदेशक

श्री संजीव कुमार - निदेशक एवं उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

### 28.2 वे उपक्रम जिनमें निदेशक का ब्याज होता हैः शून्य

### 28.3 होल्डिंग कंपनीः इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

**सहायक कंपनीः**

1. आईआईएुसीएल एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड
2. आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड

**27.1 Basic Earning Per Share**

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share:-

| Particulars | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|
| Profit attributable to equity holders of the company: | | |
| From continuing Operations | 149.65 | 205.17 |
| From discontinuing Operations | - | - |
| Earnings used in calculation of Basic EPS | 149.65 | 205.17 |
| Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share | 47.50 | 47.50 |

**27.2 Diluted Earning Per Share**

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

| Particulars | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|
| Profit attributable to equity holders of the company: | | |
| From continuing Operations | 149.65 | 205.17 |
| From discontinuing Operations | - | - |
| Earnings used in calculation of Diluted EPS | 149.65 | 205.17 |
| Weighted average number of shares for the purpose of diluted earnings per share | 47.50 | 47.50 |

**Note 28. Related Party disclosures as required by Ind-AS 24 "Related party Disclosure"**

**28.1 Key Management Personnel**

Shri P.R.Jaishankar - Chairman & Director

Shri Sanjeev Kumar - Director & Chief Executive Officer

**28.2 Enterprises in which Directors interest exist- NIL**

**28.3 Holding Company: India Infrastructure Finance company limited**

Associate Concerns:
1. IIFCL Asset Management Company Limited
2. IIFC (UK) Limited

### 28.4 संबंधित पार्टियों से लेनदनों का प्रकटन

भारतीय लाख रु. में

| विवरण | लेनदेन | | बकाया राशि (असुरक्षित, अच्छी माने जाने वाली) | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2025 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2025 | 31 मार्च 2024 |
| **1. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड** | | | | |
| **क.देय प्रतिपूर्तियाँ:** | | | | |
| किरायाः | 59.01 | 80.95 | 31.79 | 35.12 |
| पेंट्री, पार्किंग और कार्यालय रखरखाव | 33.37 | 20.41 | 33.37 | 16.87 |
| बीमा (प्रावधान) | 2.18 | - | 2.18 | - |
| करों | 9.03 | - | 1.74 | - |
| **कुल** | **103.59** | **101.36** | **69.08** | **51.99** |
| **ख. प्रतिपूर्ति प्राप्तियां** | | | | |
| प्रतिनियुक्त कर्मचारियो का वेतन | 62.11 | 60.43 | 70.55 | 60.43 |
| सलाहकार शुल्क | 118.50 | 69.43 | 36.87 | 69.43 |
| **कुल** | **180.61** | **129.86** | **107.42** | **129.86** |
| | | | | |
| **शुद्ध प्राप्य / देय** | | | **38.34** | **77.87** |
| **2. आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड** | | | | |
| परामर्शी शुल्क | 172.05 | 207.57 | 42.92 | 54.97 |
| अन्य प्रतिपूर्तियां | | 0.09 | - | 0.01 |
| **कुल** | **172.05** | **207.66** | **42.92** | **54.98** |
| **3 श्री पलाश श्रीवास्तव** | | | | |
| पारिश्रमिक | 55.00 | 54.00 | 5.00 | 5.00 |

## नोट 29: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक जानकारी

i) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकारी या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

ii) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है।

iii) बेनामी संपत्ति का विवरणः बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति धारण करने के लिए समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रारंभ या लंबित नहीं है।

iv) वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास अभी तक कोई प्रभार या संतुष्टि दर्ज नहीं की जानी है।

**28.4 Disclosure of transactions with related parties**

INR in Lakhs

| Particulars | Transactions | | Outstanding Amount (Unsecured, Considered Good) | |
|---|---|---|---|---|
| | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 |
| **1. India Infrastructure Finance Company Limited** | | | | |
| **A. Reimbursements Payable:** | | | | |
| Rent: | 59.01 | 80.95 | 31.79 | 35.12 |
| Pantry, Parking & Office Maintenance | 33.37 | 20.41 | 33.37 | 16.87 |
| Insurance (Provision) | 2.18 | - | 2.18 | - |
| Taxes | 9.03 | - | 1.74 | - |
| **Total** | **103.59** | **101.36** | **69.08** | **51.99** |
| **B. Reimbursements Receivable** | | | | |
| Salary of deputed employees | 62.11 | 60.43 | 70.55 | 60.43 |
| Advisory Fee | 118.50 | 69.43 | 36.87 | 69.43 |
| **Total** | **180.61** | **129.86** | **107.42** | **129.86** |
| | | | | |
| **Net receivable** | | | **38.34** | **77.87** |
| **2. IIFC (UK) Limited** | | | | |
| Advisory Fee | 172.05 | 207.57 | 42.92 | 54.97 |
| Other Reimbursements | | 0.09 | - | 0.01 |
| **Total** | **172.05** | **207.66** | **42.92** | **54.98** |
| **3 Shri Palash Srivastava** | | | | |
| Remuneration | 55.00 | 54.00 | 5.00 | 5.00 |

**Note 29. Additional regulatory information required by Schedule III of Companies Act, 2013**

i) The Company has not been declared as a Wilful Defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.

ii) The Company did not have any material transactions with companies struck off under Section 248 of the Companies Act,2013 or Section 560 of Companies Act, 1956 during the financial year.

iii) Details of Benami property: No proceedings have been initiated or are pending against the Group for holding any Benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made thereunder.

iv) No charges or satisfaction yet to be registered with Registrar of Companies beyond the statutory period.

v) अनुमोदित योजना एवं व्यवस्था का अनुपालनः कंपनी किसी ऐसी व्यवस्था की योजना में शामिल नहीं हुई है जिसके कारण वर्तमान या पूर्व वित्तीय वर्ष पर कोई लेखांकन प्रभाव पड़ा हो।

vi) अघोषित आयः आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्तमान या पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में कोई आय सरेंडर या प्रकटित नहीं की गई है जो लेखा बहियों में दर्ज नहीं की गई हो।

vii) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरणः कंपनी ने वर्तमान या पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

viii) पीपीएंडई, अमूर्त परिसंपत्ति एवं निवेश संपत्ति का मूल्यांकनः कंपनी ने वर्तमान या पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (परिसंपत्तियों के उपयोग अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों को पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ix) कंपनी ने मांग पर चुकाने योग्य या चुकौती की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किए बिना ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

## टिप्पणी 30– डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार प्रचालन लाभ/हानि का प्रकटन

28.05.2025 को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

कृते **सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण सं.: 003330N

हस्ता/–
**सीए विनय कुमार सहगल**
(साझेदार)
सदस्यता सं.: 080517

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.05.2025

**कृते निदेशक मंडल की ओर से**
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता/–
**संजीव कुमार**
(निदेशक एवं सीईओ)
डीआईएनः 08828758

हस्ता/–
**पी. आर. जयशंकर**
(अध्यक्ष एवं निदेशक)
डीआईएनः 6711526

v) Compliance with approved scheme(s) of arrangements: The Company has not entered into any scheme of arrangement which has an accounting impact on current or previous financial year.

vi) Undisclosed income: There is no income surrendered or disclosed as income during the current or previous year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961, that has not been recorded in the books of account.

vii) Details of crypto currency or virtual currency: The Company has not traded or invested in crypto currency or virtual currency during the current or previous year.

viii) Valuation of PP&E, intangible asset and investment property: The Company has not revalued its property, plant and equipment (including right-of-use assets) or intangible assets or both during the current or previous year.

ix) The Company has not granted any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment.

## Note 30. Approval of financial statement

The financial statements were approved for issue by the Board of Directors on 28.05.2025

For **Sehgal Mehta & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 003330N

Sd/-
**CA Vinay Kumar Sehgal**
(Partner)
Membership No.: 080517

Place: New Delhi
Date: 28.05.2025

**For and on behalf of the Board of Directors**
IIFCL Projects Limited

Sd/-
**Sanjeev Kumar**
(Director & CEO)
DIN: 08828758

Sd/-
**P R Jaishankar**
(Chairman & Director)
DIN: 6711526

# महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

## टिप्पणी 1: महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा इंड एएस वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग बनने वाली टिप्पणियाँ

### 1. कॉर्पोरट जानकारी:

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ("कंपनी") एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका गठन 14 फरवरी 2012 को भारत में किया गया था तथा इसका अधिवास (डोमिसाइल) भी भारत में है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, दक्षिण–पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, भारत दृ 110023 में स्थित है। कंपनी, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

आईआईएफसीएल, जो भारत की एक प्रमुख अवसंरचना वित्तपोषण संस्था है, ने कंपनी को एक समर्पित परियोजना परामर्श कंपनी के रूप में प्रोत्साहित किया है। कंपनी परियोजना मूल्यांकन, ऋण समेकन (डेब्ट सिंडिकेशन), लेनदेन परामर्श, क्षमता निर्माण तथा अन्य प्रकार की वित्तीय परामर्श सेवाओं के क्षेत्रों में कार्यरत है।

### 2. प्रमुख एवं अन्य महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

#### 2.1. अनुपालन का वक्तव्य

कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों का निर्माण भारतीय लेखांकन मानकों (जिन्हें "इंड एएस" कहा जाता है) की आवश्यकताओं के अनुसार किया है, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (समय–समय पर संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। ये वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (समय–समय पर संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा अन्य लागू नियामकीय मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए शाखा कार्यालय के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 25.07.2025 को अनुमोदित एवं स्वीकृत किया गया। ये वित्तीय विवरण आईएफएससीए की आवश्यकताओं के अनुरूप अमेरिकी डॉलर में तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग निरंतर आधार पर किया गया है, सिवाय उन स्थितियों के जहाँ किसी नवीन लेखांकन मानक को प्रथम बार अपनाया गया हो अथवा किसी विद्यमान लेखांकन मानक में संशोधन के कारण अब तक प्रचलित लेखांकन नीति में परिवर्तन अपेक्षित हुआ हो।

#### 2.2. तैयारी का आधार

इंड एएस वित्तीय विवरणों को चालू संस्था के आधार पर, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तथा उपार्जन आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के, जिनका मूल्यांकन प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में उचित मूल्य पर किया जाता है, जैसा कि नीचे पैरा 4 में वर्णित लेखांकन नीतियों में स्पष्ट किया गया है। ऐतिहासिक लागत सामान्यतः वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय में प्रदत्त प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

#### परिसंपत्तियों एवं देयताओं का चालू तथा गैर–चालू के रूप में वर्गीकरण:

कंपनी तुलन पत्र में परिसंपत्तियों एवं देयताओं को चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू माना जाता है, जब वहः

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने की अपेक्षा हो अथवा उसे बेचे जाने या उपभोग किए जाने का आशय हो;
- मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारण की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर प्राप्त होने की अपेक्षा हो; या
- नकद एवं नकद समतुल्य हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह तक किसी देयता के निपटान हेतु उसके विनिमय या उपयोग पर कोई प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी देयता को चालू माना जाता है, जबः

- उसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटान होने की अपेक्षा हो;
- वह मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित हो;
- उसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर किया जाना हो; अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह तक देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार उपलब्ध न हो। अन्य सभी देयताओं को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

# SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

## NOTE 1: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF IND AS FINANCIAL STATEMENTS

### 1. Corporate Information

IIFCL Projects Limited ("the Company") is a public limited company incorporated and domiciled in India on 14 February 2012. The registered office of the company is at 5th Floor, Block 2, Plate A, NBCC Tower, East Kidwai Nagar, South West Delhi, New Delhi, India, 110023. The company is a wholly owned subsidiary of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), a Government of India Enterprise.

IIFCL, a premier infrastructure financing institution in India, has promoted the company as a dedicated project advisory company involved in the areas of Project Appraisal, Debt Syndication, Transaction Advisory, Capacity Building and other forms of Financial Consulting.

### 2. Summary of material and other significant accounting policies

#### 2.1. Statement of Compliance

The Company prepared its Standalone Financial Statements in accordance with the requirements of Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended). These Standalone Financial Statements comply with Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), applicable provisions of the Companies Act, 2013 and other applicable regulatory norms/guidelines.

The standalone financial statements for the financial year ended 31 March, 2025 were authorized and approved by the Board of Directors on 28.05.2025. The financial statements have been prepared in Indian rupees (Rs.) which is also the functional currency of the company and rounded off to nearest Rs. Lakhs up to two decimal points, except for no. of shares and earnings per share, or stated otherwise. Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in accounting policy hitherto in use.

#### 2.2. Basis of preparation

The Ind AS financial statements have been prepared on a going concern basis under the historical cost convention on accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair value at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies detailed in para 4 below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange of goods or services.

**Classification of assets and liabilities as current and non- current:**

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. An asset is treated as current when it is:

- Expected to be realised or intended to be sold or consumed in normal operating cycle.
- Held primarily for the purpose of trading
- Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or
- Cash and cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is treated as current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle.
- It is held primarily for the purpose of trading
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period. All other liabilities are classified as non-current.

परिचालन चक्र वह अवधि है जो प्रसंस्करण हेतु परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से लेकर उनके नकद एवं नकद समतुल्य में प्राप्त होने तक के बीच होती है। कंपनी ने अपने परिचालन चक्र के रूप में बारह माह की अवधि निर्धारित की है।

## 2.3. प्रमुख लेखांकन नीतियां

### (क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अवमूल्यन की विधियाँ, अनुमानित उपयोगी आयु तथा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अवशिष्ट मूल्य

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की सभी मदों को लागत से संचित अवमूल्यन तथा संचित मूल्यह्रास हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर अवमूल्यन की गणना लिखित अवशिष्ट मूल्य विधि से, प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी आयु के आधार पर की जाती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अंतर्गत निर्दिष्ट परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, अवशिष्ट मूल्य को परिसंपत्तियों की लागत का 5: माना गया है। ₹ 5,000/– तक मूल्य वाली परिसंपत्तियों का अवमूल्यन अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः कर दिया जाता है। कंपनी द्वारा अपनाई गई उपयोगी आयु निम्नानुसार है:

| परिसंपत्तियों का विवरण | प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी आयु | अनुसूची–प्प के अनुसार उपयोगी आयु |
|---|---|---|
| फर्नीचर एवं फिक्स्चर | 10 | 10 |
| वाहन | 8 | 8 |
| कार्यालय उपकरण | 5 | 5 |
| कंप्यूटर उपकरण | 3 | 3 |

अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी आयु तथा अवमूल्यन की विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है।

### (ख) अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए परिशोधन की विधियाँ एवं अवधियाँ

कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर अथवा ब्रांड जैसे अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन सीधी रेखा विधि से तीन वर्ष की अवधि में किया जाता है, जो प्रबंधन के अनुसार इन परिसंपत्तियों की आर्थिक उपयोगी आयु को परिलक्षित करता है। सीमित उपयोगी आयु वाली अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए परिशोधन अवधि एवं परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। सीमित उपयोगी आयु वाली अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

### (ग) राजस्व की मान्यता

ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों से प्राप्त राजस्व की मान्यता उस समय की जाती है जब वस्तुओं अथवा सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को स्थानांतरित हो जाता है, और उस राशि में की जाती है जो उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले कंपनी को प्राप्त होने वाले प्रतिफल को परिलक्षित करती है। राजस्व का मापन उस प्रतिफल के आधार पर किया जाता है, जिसकी प्राप्ति की कंपनी को ग्राहक से अपेक्षा होती है, जिसमें रिटर्न एवं भत्ते, छूट, मात्रा आधारित रियायतें तथा नकद छूट को घटाकर आकलन किया जाता है तथा ग्राहकों से वसूल किए गए एवं संबंधित कर प्राधिकरणों को प्रेषित किए जाने वाले लागू करों को शामिल नहीं किया जाता। राजस्व की मान्यता की राशि एवं समय, राजस्व की प्रकृति, परिमाण, समय–निर्धारण तथा अनिश्चितता का निर्धारण करने हेतु कंपनी इंड एएस–115 में निर्दिष्ट सिद्धांतों का अनुपालन करती है। राजस्व की मान्यता पाँच–चरणीय दृष्टिकोण के माध्यम से की जाती है:

- ग्राहक के साथ अनुबंध/अनुबंधों की पहचान करना;
- अनुबंध में पृथक निष्पादन दायित्वों की पहचान करना;
- लेन–देन मूल्य का निर्धारण करना;
- लेन–देन मूल्य का निष्पादन दायित्वों में आवंटन करना; तथा
- जब कोई निष्पादन दायित्व पूर्ण हो जाए, तब राजस्व की मान्यता करना।

कंपनी निम्नलिखित प्रमुख स्रोतों से राजस्व की मान्यता करती है:

1. **परियोजना परामर्श सेवाएँ:** परामर्श एवं सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त राजस्व की मान्यता समय के साथ की जाती है, जैसे–जैसे सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, तथा जब यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और राशि का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। निष्पादन दायित्व सामान्यतः पूर्णता के चरण के आधार पर संतुष्ट माने जाते हैं, जिसका मापन इनपुट विधियों, जैसे कि कुल अपेक्षित लागत के सापेक्ष हुई लागत के आधार पर किया जाता है।
2. **लेन–देन/रिटेनर शुल्क:** लेन–देन संबंधी परामर्श अनुबंधों अथवा रिटेनर व्यवस्थाओं से प्राप्त राजस्व की मान्यता अनुबंध की शर्तों के अनुसार की जाती है, जो निम्न प्रकार हो सकती है–
    - समय के साथ (निरंतर परामर्श सहायता के लिए); या

The operating cycle is the time between the acquisition of the assets for processing and their realisation in cash and cash equivalents. The Company has identified twelve months as its operating cycle.

**2.3. Material accounting policies**

(a) Property, plant and equipment, depreciation methods, estimated useful lives and residual value for property, plant and equipment

All items of property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Depreciation on property, plant and equipment is calculated using written down value (WDV) method based on the useful lives as estimated by the management which is in accordance with the useful life of assets as prescribed under Schedule II of the Companies Act, 2013. Further, residual value is considered as 5% of the cost of the assets. Assets valuing up to INR 5,000/- are fully depreciated in the year of acquisition. The useful lives followed by the company are as follows:

| Description of Assets | Useful life as estimated by the management | Useful life as per Schedule II |
|---|---|---|
| Furniture & Fixtures | 10 | 10 |
| Vehicles | 8 | 8 |
| Office Equipment's | 5 | 5 |
| Computer Equipment's | 3 | 3 |

The residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed at the end of each financial year.

**(b) Amortization methods and periods for intangibles**

Intangible assets like computer software or brands which are amortised over a period of three years under straight line method which, as per management, reflects the economic useful life of this asset. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognised in the Statement of Profit and Loss.

**(c) Revenue recognition**

Revenue from contracts with customers is recognized when the control of goods or services is transferred to the customer at an amount that reflects the consideration to which the company expects to be entitled in exchange for those goods or services. Revenue is measured based on the consideration to which the company expects to be entitled from a customer, net of returns and allowances, discounts, volume rebates, and cash discounts and excludes applicable taxes recovered from customers and remitted to the respective taxing authorities. The Company, to determine that how much and when revenue is recognized, what is the nature, amount, timing and uncertainty of revenues etc. uses the principles laid down by the Ind AS 115. Revenue is recognized through a 5-step approach:

- Identify the contract(s) with customer;
- Identify separate performance obligations in the contract;
- Determine the transaction price;
- Allocate the transaction price to the performance obligations; and
- Recognize revenue when a performance obligation is satisfied.

The Company recognizes revenue from the following major sources:

1. **Project Advisory Services:** Revenue from consultancy and advisory services is recognized over time, as the services are rendered, and when it is probable that economic benefits will flow to the company and the amount can be measured reliably. The performance obligations are typically satisfied based on the stage of completion, which is measured using input methods such as costs incurred relative to the total expected costs.
2. **Transaction/Retainer Fees**: Revenue from transaction advisory mandates or retainer arrangements is recognized in accordance with the terms of the contract, either:
    - Over time (for ongoing advisory support), or

- किसी निर्धारित समय–बिंदु पर (किसी उपलब्धि अथवा घटना की प्राप्ति पर)।

3. **ब्याज आय (यदि लागू हो):** ब्याज आय की मान्यता समयानुपातिक आधार पर, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए की जाती है।

4. **अन्य आय:** अन्य आय, जैसे कर–वापसी पर प्राप्त ब्याज आय, की मान्यता प्राप्ति के समय की जाती है।

## (घ) वित्तीय साधन

वित्तीय साधन ऐसा कोई भी अनुबंध है, जिसके परिणामस्वरूप एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति तथा दूसरी इकाई की वित्तीय देयता अथवा इक्विटी साधन उत्पन्न होता है। वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की मान्यता उस समय की जाती है जब कंपनी उस साधन के संविदात्मक प्रावधानों की पक्षकार बन जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। वित्तीय साधनों के अधिग्रहण या निर्गम से सीधे संबद्ध लेन–देन लागत (उन वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को छोड़कर जिनका मापन लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है) को, प्रारंभिक मान्यता के समय, उपयुक्त रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा या उससे घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण से सीधे संबद्ध लेन–देन लागत को तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। तत्पश्चात, वित्तीय साधनों का मापन उस श्रेणी के अनुसार किया जाता है, जिसमें उन्हें वर्गीकृत किया गया है।

### वित्तीय परिसंपत्तियाँ

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों का पश्चात मापन उनकी समग्रता में या तो प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर अथवा उचित मूल्य पर किया जाता है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

### वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति एवं उद्देश्य पर निर्भर करता है तथा इसका निर्धारण प्रारंभिक मान्यता के समय किया जाता है।

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित मापन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

- वे, जिनका पश्चात मापन उचित मूल्य पर किया जाना है (या तो अन्य समग्र आय के माध्यम से अथवा लाभ या हानि के माध्यम से); तथा
- वे, जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

यह वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु इकाई के व्यवसाय मॉडल तथा नकद प्रवाह की संविदात्मक शर्तों पर निर्भर करता है।

कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती है, तो उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जब तक कि उचित मूल्य विकल्प के अंतर्गत उसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापने हेतु नामित न किया गया हो:

- व्यवसाय मॉडल परीक्षण: कंपनी के व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्ति को धारण कर उसके संविदात्मक नकद प्रवाह की वसूली करना है।
- नकद प्रवाह विशेषता परीक्षण: वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो केवल मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान तक सीमित होते हैं।

कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती है, तो उसे अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि उचित मूल्य विकल्प के अंतर्गत उसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापने हेतु नामित न किया गया हो:

- व्यवसाय मॉडल परीक्षण: वित्तीय परिसंपत्ति ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित है, जिसका उद्देश्य नकद प्रवाह की वसूली तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री–दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
- नकद प्रवाह विशेषता परीक्षण: वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो केवल मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान तक सीमित होते हैं।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है।

### अन्य इक्विटी साधनों में निवेश

जो इक्विटी साधन व्यापार के उद्देश्य से धारित किए जाते हैं, उनमें निवेश को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी प्रारंभिक मान्यता के समय, प्रत्येक साधन के आधार पर, अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग करते हुए उन्हें या तो अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ('एफवीटीओसीआई') अथवा लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वर्गीकृत करती है। अन्य समग्र आय में प्रदर्शित राशियों को पश्चात लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित नहीं किया जाता है। तथापि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को

- At a point in time (upon achievement of a milestone or event).

3. **Interest Income** (if applicable): Interest income is recognized on a time proportion basis, using the effective interest rate (EIR) method.
4. **Other Income**: Other income such as interest income on tax refunds are recognized as and when it is received.

**(d) Financial instruments**

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. Financial assets and financial liabilities are recognized when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial instruments (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial assets or financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in the statement of profit or loss. Subsequently, financial instruments are measured according to the category in which they are classified.

**Financial assets**

All recognised financial assets are subsequently measured in their entirety at either amortised cost using the effective interest method or fair value, depending on the classification of the financial assets.

**Classification of financial assets**

Classification of financial assets depends on the nature and purpose of the financial assets and is determined at the time of initial recognition.

The Company classifies its financial assets in the following measurement categories:

- Those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and
- Those measured at amortized cost

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

A financial asset that meets the following two conditions is measured at amortised cost unless the asset is designated at fair value through profit or loss under the fair value option:

- Business model test: The objective of the Company's business model is to hold the financial asset to collect the contractual cash flows.
- Cash flow characteristic test: The contractual term of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

A financial asset that meets the following two conditions is measured at fair value through other comprehensive income unless the asset is designated at fair value through profit or loss under the fair value option:

- Business model test: The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting cash flows and selling financial assets.
- Cash flow characteristic test: The contractual term of the financial asset gives rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

All other financial assets are measured at fair value through profit or loss.

**Investment in other equity instruments**

Investments in equity instruments which are held for trading are classified as at fair value through profit or loss ('FVTPL'). For all other equity instruments, the Company makes an irrevocable choice upon initial recognition, on an instrument-by-instrument basis, to classify the same either as at fair value through other comprehensive income ('FVTOCI') or fair value through profit or loss ('FVTPL'). Amounts presented in other comprehensive income are not subsequently transferred to the statement of profit or loss. However, the Company transfers the cumulative

इक्विटी के भीतर अंतरित करती है। ऐसे निवेशों पर प्राप्त लाभांश को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के किसी भाग की वसूली का प्रतिनिधित्व न करता हो।

**वित्तीय देयताएँ एवं इक्विटी साधन**

**ऋण अथवा इक्विटी का वर्गीकरण**

कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण अथवा इक्विटी साधनों का वर्गीकरण संविदात्मक व्यवस्थाओं की वास्तविक प्रकृति तथा वित्तीय देयता एवं इक्विटी साधन की परिभाषाओं के अनुरूप, या तो वित्तीय देयताओं के रूप में अथवा इक्विटी के रूप में किया जाता है।

**इक्विटी साधन**

इक्विटी साधन ऐसा कोई भी अनुबंध है, जो किसी इकाई की सभी देयताओं को घटाने के पश्चात उसकी परिसंपत्तियों में अवशिष्ट ब्याज को प्रदर्शित करता है। कंपनी द्वारा जारी इक्विटी साधनों की मान्यता प्रत्यक्ष निर्गम व्ययों को घटाकर प्राप्त आय के आधार पर की जाती है।

**वित्तीय देयताएँ**

सभी वित्तीय देयताओं का पश्चात मापन प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर अथवा लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है।

**व्यापार एवं अन्य देय**

व्यापार एवं अन्य देय उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए देय दायित्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व कंपनी को प्रदान की गई हों, परंतु जिनका भुगतान अब तक नहीं किया गया है।

**उधार**

उधारों की प्रारंभिक मान्यता उचित मूल्य पर हुए लेन–देन व्ययों को घटाकर की जाती है। तत्पश्चात उधारों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है। प्राप्ति राशि (लेन–देन व्ययों को घटाकर) और विमोचन राशि के बीच किसी भी अंतर को उधार की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, निरस्तीकरण या समाप्ति हो जाती है, तब उधारों को तुलन पत्र से हटा दिया जाता है।

किसी समाप्त की गई वित्तीय देयता अथवा किसी अन्य पक्ष को अंतरण की गई वित्तीय देयता की वहन राशि और चुकाए गए प्रतिफल, जिसमें अंतरणित गैर–नकद परिसंपत्तियाँ या स्वीकृत देयताएँ भी शामिल हैं, के बीच का अंतर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की अपमान्यता

कंपनी वित्तीय देयताओं को अपमान्य तभी करती है, जब और केवल जब कंपनी के दायित्वों का निर्वहन हो जाता है, उन्हें निरस्त कर दिया जाता है अथवा उनकी अवधि समाप्त हो जाती है।

## (ङ) वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास

कंपनी निम्नलिखित पर अपेक्षित ऋण हानि मॉडल के आधार पर मूल्यह्रास का आकलन करती है:

- परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ; तथा
- अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ।

ईसीएल वह भारित औसत अंतर है, जो अनुबंध के अनुसार कंपनी को देय सभी संविदात्मक नकद प्रवाह तथा कंपनी द्वारा अपेक्षित सभी नकद प्रवाहों के बीच होता है, जिसे मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूटित किया जाता है, और जिसमें चूक के संभावित जोखिमों को भार के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अपेक्षित ऋण हानियों का मापन हानि भत्ता के माध्यम से निम्नलिखित के बराबर राशि पर किया जाता है:

- बारह माह की अपेक्षित ऋण हानियाँ (वे अपेक्षित ऋण हानियाँ, जो रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात बारह माह के भीतर वित्तीय साधनों पर संभावित चूक घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती हैं); अथवा
- पूर्ण जीवनकाल की अपेक्षित ऋण हानियाँ (वे अपेक्षित ऋण हानियाँ, जो वित्तीय साधन के जीवनकाल के दौरान सभी संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हो सकती हैं)।

gain or loss within equity. Dividends on such investments are recognized in the statement of profit or loss unless the dividend clearly represents a recovery of part of the cost of the investment.

**Financial liabilities and equity instruments**

**Classification of debt or equity**

Debt or equity instruments issued by the Company are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

**Equity instruments**

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recognised at the proceeds received, net of direct issue costs.

**Financial liabilities**

All financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method or at fair value through statement of profit & loss.

**Trade and other payables**

Trade and other payables represent liabilities for goods or services provided to the Company prior to the end of financial year which are unpaid.

**Borrowings**

Borrowings are initially recognised at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently measured at amortised cost. Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption amount is recognised in Statement of Profit and Loss over the period of the borrowings using the effective interest rate method.

Borrowings are removed from the balance sheet when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired.

The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in Statement of Profit & Loss.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired.

**(e) Impairment of Financial Assets**

The Company assesses impairment based on expected credit losses (ECL) model to the following:

- Financial assets measured at amortized cost.
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

ECL is the weighted-average of difference between all contractual cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at the original effective interest rate, with the respective risks of default occurring as the weights. Expected credit losses are measured through a loss allowance at an amount equal to:

- The twelve month expected credit losses (expected credit losses that result from those default events on the financial instruments that are possible within twelve months after the reporting date); or
- Full life-time expected credit losses (expected credit losses that result from all possible default events over the life of the financial instrument).

### व्यापार प्राप्तियाँ

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में कंपनी इंड एएस 109 "वित्तीय साधन" के सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करती है, जिसके अनुसार हानि भत्ता का मापन पूर्ण जीवनकाल की अपेक्षित ऋण हानियों के बराबर राशि पर किया जाता है। पूर्ण जीवनकाल की अपेक्षित ऋण हानियाँ वे अपेक्षित ऋण हानियाँ हैं, जो किसी वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान सभी संभावित चूक घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं।

### अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी यह आकलन करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो कंपनी हानि भत्ता का मापन 12 माह की अपेक्षित ऋण हानियों के बराबर राशि पर करती है; अन्यथा, हानि भत्ता का मापन पूर्ण जीवनकाल की अपेक्षित ऋण हानियों के बराबर राशि पर किया जाता है।

इस आकलन को करते समय कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान चूक होने के जोखिम में हुए परिवर्तन का उपयोग करती है। इस हेतु कंपनी तुलन पत्र तिथि पर वित्तीय परिसंपत्ति पर चूक के जोखिम की तुलना प्रारंभिक मान्यता की तिथि पर विद्यमान चूक जोखिम से करती है तथा ऐसी युक्तिसंगत एवं समर्थनीय सूचनाओं पर विचार करती है, जो बिना अत्यधिक लागत या प्रयास के उपलब्ध हों और जो प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में हुई उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देती हों। यदि तुलन पत्र तिथि पर किसी वित्तीय परिसंपत्ति को निम्न ऋण जोखिम वाला निर्धारित किया जाता है, तो कंपनी यह मान लेती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उस वित्तीय परिसंपत्ति पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

### वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यीकरण

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की अपमान्यता केवल निम्न स्थितियों में की जाती है:

- जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों का हस्तांतरण कर दिया हो; अथवा
- कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार अपने पास रखती हो, परंतु उन नकद प्रवाहों को एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को भुगतान करने का संविदात्मक दायित्व स्वीकार कर लेती हो।

## (च) उचित मूल्य का मापन

कंपनी वित्तीय साधनों का मापन उचित मूल्य पर करती है, जो वह मूल्य है जो मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन–देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त किया जा सकता है या किसी देयता के अंतरण हेतु अदा किया जाना अपेक्षित होता है। उचित मूल्य का मापन इस धारणा पर आधारित होता है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयता का अंतरण निम्न में से किसी एक बाजार में होता है:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रधान बाजार में; अथवा
- यदि प्रधान बाजार उपलब्ध न हो, तो परिसंपत्ति या देयता के लिए सर्वाधिक लाभप्रद बाजार में।

जिन सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य का मापन या प्रकटीकरण किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नानुसार है। यह वर्गीकरण उस न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित होता है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य के मापन के लिए महत्त्वपूर्ण हो:

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (बिना समायोजन) बाजार मूल्य

स्तर 2 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनमें उचित मूल्य के मापन के लिए महत्त्वपूर्ण न्यूनतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होता है; और

स्तर 3 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनमें उचित मूल्य के मापन के लिए महत्त्वपूर्ण न्यूनतम स्तर का इनपुट अप्रेक्षणीय होता है।

कंपनी ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के अनुरूप हों तथा जिनके लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध हों। इस प्रक्रिया में प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट के उपयोग को अधिकतम तथा अप्रेक्षणीय इनपुट के उपयोग को न्यूनतम रखा जाता है। जिन परिसंपत्तियों एवं देयताओं की तुलन पत्र में आवर्ती आधार पर मान्यता दी जाती है, उनके लिए कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह पुनर्मूल्यांकन करती है कि क्या पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के बीच कोई अंतरण हुआ है या नहीं। यह पुनर्वर्गीकरण उस न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर किया जाता है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य के मापन के लिए महत्त्वपूर्ण हो।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशेषताओं एवं जोखिमों तथा ऊपर वर्णित उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर निर्धारित किए हैं।

**Trade receivables**

In respect of trade receivables, the Company applies the simplified approach of Ind AS 109 'Financial Instruments', which requires measurement of loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses. Lifetime expected credit losses are the expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

**Other financial assets**

In respect of its other financial assets, the Company assesses if the credit risk on those financial assets has increased significantly since initial recognition. If the credit risk has not increased significantly since initial recognition, the Company measures the loss allowance at an amount equal to 12-month expected credit losses, else at an amount equal to the lifetime expected credit losses.

When making this assessment, the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial asset. To make that assessment, the Company compares the risk of a default occurring on the financial asset as at the balance sheet date with the risk of a default occurring on the financial asset as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition. The Company assumes that the credit risk on a financial asset has not increased significantly since initial recognition if the financial asset is determined to have low credit risk at the balance sheet date.

**Derecognition of financial assets**

A financial asset is derecognized only when:

- The Company has transferred the rights to receive cash flows from the financial asset; or
- Retains the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset, but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients.

**(f) Fair Value Measurement**

The Company measures financial instruments at fair value which is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either.

- in the principal market for the asset or liability, or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities

Level 2 Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable; and

Level 3 Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs. For assets and liabilities that are recognized in the balance sheet on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

**अन्य महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ**

**(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण**

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत में क्रय मूल्य (छूट एवं रियायतों को घटाकर), कर एवं शुल्क, भाड़ा तथा परिसंपत्ति को उसके अभिप्रेत उपयोग हेतु कार्यशील अवस्था में लाने के लिए सीधे तौर पर संबद्ध अन्य आकस्मिक व्यय शामिल होते हैं। किसी परिसंपत्ति के उपयोग के पश्चात उसके निष्क्रियकरण से संबंधित अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को भी संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है, बशर्ते कि प्रावधान की मान्यता हेतु निर्धारित मानदंड पूर्ण होते हों।

पश्चात व्ययों को परिसंपत्ति की वहन राशि में सम्मिलित किया जाता है या उपयुक्त होने पर पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तब जब यह संभावित हो कि संबंधित मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और उस मद की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके। पृथक परिसंपत्ति के रूप में लेखांकित किसी घटक की वहन राशि को उसके प्रतिस्थापन के समय अपमान्य कर दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत एवं रखरखाव व्ययों को उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, जिसमें वे व्ययित होते हैं, लाभ एवं हानि विवरण में अभिलिखित किया जाता है।

**संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का निपटान**

परिसंपत्तियों के अपमान्यता से उत्पन्न लाभ या हानि का निर्धारण शुद्ध निपटान प्राप्तियों और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है। ऐसे लाभ या हानि को परिसंपत्ति के अपमान्य किए जाने के समय लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**(ख) अमूर्त परिसंपत्तियाँ**

पृथक रूप से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रारंभिक मान्यता पर मापन लागत पर किया जाता है, जिसमें से संचित परिशोधन तथा संचित मूल्यह्रास हानि, यदि कोई हो, घटाई जाती है। लागत में क्रय मूल्य (छूट एवं रियायतों को घटाकर), कर एवं शुल्क तथा परिसंपत्ति को उसके अभिप्रेत उपयोग हेतु कार्यशील अवस्था में लाने से संबंधित सभी प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियाँ, पूंजीकृत विकास व्यय को छोड़कर, पूंजीकृत नहीं की जातीं और उनसे संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है, जिसमें वह व्यय किया जाता है।

**अपमान्यता**

अमूर्त परिसंपत्तियों के निपटान से उत्पन्न लाभ या हानि का मापन निवल निपटान प्राप्तियों और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है तथा परिसंपत्ति के निपटान के समय इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**(ग) कर्मचारी हितलाभ**

कर्मचारियों को प्रदत्त कर्मचारी हितलाभों के संबंध में देयताओं के लिए प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है:

**अल्पकालिक दायित्व**

- वेतन एवं मजदूरी, अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) सहित ऐसे गैर–नकद लाभों से संबंधित देयताएँ, जिनका निपटान उस अवधि के अंत के पश्चात 12 माह के भीतर पूर्णतः किए जाने की अपेक्षा होती है जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवाएँ प्रदान की हैं, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में मान्यता दी जाती हैं तथा उनका मापन उस अनुमानित राशि पर किया जाता है, जो देयताओं के निपटान के समय व्ययित होने की अपेक्षा है। इन देयताओं को स्टैंडअलोन तुलन पत्र में चालू कर्मचारी बकाया देय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- कंपनी ने प्रतिपूरित अवकाश के संबंध में ऐसी नीति अपनाई है, जो संचयी तथा गैर–संचयी दोनों प्रकार की है। संचयी प्रतिपूरित अवकाश की अपेक्षित लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर एक स्वतंत्र अंकेक्षक द्वारा प्रक्षेपित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है, जो तुलन पत्र तिथि तक संचित अप्रयुक्त अधिकारों के कारण अपेक्षित अतिरिक्त भुगतान/उपयोग की राशि पर आधारित होता है। गैर–संचयी प्रतिपूरित अवकाश पर होने वाला व्यय उस अवधि में मान्यता किया जाता है, जिसमें ऐसे अवकाश घटित होते हैं।
- अन्य अल्पकालिक हितलाभों के संबंध में व्यय की मान्यता उस अवधि के लिए देय या भुगतान की गई राशि के आधार पर की जाती है, जिसके दौरान कर्मचारी द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

**अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ दायित्व**

अवकाश नकदीकरण तथा प्रतिपूरित अवकाश से संबंधित वे देयताएँ, जिनका निपटान उस अवधि के अंत के पश्चात कंपनी के परिचालन चक्र के भीतर पूर्णतः होने की अपेक्षा नहीं है जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवाएँ प्रदान की हैं, उनका मापन प्रक्षेपित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करते हुए अपेक्षित भावी नकद बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। इन लाभों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बांडों की उस बाजार प्रतिफल दर का उपयोग करते हुए छूटित किया जाता है, जिनकी अवधि संबंधित दायित्व की अवधि के लगभग समकक्ष होती है। अनुभव समायोजनों तथा बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले पुनर्मापन को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**Other significant accounting policiesProperty plant and equipment**

The cost of property, plant and equipment comprises of purchase price (net of rebates and discounts), taxes, duties, freight and any other incidental expenses directly attributable for bringing the asset to its working condition for it's intended use. The present value of the expected cost for the decommissioning of an asset after its use is included in the cost of the respective asset if the recognition criteria for a provision are met.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for, as a separate asset is derecognized when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of Profit & Loss during the reporting period in which they are incurred.

**Disposal of property, plant and equipment**

Gains or losses arising from the de-recognition of assets are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset. Such gains or losses are recognized in the Statement of Profit and Loss at the time the asset is de-recognized.

**(b) Intangibles**

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price (net of rebates and discounts), taxes, duties and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Internally generated intangibles, excluding capitalised development cost, are not capitalised and the related expenditure is reflected in Statement of Profit and Loss in the period in which the expenditure is incurred.

**De-recognition**

Gains or losses arising from disposal of the intangible assets are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the Statement of Profit and Loss when the assets are disposed off**.**

**(c) Employee Benefits**

Liabilities in respect of employee benefits to employees are provided for as follows:

**Short-term obligations**

- Liabilities for wages and salaries, leave travel concession including non-monetary benefits that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognized in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be incurred when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee dues payable in the Standalone Balance Sheet.
- The Company has adopted a policy on compensated absences which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absences is determined by actuarial valuation performed by an independent actuary at each balance sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid /availed because of the unused entitlement that has accumulated at the balance sheet date. Expense on non-accumulating compensated absences is recognized in the period in which the absences occur.
- Expense in respect of other short-term benefits is recognized based on the amount paid or payable for the period during which services are rendered by the employee.

**Other long-term employee benefit obligations**

Liabilities for leave encashment and compensated absences which are not expected to be settled wholly within the operating cycle after the end of the period in which the employees render the related service are measured at the present value of the estimated future cash outflows which is expected to be paid using the projected unit credit method. The benefits are discounted using the market yields at the end of the reporting period on Government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation. Re-measurements as a result of experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the Statement of profit or loss.

**सेवानिवृत्ति उपरांत दायित्व**

**परिभाषित हितलाभ योजनाएँ**

कंपनी के पास कर्मचारियों के लिए परिभाषित हितलाभ योजनाएँ हैं, जिनमें ग्रेच्युटी तथा सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ शामिल हैं। ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त देयता अथवा परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के बराबर होती है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक वर्ष अंकेक्षकों द्वारा प्रक्षेपित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, संबंधित दायित्व की अवधि के लगभग समकक्ष अवधि वाले सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपलब्ध बाजार प्रतिफल दर के संदर्भ में, अनुमानित भावी नकद बहिर्वाहों को छूटित करके निर्धारित किया जाता है।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल शेष पर छूट दर लागू करके की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजनों तथा बीमांकन मान्यताओं में परिवर्तनों से उत्पन्न पुनर्मापन लाभ एवं हानियों की मान्यता उस अवधि में की जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, और इन्हें प्रत्यक्ष रूप से अन्य समग्र आय में अभिलिखित किया जाता है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में प्रतिधारित आय के अंतर्गत तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया जाता है।

योजना संशोधनों अथवा कटौती के परिणामस्वरूप परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को पूर्व सेवा लागत के रूप में तत्काल लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**परिभाषित अंशदान योजनाएँ**

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ हेतु परिभाषित अंशदान योजनाएँ हैं, जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना शामिल है, जिसका प्रशासन भविष्य निधि आयुक्त के माध्यम से किया जाता है। कंपनी द्वारा इसमें किया गया अंशदान प्रत्येक वर्ष लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में अभिलिखित किया जाता है। अंशदान का भुगतान किए जाने के पश्चात कंपनी पर कोई अतिरिक्त भुगतान दायित्व शेष नहीं रहता है। राज्य स्तरीय योजनाओं, जैसे कर्मचारी राज्य बीमा निधि तथा कर्मचारी पेंशन योजना, में कंपनी के अंशदान को भी प्रत्येक वर्ष लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

**(घ) कराधान**

आयकर व्यय में चालू कर तथा आस्थगित कर का कुल योग शामिल होता है।

**चालू कर**

चालू कर वर्ष के करयोग्य लाभ पर आधारित होता है। करयोग्य लाभ, लाभ एवं हानि विवरण में प्रदर्शित 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें ऐसे आय या व्यय मद शामिल होते हैं जो अन्य वर्षों में करयोग्य या कटौती योग्य होते हैं तथा ऐसे मद भी होते हैं जो कभी करयोग्य या कटौती योग्य नहीं होते। कंपनी का चालू कर उन कर दरों के आधार पर गणना किया जाता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या सारतः अधिनियमित हो चुकी हों।

**आस्थगित कर**

आस्थगित कर की मान्यता वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि तथा करयोग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त उनके कर–आधार के बीच अस्थायी अंतरों पर की जाती है। सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं की मान्यता की जाती है। सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों तथा उपार्जित कर हानियों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता उस सीमा तक की जाती है, जहाँ यह संभावित हो कि ऐसे करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिनके विरुद्ध इन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सके। ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की मान्यता नहीं की जाती है, यदि अस्थायी अंतर किसी ऐसे लेन–देन में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता हो (व्यवसाय संयोजन को छोड़कर), जो न तो करयोग्य लाभ को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ को।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है, जहाँ यह संभावित नहीं रह जाता कि परिसंपत्ति के पूर्ण या आंशिक वसूली हेतु पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों का मापन उन कर दरों पर किया जाता है, जिनके उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा होती है, जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति का साकार होना अपेक्षित है। यह मापन उन कर दरों (तथा कर कानूनों) पर आधारित होता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या सारतः अधिनियमित हो चुके हों।

आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को परिलक्षित करता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी द्वारा अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षित विधि से उत्पन्न होंगे।

**Post-employment obligations**

**Defined benefit plans**

The Company has defined benefit plans namely gratuity and post-retirement medical benefits for employees. The liability or asset recognised in the Financial Statement of the Company in respect of gratuity plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation. This cost is included in employee benefit expense in the Statement of profit or loss.

Re-measurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the Financial Statement of the Company.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in the Statement of profit or loss as past service cost.

Defined contribution plans

The Company has defined contribution plans for post-employment benefit namely Employee Provident Fund Scheme administered through Provident Fund Commissioner and the Company's contribution thereto is charged to the statement of profit or loss every year. The Company has no further payment obligations once the contributions have been paid. The Company's contribution to State Plans namely Employees' State Insurance Fund and Employees' Pension Scheme are charged to the Statement of Profit and Loss every year.

**(d) Taxation**

Income tax expense represents the sum of the Current Tax and Deferred Tax.

**Current tax**

Current Tax is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from 'profit before tax' as reported in the Statement of Profit and Loss because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible. The Company's current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

**Deferred tax**

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profits. Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences and incurred tax losses to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilised. Such deferred tax assets and liabilities are not recognised if the temporary difference arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

चालू कर तथा आस्थगित कर की मान्यता लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है, सिवाय उन मदों के जो अन्य समग्र आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होते हैं; ऐसे मामलों में संबंधित आयकर को भी क्रमशः अन्य समग्र आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

**(ङ) विदेशी मुद्रा लेन–देन एवं रूपांतरण**

विदेशी मुद्रा में किए गए लेन–देन को क्रियात्मक मुद्रा में उस तिथि की विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है, जो क्रियात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच लेन–देन की तिथि पर प्रचलित होती है। तुलन पत्र तिथि पर बकाया विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए क्रियात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में अभिहित गैर–मौद्रिक मद, जिन्हें ऐतिहासिक लागत पर वहन किया जाता है, उन्हें लेन–देन की तिथि की विनिमय दर पर ही प्रदर्शित किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान पर अथवा प्रतिवेदन तिथि पर पुनर्मूल्यांकन के कारण उत्पन्न विनिमय अंतरों को, जो प्रारंभिक अभिलेखन की दरों से भिन्न दरों पर होते हैं, उस वर्ष के स्वतंत्र लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

**(च) प्रति शेयर अर्जन**

**<u>प्रति शेयर मूल अर्जन</u>**

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कंपनी के स्वामियों को संबद्ध लाभ को वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचलित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

**<u>प्रति शेयर तनुकृते अर्जन</u>**

प्रति शेयर तनुकृते अर्जन, जहाँ लागू हो, संभावित अपकर्षित इक्विटी शेयरों से संबंधित ब्याज एवं अन्य वित्तपोषण लागतों के आयकर–पश्चात प्रभाव को सम्मिलित करते हुए तथा यह मानते हुए कि सभी तनुकृते संभावित इक्विटी शेयर परिवर्तित हो गए होते, उस स्थिति में प्रचलित अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को ध्यान में रखकर मूल प्रति शेयर आय के निर्धारण में प्रयुक्त आँकड़ों में समायोजन करती है।

**(छ) नकद एवं नकद समतुल्य**

नकद में हस्तगत नकद तथा बैंकों में मांग जमा शामिल होते हैं। नकद समतुल्य वे अल्पकालिक शेषराशियाँ (अधिग्रहण की तिथि से तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली) होती हैं, जो अत्यधिक तरल निवेश हैं, जिन्हें ज्ञात राशि के नकद में शीघ्रता से परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

नकद प्रवाह विवरण में नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में उपलब्ध नकद, चेक तथा बैंक शेषराशियाँ शामिल होती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं के अंतर्गत उधार में दर्शाया जाता है तथा नकद प्रवाह विवरण में वित्तपोषण गतिविधियों का भाग माना जाता है। बुक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में अन्य वित्तीय देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जाता है तथा नकद प्रवाह विवरण में परिचालन गतिविधियों का भाग माना जाता है।

**(ज) प्रावधान, संभावित देयताएँ एवं संभावित परिसंपत्तियाँ**

प्रावधान की मान्यता तब की जाती है, जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर वर्तमान वैधानिक अथवा संरचनात्मक दायित्व उत्पन्न हो, कंपनी से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो तथा राशि का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सके।

बहिर्वाह का समय या राशि अनिश्चित हो सकती है। प्रावधानों का मापन वर्तमान दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित अनुमानित व्यय के आधार पर किया जाता है, जो प्रतिवेदन तिथि पर उपलब्ध सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष्यों तथा वर्तमान दायित्व से संबंधित जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। जहाँ धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण हो, वहाँ प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूटित किया जाता है।

संभावित देयता का प्रकटीकरण निम्न स्थितियों में किया जाता है:

- ऐसे संभावित दायित्व, जिनकी पुष्टि केवल भविष्य की घटनाओं से होगी, जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं; अथवा
- पूर्व घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जिनके निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना नहीं है, या जिनकी राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव नहीं है।

ऐसी स्थितियों में, जहाँ वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना अत्यंत कम या दूरस्थ मानी जाती है, कोई देयता न तो मान्यता प्राप्त की जाती है और न ही उसका प्रकटीकरण किया जाता है।

किसी दायित्व के संबंध में कंपनी द्वारा किसी तृतीय पक्ष (जैसे बीमा) से प्राप्त होने वाली प्रतिपूर्ति, जिसकी वसूली के प्रति कंपनी लगभग सुनिश्चित हो, उसे पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। तथापि, ऐसी परिसंपत्ति की राशि संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती।

Current and deferred tax are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the income taxes are also recognised in other comprehensive income or directly in equity respectively.

**(e) Foreign currencies transactions and translations**

Foreign currency transactions are recorded in the functional currency, by applying the exchange rate between the functional currency and the foreign currency at the date of the transaction. Foreign currency monetary items outstanding at the balance sheet date are converted to functional currency using the closing rate. Non-monetary items denominated in a foreign currency which are carried at historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transactions.

Exchange differences arising on monetary items on settlement, or restatement as at reporting date, at rates different from those at which they were initially recorded, are recognized in the Standalone Statement of Profit and Loss in the year in which they arise.

**(f) Earning Per Share**

**Basic earnings per share**

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to owners of the company by the weighted average number of equity shares outstanding during the financial year.

**Diluted earnings per share**

Diluted earnings per share adjusts the figures used in the determination of basic earnings per share to take into account the after-income tax effect of interest and other financing costs associated with dilutive potential equity shares, wherever applicable, and the weighted average number of additional equity shares that would have been outstanding assuming the conversion of all dilutive potential equity shares.

**(g) Cash and Cash equivalents**

Cash comprises cash in hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

In the cash flow statement, cash and cash equivalents includes cash in hand, cheques and balances with bank. Bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities in the balance sheet and forms part of financing activities in the cash flow statement. Book overdraft is shown within other financial liabilities in the balance sheet and forms part of operating activities in the cash flow statement.

**(h) Provisions, Contingent liabilities & Contingent Assets.**

Provisions are recognized when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of economic resources will be required from the Company and amounts can be estimated reliably.

Timing or amount of the outflow may still be uncertain. Provisions are measured at the estimated expenditure required to settle the present obligation, based on the most reliable evidence available at the reporting date, including the risks and uncertainties associated with the present obligation. Provisions are discounted to their present values, where the time value of money is material.

A contingent liability is disclosed for:

- Possible obligations which will be confirmed only by future events not wholly within the control of the Company or
- Present obligations arising from past events where it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

In those cases, where the outflow of economic resources as a result of present obligations is considered improbable or remote, no liability is recognized or disclosure is made.

Any reimbursement that the Company can be virtually certain to collect from a third party concerning the obligation (such as from insurance) is recognized as a separate asset. However, this asset may not exceed the amount of the related provision.

आकस्मिक परिसंपत्तियों की मान्यता नहीं की जाती है। हालांकि, जब आर्थिक लाभों के प्रवाह की संभावना होती है, तब संबंधित परिसंपत्ति का प्रकटीकरण किया जाता है।

**(झ) लेखा नीतियों के अनुप्रयोग में प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण निर्णय एवं अनुमान संबंधी अनिश्चितताएँ**

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान एवं मान्यताएँ करने की आवश्यकता होती है, जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों एवं देयताओं की अभिलिखित राशियों, उनसे संबंधित प्रकटीकरणों तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं:

- **परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास संकेतकों का मूल्यांकन**

  परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के संकेतकों की प्रासंगिकता के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन को अनेक बाह्य एवं आंतरिक कारकों का आकलन करना पड़ता है, जो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में कमी का कारण बन सकते हैं।

- **प्रावधान**

  प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, प्रबंधन के निर्णय, तथ्यों में हुए परिवर्तनों तथा विधिक पहलुओं के आधार पर, कंपनी बकाया आकस्मिक देयताओं के विरुद्ध प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करती है। तथापि, वास्तविक भविष्य परिणाम इस निर्णय से भिन्न हो सकते हैं।

- **अवमूल्यन दरें / विधि**

  प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर अवमूल्यन दरों एवं विधि की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएँ तकनीकी तथा आर्थिक अप्रचलन से संबंधित होती हैं, जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को प्रभावित कर सकती हैं।

कृते **सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण सं.: 003330N

हस्ता / –
**सीए विनय कुमार सहगल**
(साझेदार)
सदस्यता सं.: 080517

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25.07.2025

**कृते निदेशक मंडल की ओर से**
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता / –
**अश्वनी कुमार अग्रवाल**
(निदेशक एवं सीईओ)
सदस्यता सं.: 08828758

हस्ता / –
**पलाश श्रीवास्तव**
(अध्यक्ष एवं निदेशक)
डीआईएन: 02007911

**Contingent assets** are not recognized. However, when the inflow of economic benefits is probable, the related asset is disclosed.

**(i) Significant management judgement in applying accounting policies and estimation uncertainty**

The preparation of the Company's financial statements requires the management to make judgement, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities:

- **Evaluation of indicators for impairment of assets**

The evaluation of applicability of indicators of impairment of assets requires, the management to make an assessment of several external and internal factors which could result in deterioration of recoverable amount of the assets.

- **Provisions**

At each balance sheet date basis the management judgment, changes in facts and legal aspects, the Company assesses the requirement of provisions against the outstanding contingent liabilities. However, the actual future outcome may be different from this judgement.

- **Depreciation rates / Method**

Management reviews its depreciation rates / method at each reporting date, based on the expected utility of the assets. Uncertainties in these estimates relate to technical and economic obsolescence that may change the utility of assets.

As per our report of even date annexed

For **Sehgal Mehta & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 003330N

Sd/-
**CA Vinay Kumar Sehgal**
(Partner)
Membership No.: 080517

Place: New Delhi
Date: 25.07.2025

**For and on behalf of the Board of Directors**
IIFCL Projects Limited

Sd/-
**Ashwani Kumar Agarwal**
(Director & CEO)
DIN: 08828758

Sd/-
**Palash Srivastava**
(Chairman & Director)
DIN: 02007911

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

## आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

## वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली (''कम्पनी'') के संलग्न एंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक विवरण (यहां के बाद एंड एएस वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

### राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और हमें दी गई व्याख्या के अनुसरण में, उपरोक्त कथित एंड एएस वित्तीय विवरण अपेक्षित प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हें और भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों का पालन सहित 31 मार्च, 2025 को कम्पनी की वित्तीय स्थिति का एंड एएस और इसके वित्तीय कार्यप्रर्दशन, इसके नकदी प्रवाह विवरण और उस तिथि को वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

### राय का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्देशित लेखापरीक्षा पर मानक (एसए) के अनुरूप हमारी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों पर हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी में आगे वर्णित की गई है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ कंपनी अधिनियम, 2013

प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी के लिए स्वतंत्र हैं और हमने नैतिक संहिता की इन आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी अन्य सभी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाया है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु उचित एवं पर्याप्त हैं।

## मुख्य लेखापरीक्षा मामलें

मुख्य लेखापरीक्षा मामले ऐसे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। कुछ ऐसे मामले नीचे दिये गये हैं:

1. यह देखा गया है कि कुछ खर्चों का भुगतान किया गया है जिसके लिए पर्याप्त प्रावधान वित्त वर्ष 2022–23 में बुक नहीं किया गया था और उन्हें अब पूर्व अवधि के खर्चों के रूप में बुक किया गया है और प्रकटन किया गया है। इन्हें आयकर अधिनियम के तहत अनुमति नहीं है। कंपनी द्वारा अतिरिक्त करों के भुगतान से इसका वित्तीय प्रभाव पड़ता है। यदि समय पर उचित प्रावधान बुक किए गए होते तो इनसे बचा जा सकता था। साथ ही आईआरसीटीसी के खर्चे की समय पर बुकिंग भी नहीं हो पा रही है।

2. हमारे मतानुसार, कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले अग्रिमों एवं उनकी वसूली से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी के संचालन के आकार, प्रकृति एवं जटिलता के अनुरूप पर्याप्त एवं प्रभावी नहीं है। चूँकि यह संस्था एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है, अतः पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रचलित नियमोंधदिशानिर्देशों के समुचित अनुपालन की दृष्टि से अधिक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं प्रलेखित आंतरिक नियंत्रण ढाँचा अपेक्षित है।

## मामले पर जोर – वितरण एवं उपयोग पर प्रतिबंध

गिफ्ट सिटी शाखा, आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तैयार किए गए विशेष प्रयोजन प्दक ै वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया गया है। अतः इन वित्तीय विवरणों में सम्मिलित पूर्व वर्ष की तुलनात्मक सूचनाओं के संबंध में हम कोई मत अथवा किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

ये विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण शाखा द्वारा विशेष प्रयोजन रूपरेखा के अनुरूप केवल इस उद्देश्य से तैयार किए गए हैं कि प्रधान कार्यालय अपने वैधानिक वित्तीय विवरणों की तैयारी कर सके तथा उन्हें आगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्थ्ैब्।) को प्रस्तुत कर सके। परिणामस्वरूप, ये विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं माने जा सकते।

# INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

## TO THE MEMBERS OF IIFCL PROJECTS LIMITED

## REPORT ON THE AUDIT OF THE SPECIAL PURPOSE IND AS FINANCIAL STATEMENTS OF THE GIFT CITY BRANCH IIFCL PROJECTS LIMITED

### Opinion

We have audited the accompanying Special Purpose Ind AS financial statements of IIFCL Projects Limited Gift City Branch ("the branch"), which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2025,** the Statement of Profit and Loss for the period ended and Statement of Cash Flow for the period ended on that date, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information(together herein referred to as "Special Purpose Ind AS Financial Statement").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Special Purpose Ind AS Financial Statements of the branch give the information required by the Companies Act, 2013 (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025 and its Profit/Loss and its Cash flow for the period ended on that date.

### Basis for Opinion

We conducted our audit of Ind AS Financial Statement in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Special Purpose Ind AS Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Special Purpose Ind AS Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on Special Purpose Ind AS Financial Statement.

### Key Audit Matters

Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. The same are enumerated hereunder:

1. We noted that the Company revised the interest rate applicable on employee personal loans/advances with effect from 1st April 2021. The revised rate was applicable to both outstanding advances as on that date and new disbursements thereafter. However, the requisite accounting adjustments as per Ind AS 109 and Ind AS 19 have been recorded only during the financial year 2024–25. We have assessed the impact of such retrospective accounting and evaluated the adequacy of disclosures made by management.
2. In our view, the internal controls relating to employee advances and recoveries are not commensurate with the size and nature of operations of the Company. Given that the entity is a Public Sector Undertaking (PSU), a stronger internal control framework is expected. Our observation is based on instances such as loans to employees.

### Emphasis of Matter- Restriction of Distribution and Use

The Special purpose Ind AS Financial Statements of the Gift City Branch IIFCL PROJECTS LIMITED Company as of and for the year ended March 31, 2024, were not audited. Accordingly, we do not express an opinion or any form of assurance on the prior year comparative information presented in these financial statements.

These Special Purpose Financial Statement have been prepared by the branch, in accordance with the special purpose framework, solely to assist the Head Office to prepare its financial statements and for onward submission by the Head office to the International Financial Services Centre Authority. As a result, the Special Purpose Financial Statements may not be suitable for another purpose.

यह प्रतिवेदन केवल ष्ैब्। विनियमों के अनुपालनार्थ ष्ैब्। को अग्रेषित किए जाने हेतु अभिप्रेत है। तदनुसार, हमारी पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, नियामक प्राधिकरणों को प्रस्तुत करने को छोड़कर, इसका उपयोग, संदर्भ अथवा वितरण किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य पक्ष के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

## इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उन्हें प्रस्तुत करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधि ानियम'') की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधि ानियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्देशित लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्तया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यप्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्ड बनाए रखना और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, बुद्धिमता के लिए निर्णय एवं अनुमान और डिजाइन, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों का रखरखाव शामिल है जो लेखाकरण रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालन में थे और इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतिरण के लिए संगत थे जो कसिी भी भौतिक मिथ्या कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि हो, से पूरी तरह मुक्त हैं और सही दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन कंपनी की चालूगत आधार पर अपनी क्षमता जारी रखने के लिए उसका आंकलन करने हेतु जिम्मेदार है और यह इस बात का खुलासा करता है कि जब तक प्रबंधन या तो कंपनी के परिसमापन या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, जैसा लागू हो, चालूगत आधार पर इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने में कोइ वैकल्पिक उपाय नहीं हो।

## इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बात पर उचित आश्वासन देना है कि इंड एएस वित्तीय विवरण पूरी तरह से भौतिक मिथ्या कथन चाहे यह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो से मुक्त हो ओर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को जारी करने सहित अपनी राय व्यक्त करना है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह इस बात की गारंटी नही है कि एसए के अनुरूप आयोजित किया गया ऑडिट हमेशा भौतिक मिथ्या कथन की पहचान करता है। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से आ सकता है और यदि व्यक्तिगत रूप से या औसत तरीके से विचार योग्य है जो इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता को आर्थिक निर्णय लेते समय प्रभावित करने का अनुमान हो सकता है।

चूँकि लेखापरीक्षण, लेखापरीक्षण मानकों (SAs) के अनुरूप संपादित किया जाता है, अतः हम संपूर्ण लेखापरीक्षण प्रक्रिया के दौरान व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं तथा व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, हम निम्नलिखित कार्य करते हैं:

- हम वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानी (डंजमतपंस डपेजंजमउमदज) के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करते हैं, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं की योजना बनाकर उनका निष्पादन करते हैं तथा अपने मत के आधार के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न गलत बयानी की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, भ्रामक प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण के अतिक्रमण जैसे तत्व सम्मिलित हो सकते हैं।
- हम लेखापरीक्षण से संबंधित प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं, ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अंतर्गत, हम इस विषय पर भी मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या शाखा में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं।
- हम प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- हम प्रबंधन द्वारा सतत् संचालन (ळवपदह ब्वदबमतद) के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं तथा प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जो शाखा की सतत् संचालन क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान पाई जाती है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है अथवा, यदि वे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपने मत में उपयुक्त संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक प्रतिवेदन की तिथि तक उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित होते हैंय तथापि, भावी घटनाएँ अथवा परिस्थितियाँ शाखा की सतत् संचालन क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।

This report is intended solely for the purpose of onward submission to the IFSCA for compliance with the provisions of the IFSCA Regulations and accordingly, should not be used, referred to or distributed for any other purpose or to any other party without our prior written consent except for submission to any regulatory authorities.

## Responsibility of Management and Those Charged with Governance for the Special Purpose Ind AS Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation and presentation of these Special Purpose Ind AS Financial Statements in accordance with head office accounting policies that give a true and fair view of the financial position, financial performance including cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standard specified under section 133 of the Act. The respective Board of Directors of the entity is responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Special Purpose Ind AS Financial Statements by the Directors of the Company, as aforesaid.

In preparing the Special Purpose Ind AS Financial Statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

## Auditor's Responsibilities for the Audit of the Special Purpose Ind AS Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the special purpose Ind AS financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these special purpose Ind AS financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the branch has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the branch ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the branch to cease to continue as a going concern.

- हम वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय–वस्तु (प्रकटीकरणों सहित) का मूल्यांकन करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन एवं घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण (थ्पत च्तमेमदजंजपवद) के अनुरूप दर्शाते हैं।

भौतिकता (डंजमतपंसपजल) से आशय ऐसी गलत बयानी के परिमाण से है, जो वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से या समष्टि में इस संभावना को जन्म दे कि वित्तीय विवरणों के समुचित ज्ञान रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (प) लेखापरीक्षण कार्य के दायरे की योजना बनाते समय तथा उसके परिणामों का मूल्यांकन करते समय, और (पप) पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का आकलन करते समय, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों (जैवेम बिंतहमक पूजी ळवअमतदंदबम) के साथ, अन्य विषयों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षण के नियोजित दायरे एवं समय–निर्धारण तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण निष्कर्षोंकृजिनमें लेखापरीक्षण के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण संबंधी महत्वपूर्ण कमियाँ भी सम्मिलित हैंकृके संबंध में संवाद स्थापित करते हैं।

हम शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह भी अभिप्रमाणित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा उनसे उन सभी संबंधों एवं अन्य विषयों के बारे में संवाद करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव डालने वाला माना जा सकता है, और जहाँ आवश्यक हो, संबंधित सुरक्षा उपायों की जानकारी भी प्रदान करते हैं।

**कृते सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 003330N

हस्ता/–
**(सीए विनय कुमार सेहगल)**
भागीदार
सदस्यता संख्याः 080517
यूडीआईएनः 25080517BMJNMC9537

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.07.2025

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the special purpose financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

**For Sehgal Mehta And Co.**
**Chartered Accountants**
Firm Registration No. 003330N

Sd/-
**(CA Vinay Kumar Sehgal)**
Partner
Membership No. 080517
UDIN: 25080517BMJNMC9537

Place: New Delhi
Date: 25.07.2025

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
# 31 मार्च 2025 को तुलन पत्र

(राशि अमेरिकी डॉलर में)

| | विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2025 की स्थिति लेखापरीक्षित) | 31 मार्च 2024 की स्थिति लेखापरीक्षित) |
|---|---|---|---|---|
| I | **परिसंपत्तियां** | | | |
| 1 | **गैर–वर्तमान परिसंपत्तिया** | | | |
| | क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण | | - | - |
| | (ख) प्रगतिषील पूंजीगत कार्य | | - | - |
| | ग) अन्य मूर्त परिसंपत्तियां | | - | - |
| | (घ) वित्तीय परिसंपत्तियां | 2 | | |
| | (i) निवेश | | - | - |
| | (ii) ऋण | 2.1 | 29,542.33 | - |
| | (iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 2.2 | - | - |
| | ङ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) | | - | - |
| | (च) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तिया | 3 | 5,422.95 | 2,968.69 |
| | **कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तिया** | | **34,965.29** | **2,968.69** |
| 2 | **वर्तमान परिसंपत्तियां** | | | |
| | (क) वित्तीय परिसंपत्तियां | 4 | | |
| | (i) प्राप्य व्यापार | 4.1 | - | - |
| | (ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य | 4.2 | 58.12 | - |
| | (iii) उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक शेष | 4.3 | - | - |
| | (iv) ऋण | 4.4 | 6,031.47 | - |
| | (ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां | 5 | 2,588.93 | - |
| | **कुल वर्तमान परिसंपत्तियां** | | **8,678.53** | **-** |
| | **कुल परिसंपत्तियां** | | **43,643.82** | **2,968.69** |
| II | **इक्विटी और देयताएं** | | | |
| 1 | **इक्विटी** | | | |
| | क) इक्विटी शेयर पूंजी | | - | - |
| | ख) अन्य इक्विटी | 6 | (1,37,276.21) | (5,197.43) |
| | **कुल इक्विटी** | | **(1,37,276.21)** | **(5,197.43)** |
| 2 | **देयताएं** | | | |
| | **गैर–वर्तमान देयताएँ** | 7 | | |
| | क) वित्तीय देयताएं | 7.1 | | |
| | (i) मुख्य कार्यालय के प्रति देय शेष | | 1,80,920.03 | 5,767.18 |
| | (ii) अन्य वित्तीय देयताएँ | | - | - |
| | (ख) प्रावधान | | - | - |
| | (ग) स्थगित कर देयताएँ | | - | - |
| | (घ) अन्य गैर–वर्तमान देयताएँ | | - | - |
| | **कुल गैर–वर्तमान देयताएँ** | | **1,80,920.03** | **5,767.18** |
| 2 | **वर्तमान देयताएँ** | | | |
| | (क) वित्तीय देयताएँ | | | |
| | (i) व्यापार देय | | - | - |
| | (ii) अन्य वित्तीय देयताएँ | 8 | - | 2,398.94 |
| | (ख) अन्य वर्तमान देयताएँ | | - | - |
| | (ग) प्रावधान | | - | - |
| | (घ) वर्तमान कर देयता (शुद्ध) | | - | - |
| | **कुल वर्तमान देयताएँ** | | **-** | **2,398.94** |
| | **कुल देयताएँ** | | **43,643.82** | **2,968.69** |
| | **महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ** | 1 | | |

*संलग्न टिप्पणियाँ 1 से 10 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।*

कृते **सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण सं.: 003330N

हस्ता/–
**सीए विनय कुमार सहगल**
(साझेदार)
सदस्यता सं.: 080517
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.07.2025

**कृते निदेशक मंडल की ओर से**
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता/–
**अश्वनी कुमार अग्रवाल**
(निदेशक एवं सीईओ)
सदस्यता सं.: 08828758

हस्ता/–
**पलाश श्रीवास्तव**
(अध्यक्ष एवं निदेशक)
डीआईएनः 02007911

# IIFCL PROJECTS LIMITED
# BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(Amount in USD)

| | Particulars | Note No. | As at 31st March 2025 (Audited) | As at 31st March 2024 (Audited) |
|---|---|---|---|---|
| I | **ASSETS** | | | |
| 1 | **Non-current assets** | | | |
| | (a) Property, Plant and equipment | | - | - |
| | (b) Other Intangible assets | | - | - |
| | (c) Capital work-in-progress | | - | - |
| | (d) Financial Assets | 2 | | |
| | (i) Investments | | - | - |
| | (ii) Loans | 2.1 | 29,542.33 | - |
| | (iii) Other financial assets | 2.2 | - | - |
| | (e) Deferred tax assets (Net) | | - | - |
| | (f) Other non-current assets | 3 | 5,422.95 | 2,968.69 |
| | **Total non-current assets** | | **34,965.29** | **2,968.69** |
| 2 | **Current assets** | | | |
| | (a) Financial Assets | 4 | | |
| | (i) Trade Receivables | 4.1 | - | - |
| | (ii) Cash and cash equivalents | 4.2 | 58.12 | - |
| | (iii) Bank Balances other than (ii) above | 4.3 | - | - |
| | (iv) Loans | 4.4 | 6,031.47 | - |
| | (b) Other Current Assets | 5 | 2,588.93 | - |
| | **Total Current assets** | | **8,678.53** | **-** |
| | | | | |
| | **Total Assets** | | **43,643.82** | **2,968.69** |
| II | **EQUITY & LIABILITIES** | | | |
| 1 | **Equity** | | | |
| | (a) Equity Share Capital | | - | - |
| | (b) Other Equity | 6 | (1,37,276.21) | (5,197.43) |
| | **Total Equity** | | **(1,37,276.21)** | **(5,197.43)** |
| 2 | **Liabilities** | | | |
| | **Non Current Liabilities** | 7 | | |
| | (a) Financial liablities | 7.1 | | |
| | (i) Balance due to Head Office | | 1,80,920.03 | 5,767.18 |
| | (ii) Other Financial Liabilities | | - | - |
| | (b) Provisions | | - | - |
| | (c ) Defered Tax Liabilities | | - | - |
| | (d) Other Non Current Liabilities | | - | - |
| | **Total Non-Current Liabilities** | | **1,80,920.03** | **5,767.18** |
| 2 | **Current liabilities** | | | |
| | (a) Financial Liabilities | | | |
| | (i) Trade payables | | - | - |
| | (ii) Other financial liabilities | 8 | - | 2,398.94 |
| | (b) Other current liabilities | | - | - |
| | (c) Provisions | | - | - |
| | (d) Current Tax liability (Net) | | - | - |
| | **Total Current Liabilities** | | **-** | **2,398.94** |
| | **Total Liabilities** | | **43,643.82** | **2,968.69** |
| | **Significant Accounting Policies** | 1 | | |

**Accompanying notes 1 to 10 form an integral part of financial statements**

For **Sehgal Mehta & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 003330N

Sd/-
**CA Vinay Kumar Sehgal**
(Partner)
Membership No.: 080517

**For and on behalf of the Board of Directors**
IIFCL Projects Limited

Sd/-
**Ashwani Kumar Agarwal**
(Director & CEO)
DIN: 08828758

Sd/-
**Palash Srivastava**
(Chairman & Director)
DIN: 02007911

Place: New Delhi
Date: 25.07.2025

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
# 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
# लाभ और हानि का विवरण

(राशि अमेरिकी डॉलर में)

| | विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2025 की स्थिति (लेखापरीक्षित) | 31 मार्च 2024 की स्थिति (लेखापरीक्षित) |
|---|---|---|---|---|
| I | **प्रचालनों से राजस्व** | - | - | |
| II | **अन्य आय** | | - | - |
| | **कुल राजस्व (I+II)** | | **-** | |
| **III** | **व्यय** | | | |
| | कर्मचारी हितलाभ व्यय | 9 | 1,18,595.37 | - |
| | मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय | | | |
| | अन्य व्यय | 10 | 13,483.39 | 5,197.43 |
| | **कुल व्यय (III)** | | **1,32,078.77** | **5,197.43** |
| **IV** | **चालू प्रचालनों से कर पूर्व लाभ** | | **(1,32,078.78)** | **(5,197.43)** |
| **V** | **कर व्ययः** | | | |
| | – वर्तमान कर | | - | |
| | – आस्थगित कर | | | |
| | **कुल कर व्यय** | | - | |
| **VI** | **चालू प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ** | | **(1,32,078.78)** | **(5,197.43)** |
| | **बंद किए गए संचालन** | | | |
| | कर पूर्व परिचालन बंद करने से लाभ | | - | - |
| | परिचालन बंद करने का कर व्यय | | - | - |
| | **कार्य बंद करने से लाभ** | | - | - |
| | **पूर्व अवधि व्यय** | | - | |
| **VII** | **अवधि के लिए लाभ** | | **(1,32,078.78)** | **(5,197.43)** |
| | **महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ** | **1** | | |

कृते **सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण सं.: 003330N

हस्ता/–
**सीए विनय कुमार सहगल**
(साझेदार)
सदस्यता सं.: 080517
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.07.2025

**कृते निदेशक मंडल की ओर से**
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता/–
**अश्वनी कुमार अग्रवाल**
(निदेशक एवं सीईओ)
सदस्यता सं.: 08828758

हस्ता/–
**पलाश श्रीवास्तव**
(अध्यक्ष एवं निदेशक)
डीआईएनः 02007911

# IIFCL PROJECTS LIMITED
# STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(Amount in USD)

| S. No. | Particulars | Note No. | For year ended 31st March 2025 (Audited) | For year ended 31st March 2024 (Audited) |
|---|---|---|---|---|
| I | Revenue from operations | - | - | |
| II | Other Income | | - | - |
| | **Total Income (I+II)** | | **-** | |
| **III** | **Expenses** | | | |
| | Employee Benefit Expenses | 9 | 1,18,595.37 | - |
| | Depreciation and amortisation expense | | | |
| | Other Expenses | 10 | 13,483.39 | 5,197.43 |
| | **Total Expenses (III)** | | **1,32,078.77** | **5,197.43** |
| **IV** | **Profit before tax from continuing operations** | | **(1,32,078.78)** | **(5,197.43)** |
| **V** | **Tax Expense:** | | | |
| | - Current Tax | | - | |
| | - Deferred Tax | | | |
| | **Total Tax Expense** | | - | |
| **VI** | **Profit for the Period from continuing operations** | | **(1,32,078.78)** | **(5,197.43)** |
| | **Discontinued Operations** | | | |
| | Profit from discontinuing operations before tax | | - | - |
| | Tax expense of discontinuing operations | | - | - |
| | **Profit from discontinuing operations** | | - | - |
| | **Prior Period Expense** | | - | |
| **VII** | **Profit for the Period** | | **(1,32,078.78)** | **(5,197.43)** |
| | **Significant Accounting Policies** | **1** | | |

For **Sehgal Mehta & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 003330N

Sd/-
**CA Vinay Kumar Sehgal**
(Partner)
Membership No.: 080517

Place: New Delhi
Date: 25.07.2025

**For and on behalf of the Board of Directors**
IIFCL Projects Limited

Sd/-
**Ashwani Kumar Agarwal**
(Director & CEO)
DIN: 08828758

Sd/-
**Palash Srivastava**
(Chairman & Director)
DIN: 02007911

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
# नकदी प्रवाह का विवरण

(राशि अमेरिकी डॉलर में)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े |
|---|---|---|---|
| 1. | **(क) प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह** | | |
| | कराधान से पूर्व शुद्ध लाभ | (1,32,078.78) | (5,197.43) |
| | जोड़ें: गैर–नकदी मदों के लिए समायोजन | | |
| | मूल्यह्रास, ऋण परिशोधन और क्षीणता | - | - |
| | इंड एएस के प्रभाव का समायोजन | - | - |
| | प्रावधान/कर समायोजन | - | - |
| | | (1,32,078.78) | (5,197.43) |
| | जोड़ें: अन्य मदों के लिए समायोजन | | |
| | पूर्व अवधि व्यय | - | |
| | प्री–ऑपरेटिव गिफ्ट सिटी | - | |
| | अन्य व्यापक आय | - | - |
| | **कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ** | (1,32,078.78) | (5,197.43) |
| | **(ख) कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन** | | |
| | **प्रचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन** | | |
| | वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी | (8,620.40) | (2,968.69) |
| | | **(8,620.40)** | **(2,968.69)** |
| | **(ग) प्रचालन देयताओं में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन** | | |
| | अन्य वर्तमान देयताओं में (वृद्धि)/कमी | 1,72,753.90 | 8,166.13 |
| | स्टॉफ वेल्फेयर फंड का उपयोग | - | |
| | | **1,72,753.90** | **8,166.13** |
| | **परिचालन से प्राप्त नकदी** | 32,054.72 | (0.00) |
| | अदा/प्राप्त किए गए प्रत्यक्ष कर | - | - |
| | **प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (क)** | **32,054.72** | **(0.00)** |
| 2. | **निवेश कार्यकलापों से नकदी** | | |
| | स्थायी परिसंपत्तियों पर पूंजी व्यय | - | - |
| | ((खरीद)/निवेशों की बिक्री/बैंक जमा आय | - | - |
| | ऋण संपत्ति | (31,996.59) | - |
| | **निवेश गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी (ख)** | **(31,996.59)** | **-** |
| 3. | **वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहः** | - | - |
| | **वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी (ग)** | - | - |
| | **नकद और नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)** | **58.13** | **(0.00)** |
| | **वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **-** | **-** |
| | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **58.12** | **-** |
| | **नकद एवं नकदी समतुल्य** | | |
| | – नकदी एवं हाथ में नकदी | - | - |
| | **अनुसूचित बैंकों के पास शेष** | | |
| | – चालू खाते में | 58.12 | - |
| | – सावधि जमा खाते में | - | - |

**टिप्पणी:**

उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित एंड–एएस–7 के अनुसार निर्धारित अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के अधीन तैयार किया गया है।

कृते **सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण सं.: 003330N

हस्ता/–
**सीए विनय कुमार सहगल**
(साझेदार)
सदस्यता सं.: 080517
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.07.2025

**कृते निदेशक मंडल की ओर से**
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता/–
**अश्वनी कुमार अग्रवाल**
(निदेशक एवं सीईओ)
सदस्यता सं.: 08828758

हस्ता/–
**पलाश श्रीवास्तव**
(अध्यक्ष एवं निदेशक)
डीआईएनः 02007911

# IIFCL PROJECTS LIMITED
# STATEMENT OF CASH FLOWS

(Amount in USD)

| S. No. | Particulars | Figures for the year ended 31 March 2025 | Figures for the year ended 31 March 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | **(a) Cash Flow from Operating Activities** | | |
| | Net Profit Before Taxation | (1,32,078.78) | (5,197.43) |
| | Add: Adjustment for non cash items : | | |
| | Depreciation, amortization and impairment | - | - |
| | Effect of Ind AS adjustment | - | - |
| | Provisions/Tax Adjustments | - | - |
| | | (1,32,078.78) | (5,197.43) |
| | Add: Adjustment for other items | | |
| | Prior period expense | - | |
| | Pre-operative GIFT City | - | |
| | Other Comprehensive Income | - | - |
| | **Operating Profit Before Working Capital Changes** | (1,32,078.78) | (5,197.43) |
| | **(b) Adjustments for Changes in Working Capital:** | | |
| | **Adjustments for (Increase)/Decrease in Operating Assets:** | | |
| | (Increase)/decrease in Current Assets | (8,620.40) | (2,968.69) |
| | | **(8,620.40)** | **(2,968.69)** |
| | **(c) Adjustments for (Increase)/Decrease in Operating Liabilities:** | | |
| | Increase/(decrease) in Other Current Liabilities | 1,72,753.90 | 8,166.13 |
| | Utilization of Staff welfare fund | - | |
| | | **1,72,753.90** | **8,166.13** |
| | **Cash Generated from Operations** | 32,054.72 | (0.00) |
| | Direct Taxes Paid/Received | - | - |
| | **Cash Flow from Operating Activities (A)** | **32,054.72** | **(0.00)** |
| 2. | **Cash from Investment Activities :-** | | |
| | Capital Expenditure on Fixed Assets | - | - |
| | (Purchase of)/ Sale of Investments/Proceeds of Bank Deposits | - | - |
| | Loan assets | (31,996.59) | - |
| | **Net Cash Generated from / (used in) Investing Activities (B)** | **(31,996.59)** | **-** |
| 3. | **Cash Flow from Financing Activities :-** | - | - |
| | **Net Cash Generated from / (used in) Financing Activities (C)** | - | - |
| | **Net Increase/(Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A+B+C)** | **58.13** | **(0.00)** |
| | **Cash & Cash Equivalent at the beginning of the Year** | **-** | **-** |
| | **Cash & Cash Equivalent at the end of year** | **58.12** | **-** |
| | Cash and Cash Equivalents | | |
| | - Cash and Cheques in Hand | - | - |
| | **Balance with Scheduled Banks** | | |
| | - On Current Account | 58.12 | - |
| | - On term Deposit Account | - | - |

**Notes :**

The above Statement of Cash Flow has been prepared under the indirect method setout as per Ind-AS-7 issued by The Institute of Chartered Accountants of India and notified u/s 133 of the Companies Act, 2013.

For **Sehgal Mehta & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 003330N

Sd/-
**CA Vinay Kumar Sehgal**
(Partner)
Membership No.: 080517

**For and on behalf of the Board of Directors**
IIFCL Projects Limited

Sd/-
**Ashwani Kumar Agarwal**
(Director & CEO)
DIN: 08828758

Sd/-
**Palash Srivastava**
(Chairman & Director)
DIN: 02007911

Place: New Delhi
Date: 25.07.2025

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

**31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ** (राशि अमेरिकी डॉलर में)

## टिप्पणी–2: वित्तीय परिसंपत्तियाँ (गैर–चालू)

### 2.1 ऋण

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | **असुरक्षित समझे जाने वाली सामग्री** | 29,542.33 | - |
| | कर्मचारियों को ऋण | | |
| | **अंत शेष** | **29,542.33** | **-** |

### 2.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| | **शून्य** | - | - |
| | **अंत शेष** | **-** | **-** |

## टिप्पणी–3: वित्तीय आस्थगित कर

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | प्रीपेड स्टॉफ लागत | 4,458.96 | - |
| ii) | सुरक्षा जमा | 963.99 | 2,968.69 |
| | **अंत शेष** | **5,422.95** | **2,968.69** |

## टिप्पणी–4: वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान

### 4.1 व्यापार प्राप्य

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| | **असुरक्षित समझी जानी वाली वस्तुएं** | | |
| i) | संबंधित पार्टियों से प्राप्य | - | |
| ii) | अन्य प्राप्य व्यापार | - | |
| | **अंत शेष** | **-** | **-** |

### 4.2 नकद एवं नकद समकक्ष

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | **बैंक में शेष** | | |
| | (क) चालू खाते | 58.12 | - |
| | (ख) नियत जमा (परिपक्वता 3 माह से कम) | | |
| | **अंत शेष** | **58.12** | **-** |

### 4.3 नकद एवं नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक शेष

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| | **अन्य बैंक शेष** | | |
| i) | अनुसूचित बैंक में सावधि जमा (परिपक्वता 3 माह से अधिक परंतु 12 माह से कम) | - | - |
| ii) | बैंक गारंटी के विरुद्ध सावधि जमा | - | - |
| | **अंत शेष** | **-** | **-** |

# IIFCL PROJECTS LIMITED

## NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025

(Amount in USD)

### Note 2 : Financial Assets Non-Current

**2.1 Loans**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | **Unsecured, considered good**<br>Loans to employees | 29,542.33 | - |
| | **Closing Balance** | **29,542.33** | **-** |

**2.2 Other Financial Assets**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | NIL | - | - |
| | **Closing Balance** | **-** | **-** |

### Note 3 : Other Non-Current Assets

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Prepaid Staff Cost | 4,458.96 | - |
| ii) | Security Deposits | 963.99 | 2,968.69 |
| | **Closing Balance** | **5,422.95** | **2,968.69** |

### Note 4 : Financial Assets -Current

**4.1 Trade Receivables**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | **Unsecured, considered good** | | |
| i) | Trade Receivables from related parties | - | |
| ii) | Other Trade receivables | - | |
| | **Closing Balance** | **-** | **-** |

**4.2 Cash & Cash Equivalents**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | **Balances with Bank** | | |
| | (a) Current Accounts | 58.12 | - |
| | (b) Fixed Deposits (Maturity less than 3 Months) | | |
| | **Closing Balance** | **58.12** | **-** |

**4.3 Bank Balances other than Cash and Cash equivalent**

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| | **Other Bank Balances** | | |
| i) | Term Deposit in Schedule Bank (Maturity more than 3 Months but less than 12 months) | - | - |
| ii) | FD against Bank guarantee | - | - |
| | **Closing Balance** | **-** | **-** |

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (राशि अमेरिकी डॉलर में)

**4.4 ऋण**

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | **असुरक्षित समझी जाने वाली वस्तुएं** | | |
| | कर्मचारियों को ऋण | 6,031.47 | - |
| | **अंत शेष** | **6,031.47** | **-** |

## टिप्पणी–5: अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | आपूर्तिकर्ता को अग्रिम | 1,449.73 | - |
| ii) | पूर्वभुगतान कर्मचारी लागत | 1,139.20 | - |
| | **अंत शेष** | **2,588.93** | **-** |

## टिप्पणी–6: अन्य इक्विटी

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | **कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि** | | |
| | पिछले बैलेंस शीट के अनुसार | - | 0.28 |
| | जोड़ें: संचित आय से अंतरण | | 4.67 |
| | घटाएँ: अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि | | (4.95) |
| | | | - |
| i) | **प्रतिधारित आय** | | |
| | पिछले बैलेंस शीट के अनुसार – हानि | (5,197.43) | - |
| | (+) कर पश्चात लाभ/(हानि) | (1,32,078.78) | (5,197.43) |
| | **अंत शेष** | **(1,37,276.21)** | **(5,197.43)** |

## टिप्पणी 7: गैर–वर्तमान देयताएँ

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | संबद्ध पक्षों से व्यापारिक प्राप्य | 1,80,920.03 | 5,767.18 |
| | **अंत शेष** | **1,80,920.03** | **5,767.18** |

## टिप्पणी 8: वित्तीय देयताएँ

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को | 31 मार्च 2024 को |
|---|---|---|---|
| i) | देय व्यय | - | 2,398.94 |
| | **अंत शेष** | **-** | **2,398.94** |

## टिप्पणी 9: मानव संसाधन लाभ व्यय

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए |
|---|---|---|---|
| i) | देय व्यय | 1,18,595.37 | - |
| | **अंत शेष** | **1,18,595.37** | **-** |

# IIFCL PROJECTS LIMITED

## NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025

(Amount in USD)

### 4.4 Loans

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | **Unsecured, considered good** | | |
| | Loans to employees | 6,031.47 | - |
| | **Closing Balance** | **6,031.47** | **-** |

### Note 5 : Other Current Assets

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Advance to supplier | 1,449.73 | - |
| ii) | Prepaid Staff Cost | 1,139.20 | - |
| | **Closing Balance** | **2,588.93** | **-** |

### Note 6 : Other Equity

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | **Staff Welfare Reserve** | | |
| | As per last Balance sheet | - | 0.28 |
| | Add: Transfer from retained earning | | 4.67 |
| | Less: Amount utilized during the period | | (4.95) |
| | | | - |
| i) | **Retained Earnings** | | |
| | As per last Balance Sheet - Loss | (5,197.43) | - |
| | (+) Profit/(Loss) after Tax | (1,32,078.78) | (5,197.43) |
| | **Closing Balance** | **(1,37,276.21)** | **(5,197.43)** |

### Note 7 : Non-Current Liabilities

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Trade Receivables from related parties | 1,80,920.03 | 5,767.18 |
| | **Closing Balance** | **1,80,920.03** | **5,767.18** |

### Note 8 : Financial Liabilities

| S.No. | PARTICULARS | As at 31st March 2025 | As at 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Expenses payable | - | 2,398.94 |
| | **Closing Balance** | **-** | **2,398.94** |

### Note 9 : Manpower Benefit Expenses

| S.No. | PARTICULARS | For the year ended 31st March 2025 | For the year ended 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Expenses payable | 1,18,595.37 | - |
| | **Closing Balance** | **1,18,595.37** | **-** |

# आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

**31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ** (राशि अमेरिकी डॉलर में)

**टिप्पणी–10: अन्य व्यय**

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए |
|---|---|---|---|
| i) | लेखापरीक्षक पारिश्रमिक | 584.24 | - |
| ii) | वार्षिक शुल्क | 468.49 | 1,000.22 |
| iii) | बैंक शुल्क | 183.82 | - |
| iv) | कंप्यूटर संचालन एवं रखरखाव | 41.44 | - |
| v) | शुल्क एवं सदस्यता | 410.03 | 1,478.67 |
| vi) | खाद्य एवं पेय व्यय | 3.70 | 332.56 |
| vii) | पट्टा किराया | 12,031.10 | 2,398.94 |
| viii) | विधिक एवं पेशेवर व्यय | 631.61 | - |
| ix) | विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव से हानि | (881.48) | (12.95) |
| x) | मुद्रण एवं स्टेशनरी व्यय | 10.44 | - |
| **अंत शेष** | | **13,483.39** | **5,197.43** |

# IIFCL PROJECTS LIMITED

## NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025

(Amount in USD)

### Note 10 : Other Expenses

| S.No. | PARTICULARS | For the year ended 31st March 2025 | For the year ended 31st March 2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Auditor Remuneration | 584.24 | - |
| ii) | Annual Fee | 468.49 | 1,000.22 |
| iii) | Bank Charges | 183.82 | - |
| iv) | Computer Running & Maintenanace | 41.44 | - |
| v) | Fees & Subscription | 410.03 | 1,478.67 |
| vi) | Food & Beverage | 3.70 | 332.56 |
| vii) | Lease Rent | 12,031.10 | 2,398.94 |
| viii) | Legal & Professional Expense | 631.61 | - |
| ix) | Loss on exchange fluctuation | (881.48) | (12.95) |
| x) | Printing & Stationary Exp | 10.44 | - |
| **Closing Balance** | | **13,483.39** | **5,197.43** |

## महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

### टिप्पणी 1: महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा इंड एएस वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग बनने वाली टिप्पणियाँ

### 1. कॉर्पोरट जानकारी:

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ("कंपनी") एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका निगमितकरण एवं अधिवास भारत में 14 फ़रवरी 2012 को हुआ। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंज़िल, ब्लॉक–2, प्लेट–ए, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, दक्षिण–पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110023, भारत में स्थित है। कंपनी, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी का शाखा कार्यालय इंटरनेशनल फ़ाइनेंस सेंटर, गिफ्ट सेज़ एफ/4, प्रथम तल, गिफ्ट हाउस, ब्लॉक–12, रोड 1–डी, ज़ोन–1, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर–382355, गुजरात में स्थित है।

### 2. प्रमुख एवं अन्य महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

#### 2.1. अनुपालन का वक्तव्य

कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों का निर्माण भारतीय लेखांकन मानकों (जिन्हें "इंड एएस" कहा जाता है) की आवश्यकताओं के अनुसार किया है, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (समय–समय पर संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। ये वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (समय–समय पर संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा अन्य लागू नियामकीय मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए शाखा कार्यालय के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 25.07.2025 को अनुमोदित एवं स्वीकृत किया गया। ये वित्तीय विवरण आईएफएससीए की आवश्यकताओं के अनुरूप अमेरिकी डॉलर में तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग निरंतर आधार पर किया गया है, सिवाय उन स्थितियों के जहाँ किसी नवीन लेखांकन मानक को प्रथम बार अपनाया गया हो अथवा किसी विद्यमान लेखांकन मानक में संशोधन के कारण अब तक प्रचलित लेखांकन नीति में परिवर्तन अपेक्षित हुआ हो।

#### 2.2. तैयारी का आधार

इंड एएस वित्तीय विवरणों को चालू संस्था के आधार पर, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तथा उपार्जन आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के, जिनका मूल्यांकन प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में उचित मूल्य पर किया जाता है, जैसा कि नीचे पैरा 4 में वर्णित लेखांकन नीतियों में स्पष्ट किया गया है। ऐतिहासिक लागत सामान्यतः वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय में प्रदत्त प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

**परिसंपत्तियों एवं देयताओं का चालू तथा गैर–चालू के रूप में वर्गीकरण:**

कंपनी तुलन पत्र में परिसंपत्तियों एवं देयताओं को चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू माना जाता है, जब वह:

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने की अपेक्षा हो अथवा उसे बेचे जाने या उपभोग किए जाने का आशय हो;
- मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारण की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर प्राप्त होने की अपेक्षा हो; या
- नकद एवं नकद समतुल्य हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह तक किसी देयता के निपटान हेतु उसके विनिमय या उपयोग पर कोई प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी देयता को चालू माना जाता है, जब:

- उसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटान होने की अपेक्षा हो;
- वह मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित हो;
- उसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर किया जाना हो; अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह तक देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार उपलब्ध न हो। अन्य सभी देयताओं को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन चक्र वह अवधि है जो प्रसंस्करण हेतु परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से लेकर उनके नकद एवं नकद समतुल्य में प्राप्त होने तक के बीच होती है। कंपनी ने अपने परिचालन चक्र के रूप में बारह माह की अवधि निर्धारित की है।

#### 2.3. प्रमुख लेखांकन नीतियां

**(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अवमूल्यन की विधियाँ, अनुमानित उपयोगी आयु तथा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अवशिष्ट मूल्य**

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की सभी मदों को लागत से संचित अवमूल्यन तथा संचित मूल्यह्रास हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर अवमूल्यन की गणना लिखित अवशिष्ट मूल्य विधि से, प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी आयु के आधार पर की जाती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अंतर्गत निर्दिष्ट परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु के अनुरूप

## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

## NOTE 1: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF IND AS FINANCIAL STATEMENTS

### 1. Corporate Information

IIFCL Projects Limited ("the Company") is a public limited company incorporated and domiciled in India on 14 February 2012. The registered office of the company is at 5th Floor, Block 2, Plate A, NBCC Tower, East Kidwai Nagar, South West Delhi, New Delhi, India, 110023. The company is a wholly owned subsidiary of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), a Government of India Enterprise. The branch office is located at International Finance Centre, GIFT SEZ F/4, First Floor, Gift House, Block-12, Road 1-D, Zone-1, Gift City, Gandhi Nagar- 382355, Gujarat.

### 2. Summary of material and other significant accounting policies

#### 2.1. Statement of Compliance

The Company prepared its Financial Statements in accordance with the requirements of Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended). These Financial Statements comply with Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), applicable provisions of the Companies Act, 2013 and other applicable regulatory norms/guidelines.

The financial statements for the financial year ended 31 March, 2025 of the branch office were authorized and approved by the Board of Directors on 25.07.2025. The financial statements have been prepared in USD as per the requirement of IFSCA. Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in accounting policy hitherto in use.

#### 2.2. Basis of preparation

The Ind AS financial statements have been prepared on a going concern basis under the historical cost convention on accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair value at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies detailed in para 4 below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange of goods or services.

**Classification of assets and liabilities as current and non- current:**

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. An asset is treated as current when it is:

- Expected to be realised or intended to be sold or consumed in normal operating cycle.
- Held primarily for the purpose of trading
- Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or
- Cash and cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is treated as current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle.
- It is held primarily for the purpose of trading
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period. All other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between the acquisition of the assets for processing and their realisation in cash and cash equivalents. The Company has identified twelve months as its operating cycle.

#### 2.3. Material accounting policies

**(a) Property, plant and equipment, depreciation methods, estimated useful lives and residual value for property, plant and equipment**

All items of property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Depreciation on property, plant and equipment is calculated using written down value (WDV) method based on the useful lives as estimated by the management which is in accordance with the useful life of assets as prescribed under Schedule II of the Companies Act, 2013. Further, residual value is considered as

है। इसके अतिरिक्त, अवशिष्ट मूल्य को परिसंपत्तियों की लागत का 5: माना गया है। ₹ 5,000/– तक मूल्य वाली परिसंपत्तियों का अवमूल्यन अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः कर दिया जाता है। कंपनी द्वारा अपनाई गई उपयोगी आयु निम्नानुसार है:

| परिसंपत्तियों का विवरण | प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी आयु | अनुसूची–प्प के अनुसार उपयोगी आयु |
|---|---|---|
| फर्नीचर एवं फिक्स्चर | 10 | 10 |
| वाहन | 8 | 8 |
| कार्यालय उपकरण | 5 | 5 |
| कंप्यूटर उपकरण | 3 | 3 |

अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी आयु तथा अवमूल्यन की विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है।

**(ख) अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए परिशोधन की विधियाँ एवं अवधियाँ**

कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर अथवा ब्रांड जैसे अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन सीधी रेखा विधि से तीन वर्ष की अवधि में किया जाता है, जो प्रबंधन के अनुसार इन परिसंपत्तियों की आर्थिक उपयोगी आयु को परिलक्षित करता है। सीमित उपयोगी आयु वाली अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए परिशोधन अवधि एवं परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। सीमित उपयोगी आयु वाली अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**(ग) राजस्व की मान्यता**

ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों से प्राप्त राजस्व की मान्यता उस समय की जाती है जब वस्तुओं अथवा सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को स्थानांतरित हो जाता है, और उस राशि में की जाती है जो उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले कंपनी को प्राप्त होने वाले प्रतिफल को परिलक्षित करती है। राजस्व का मापन उस प्रतिफल के आधार पर किया जाता है, जिसकी प्राप्ति की कंपनी को ग्राहक से अपेक्षा होती है, जिसमें रिटर्न एवं भत्ते, छूट, मात्रा आधारित रियायतें तथा नकद छूट को घटाकर आकलन किया जाता है तथा ग्राहकों से वसूल किए गए एवं संबंधित कर प्राधिकरणों को प्रेषित किए जाने वाले लागू करों को शामिल नहीं किया जाता। राजस्व की मान्यता की राशि एवं समय, राजस्व की प्रकृति, परिमाण, समय–निर्धारण तथा अनिश्चितता का निर्धारण करने हेतु कंपनी इंड एएस–115 में निर्दिष्ट सिद्धांतों का अनुपालन करती है। राजस्व की मान्यता पाँच–चरणीय दृष्टिकोण के माध्यम से की जाती है:

- ग्राहक के साथ अनुबंध/अनुबंधों की पहचान करना;
- अनुबंध में पृथक निष्पादन दायित्वों की पहचान करना;
- लेन–देन मूल्य का निर्धारण करना;
- लेन–देन मूल्य का निष्पादन दायित्वों में आवंटन करना; तथा
- जब कोई निष्पादन दायित्व पूर्ण हो जाए, तब राजस्व की मान्यता करना।

कंपनी निम्नलिखित प्रमुख स्रोतों से राजस्व की मान्यता करती है:

1. **परियोजना परामर्श सेवाएँ:** परामर्श एवं सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त राजस्व की मान्यता समय के साथ की जाती है, जैसे–जैसे सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, तथा जब यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और राशि का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। निष्पादन दायित्व सामान्यतः पूर्णता के चरण के आधार पर संतुष्ट माने जाते हैं, जिसका मापन इनपुट विधियों, जैसे कि कुल अपेक्षित लागत के सापेक्ष हुई लागत के आधार पर किया जाता है।
2. **लेन–देन/रिटेनर शुल्क:** लेन–देन संबंधी परामर्श अनुबंधों अथवा रिटेनर व्यवस्थाओं से प्राप्त राजस्व की मान्यता अनुबंध की शर्तों के अनुसार की जाती है, जो निम्न प्रकार हो सकती है–
   - समय के साथ (निरंतर परामर्श सहायता के लिए); या
   - किसी निर्धारित समय–बिंदु पर (किसी उपलब्धि अथवा घटना की प्राप्ति पर)।
3. **ब्याज आय (यदि लागू हो):** ब्याज आय की मान्यता समयानुपातिक आधार पर, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए की जाती है।
4. **अन्य आय:** अन्य आय, जैसे कर–वापसी पर प्राप्त ब्याज आय, की मान्यता प्राप्ति के समय की जाती है।

**(घ) वित्तीय साधन**

वित्तीय साधन ऐसा कोई भी अनुबंध है, जिसके परिणामस्वरूप एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति तथा दूसरी इकाई की वित्तीय देयता अथवा इक्विटी साधन उत्पन्न होता है। वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की मान्यता उस समय की जाती है जब कंपनी उस साधन के संविदात्मक प्रावधानों की पक्षकार बन जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। वित्तीय साधनों के अधिग्रहण या निर्गम से सीधे संबद्ध लेन–देन लागत (उन वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को छोड़कर जिनका मापन लाभ या हानि के माध्यम से

5% of the cost of the assets. Assets valuing up to INR 5,000/- are fully depreciated in the year of acquisition. The useful lives followed by the company are as follows:

| Description of Assets | Useful life as estimated by the management | Useful life as per Schedule II |
|---|---|---|
| Furniture & Fixtures | 10 | 10 |
| Vehicles | 8 | 8 |
| Office Equipment's | 5 | 5 |
| Computer Equipment's | 3 | 3 |

The residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed at the end of each financial year.

**(b) Amortization methods and periods for intangibles**

Intangible assets like computer software or brands which are amortised over a period of three years under straight line method which, as per management, reflects the economic useful life of this asset. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognised in the Statement of Profit and Loss.

**(c) Revenue recognition**

Revenue from contracts with customers is recognized when the control of goods or services is transferred to the customer at an amount that reflects the consideration to which the company expects to be entitled in exchange for those goods or services. Revenue is measured based on the consideration to which the company expects to be entitled from a customer, net of returns and allowances, discounts, volume rebates, and cash discounts and excludes applicable taxes recovered from customers and remitted to the respective taxing authorities. The Company, to determine that how much and when revenue is recognized, what is the nature, amount, timing and uncertainty of revenues etc. uses the principles laid down by the Ind AS 115. Revenue is recognized through a 5-step approach:

- Identify the contract(s) with customer;
- Identify separate performance obligations in the contract;
- Determine the transaction price;
- Allocate the transaction price to the performance obligations; and
- Recognize revenue when a performance obligation is satisfied.

The Company recognizes revenue from the following major sources:

1. **Project Advisory Services:** Revenue from consultancy and advisory services is recognized over time, as the services are rendered, and when it is probable that economic benefits will flow to the company and the amount can be measured reliably. The performance obligations are typically satisfied based on the stage of completion, which is measured using input methods such as costs incurred relative to the total expected costs.
2. **Transaction/Retainer Fees**: Revenue from transaction advisory mandates or retainer arrangements is recognized in accordance with the terms of the contract, either:
   - Over time (for ongoing advisory support), or
   - At a point in time (upon achievement of a milestone or event).
3. **Interest Income** (if applicable): Interest income is recognized on a time proportion basis, using the effective interest rate (EIR) method.
4. **Other Income**: Other income such as interest income on tax refunds are recognized as and when it is received.

**(d) Financial instruments**

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. Financial assets and financial liabilities are recognized when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial instruments (other than financial assets and financial liabilities

उचित मूल्य पर किया जाता है) को, प्रारंभिक मान्यता के समय, उपयुक्त रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा या उससे घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण से सीधे संबद्ध लेन–देन लागत को तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। तत्पश्चात, वित्तीय साधनों का मापन उस श्रेणी के अनुसार किया जाता है, जिसमें उन्हें वर्गीकृत किया गया है।

**वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों का पश्चात मापन उनकी समग्रता में या तो प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर अथवा उचित मूल्य पर किया जाता है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

**वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण**

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति एवं उद्देश्य पर निर्भर करता है तथा इसका निर्धारण प्रारंभिक मान्यता के समय किया जाता है।

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित मापन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

- वे, जिनका पश्चात मापन उचित मूल्य पर किया जाना है (या तो अन्य समग्र आय के माध्यम से अथवा लाभ या हानि के माध्यम से); तथा
- वे, जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

यह वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु इकाई के व्यवसाय मॉडल तथा नकद प्रवाह की संविदात्मक शर्तों पर निर्भर करता है।

कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती है, तो उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जब तक कि उचित मूल्य विकल्प के अंतर्गत उसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापने हेतु नामित न किया गया हो:

- व्यवसाय मॉडल परीक्षण: कंपनी के व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्ति को धारण कर उसके संविदात्मक नकद प्रवाह की वसूली करना है।
- नकद प्रवाह विशेषता परीक्षण: वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो केवल मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान तक सीमित होते हैं।

कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती है, तो उसे अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि उचित मूल्य विकल्प के अंतर्गत उसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापने हेतु नामित न किया गया हो:

- व्यवसाय मॉडल परीक्षण: वित्तीय परिसंपत्ति ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित है, जिसका उद्देश्य नकद प्रवाह की वसूली तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री–दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
- नकद प्रवाह विशेषता परीक्षण: वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो केवल मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान तक सीमित होते हैं।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है।

**अन्य इक्विटी साधनों में निवेश**

जो इक्विटी साधन व्यापार के उद्देश्य से धारित किए जाते हैं, उनमें निवेश को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी प्रारंभिक मान्यता के समय, प्रत्येक साधन के आधार पर, अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग करते हुए उन्हें या तो अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ('एफवीटीओसीआई') अथवा लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वर्गीकृत करती है। अन्य समग्र आय में प्रदर्शित राशियों को पश्चात लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित नहीं किया जाता है। तथापि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर अंतरित करती है। ऐसे निवेशों पर प्राप्त लाभांश को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के किसी भाग की वसूली का प्रतिनिधित्व न करता हो।

**वित्तीय देयताएँ एवं इक्विटी साधन**

**ऋण अथवा इक्विटी का वर्गीकरण**

कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण अथवा इक्विटी साधनों का वर्गीकरण संविदात्मक व्यवस्थाओं की वास्तविक प्रकृति तथा वित्तीय देयता एवं इक्विटी साधन की परिभाषाओं के अनुरूप, या तो वित्तीय देयताओं के रूप में अथवा इक्विटी के रूप में किया जाता है।

**इक्विटी साधन**

इक्विटी साधन ऐसा कोई भी अनुबंध है, जो किसी इकाई की सभी देयताओं को घटाने के पश्चात उसकी परिसंपत्तियों में अवशिष्ट ब्याज को प्रदर्शित करता है। कंपनी द्वारा जारी इक्विटी साधनों की मान्यता प्रत्यक्ष निर्गम व्ययों को घटाकर प्राप्त आय के आधार पर की जाती है।

at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial assets or financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in the statement of profit or loss. Subsequently, financial instruments are measured according to the category in which they are classified.

**Financial assets**

All recognised financial assets are subsequently measured in their entirety at either amortised cost using the effective interest method or fair value, depending on the classification of the financial assets.

**Classification of financial assets**

Classification of financial assets depends on the nature and purpose of the financial assets and is determined at the time of initial recognition.

The Company classifies its financial assets in the following measurement categories:

- Those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and
- Those measured at amortized cost

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

A financial asset that meets the following two conditions is measured at amortised cost unless the asset is designated at fair value through profit or loss under the fair value option:

- Business model test: The objective of the Company's business model is to hold the financial asset to collect the contractual cash flows.
- Cash flow characteristic test: The contractual term of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

A financial asset that meets the following two conditions is measured at fair value through other comprehensive income unless the asset is designated at fair value through profit or loss under the fair value option:

- Business model test: The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting cash flows and selling financial assets.
- Cash flow characteristic test: The contractual term of the financial asset gives rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

All other financial assets are measured at fair value through profit or loss.

**Investment in other equity instruments**

Investments in equity instruments which are held for trading are classified as at fair value through profit or loss ('FVTPL'). For all other equity instruments, the Company makes an irrevocable choice upon initial recognition, on an instrument-by-instrument basis, to classify the same either as at fair value through other comprehensive income ('FVTOCI') or fair value through profit or loss ('FVTPL'). Amounts presented in other comprehensive income are not subsequently transferred to the statement of profit or loss. However, the Company transfers the cumulative gain or loss within equity. Dividends on such investments are recognized in the statement of profit or loss unless the dividend clearly represents a recovery of part of the cost of the investment.

**Financial liabilities and equity instruments**

**Classification of debt or equity**

Debt or equity instruments issued by the Company are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

**Equity instruments**

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recognised at the proceeds received, net of direct issue costs.

**वित्तीय देयताएँ**

सभी वित्तीय देयताओं का पश्चात मापन प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर अथवा लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है।

**व्यापार एवं अन्य देय**

व्यापार एवं अन्य देय उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए देय दायित्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व कंपनी को प्रदान की गई हों, परंतु जिनका भुगतान अब तक नहीं किया गया है।

**उधार**

उधारों की प्रारंभिक मान्यता उचित मूल्य पर हुए लेन–देन व्ययों को घटाकर की जाती है। तत्पश्चात उधारों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है। प्राप्ति राशि (लेन–देन व्ययों को घटाकर) और विमोचन राशि के बीच किसी भी अंतर को उधार की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, निरस्तीकरण या समाप्ति हो जाती है, तब उधारों को तुलन पत्र से हटा दिया जाता है।

किसी समाप्त की गई वित्तीय देयता अथवा किसी अन्य पक्ष को अंतरण की गई वित्तीय देयता की वहन राशि और चुकाए गए प्रतिफल, जिसमें अंतरणित गैर–नकद परिसंपत्तियाँ या स्वीकृत देयताएँ भी शामिल हैं, के बीच का अंतर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की अपमान्यता

कंपनी वित्तीय देयताओं को अपमान्य तभी करती है, जब और केवल जब कंपनी के दायित्वों का निर्वहन हो जाता है, उन्हें निरस्त कर दिया जाता है अथवा उनकी अवधि समाप्त हो जाती है।

**(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास**

कंपनी निम्नलिखित पर अपेक्षित ऋण हानि मॉडल के आधार पर मूल्यह्रास का आकलन करती है:

- परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ; तथा
- अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ।

ईसीएल वह भारित औसत अंतर है, जो अनुबंध के अनुसार कंपनी को देय सभी संविदात्मक नकद प्रवाह तथा कंपनी द्वारा अपेक्षित सभी नकद प्रवाहों के बीच होता है, जिसे मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूटित किया जाता है, और जिसमें चूक के संभावित जोखिमों को भार के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अपेक्षित ऋण हानियों का मापन हानि भत्ता के माध्यम से निम्नलिखित के बराबर राशि पर किया जाता है:

- बारह माह की अपेक्षित ऋण हानियाँ (वे अपेक्षित ऋण हानियाँ, जो रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात बारह माह के भीतर वित्तीय साधनों पर संभावित चूक घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती हैं); अथवा
- पूर्ण जीवनकाल की अपेक्षित ऋण हानियाँ (वे अपेक्षित ऋण हानियाँ, जो वित्तीय साधन के जीवनकाल के दौरान सभी संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हो सकती हैं)।

**व्यापार प्राप्तियाँ**

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में कंपनी इंड एएस 109 "वित्तीय साधन" के सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करती है, जिसके अनुसार हानि भत्ता का मापन पूर्ण जीवनकाल की अपेक्षित ऋण हानियों के बराबर राशि पर किया जाता है। पूर्ण जीवनकाल की अपेक्षित ऋण हानियाँ वे अपेक्षित ऋण हानियाँ हैं, जो किसी वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान सभी संभावित चूक घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं।

**अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी यह आकलन करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो कंपनी हानि भत्ता का मापन 12 माह की अपेक्षित ऋण हानियों के बराबर राशि पर करती है; अन्यथा, हानि भत्ता का मापन पूर्ण जीवनकाल की अपेक्षित ऋण हानियों के बराबर राशि पर किया जाता है।

इस आकलन को करते समय कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान चूक होने के जोखिम में हुए परिवर्तन का उपयोग करती है। इस हेतु कंपनी तुलन पत्र तिथि पर वित्तीय परिसंपत्ति पर चूक के जोखिम की तुलना प्रारंभिक मान्यता की तिथि पर विद्यमान चूक जोखिम से करती है तथा ऐसी युक्तिसंगत एवं समर्थनीय सूचनाओं पर विचार करती है, जो बिना अत्यधिक लागत या प्रयास के उपलब्ध हों और जो प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में हुई उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देती हों। यदि तुलन पत्र तिथि पर किसी वित्तीय परिसंपत्ति को निम्न ऋण जोखिम वाला निर्धारित किया जाता है, तो कंपनी यह मान लेती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उस वित्तीय परिसंपत्ति पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

**Financial liabilities**

All financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method or at fair value through statement of profit & loss.

Trade and other payables

Trade and other payables represent liabilities for goods or services provided to the Company prior to the end of financial year which are unpaid.

**Borrowings**

Borrowings are initially recognised at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently measured at amortised cost. Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption amount is recognised in Statement of Profit and Loss over the period of the borrowings using the effective interest rate method.

Borrowings are removed from the balance sheet when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired.

The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in Statement of Profit & Loss.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired.

**(e) Impairment of Financial Assets**

The Company assesses impairment based on expected credit losses (ECL) model to the following:

- Financial assets measured at amortized cost.
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

ECL is the weighted-average of difference between all contractual cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at the original effective interest rate, with the respective risks of default occurring as the weights. Expected credit losses are measured through a loss allowance at an amount equal to:

- The twelve month expected credit losses (expected credit losses that result from those default events on the financial instruments that are possible within twelve months after the reporting date); or
- Full life-time expected credit losses (expected credit losses that result from all possible default events over the life of the financial instrument).

**Trade receivables**

In respect of trade receivables, the Company applies the simplified approach of Ind AS 109 'Financial Instruments', which requires measurement of loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses. Lifetime expected credit losses are the expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

**Other financial assets**

In respect of its other financial assets, the Company assesses if the credit risk on those financial assets has increased significantly since initial recognition. If the credit risk has not increased significantly since initial recognition, the Company measures the loss allowance at an amount equal to 12-month expected credit losses, else at an amount equal to the lifetime expected credit losses.

When making this assessment, the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial asset. To make that assessment, the Company compares the risk of a default occurring on the financial asset as at the balance sheet date with the risk of a default occurring on the financial asset as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition. The Company assumes that the credit risk on a financial asset has not increased significantly since initial recognition if the financial asset is determined to have low credit risk at the balance sheet date.

**वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यीकरण**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की अपमान्यता केवल निम्न स्थितियों में की जाती है:

- जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों का हस्तांतरण कर दिया हो; अथवा
- कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार अपने पास रखती हो, परंतु उन नकद प्रवाहों को एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को भुगतान करने का संविदात्मक दायित्व स्वीकार कर लेती हो।

**(च) उचित मूल्य का मापन**

कंपनी वित्तीय साधनों का मापन उचित मूल्य पर करती है, जो वह मूल्य है जो मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन–देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त किया जा सकता है या किसी देयता के अंतरण हेतु अदा किया जाना अपेक्षित होता है। उचित मूल्य का मापन इस धारणा पर आधारित होता है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयता का अंतरण निम्न में से किसी एक बाजार में होता है:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रधान बाजार में; अथवा
- यदि प्रधान बाजार उपलब्ध न हो, तो परिसंपत्ति या देयता के लिए सर्वाधिक लाभप्रद बाजार में।

जिन सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य का मापन या प्रकटीकरण किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नानुसार है। यह वर्गीकरण उस न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित होता है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य के मापन के लिए महत्त्वपूर्ण हो:

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (बिना समायोजन) बाजार मूल्य

स्तर 2 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनमें उचित मूल्य के मापन के लिए महत्त्वपूर्ण न्यूनतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होता है; और

स्तर 3 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनमें उचित मूल्य के मापन के लिए महत्त्वपूर्ण न्यूनतम स्तर का इनपुट अप्रेक्षणीय होता है।

कंपनी ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के अनुरूप हों तथा जिनके लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध हों। इस प्रक्रिया में प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट के उपयोग को अधिकतम तथा अप्रेक्षणीय इनपुट के उपयोग को न्यूनतम रखा जाता है। जिन परिसंपत्तियों एवं देयताओं की तुलन पत्र में आवर्ती आधार पर मान्यता दी जाती है, उनके लिए कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह पुनर्मूल्यांकन करती है कि क्या पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के बीच कोई अंतरण हुआ है या नहीं। यह पुनर्वर्गीकरण उस न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर किया जाता है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य के मापन के लिए महत्त्वपूर्ण हो।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशेषताओं एवं जोखिमों तथा ऊपर वर्णित उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर निर्धारित किए हैं।

**अन्य महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ**

**(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण**

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत में क्रय मूल्य (छूट एवं रियायतों को घटाकर), कर एवं शुल्क, भाड़ा तथा परिसंपत्ति को उसके अभिप्रेत उपयोग हेतु कार्यशील अवस्था में लाने के लिए सीधे तौर पर संबद्ध अन्य आकस्मिक व्यय शामिल होते हैं। किसी परिसंपत्ति के उपयोग के पश्चात उसके निष्क्रियकरण से संबंधित अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को भी संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है, बशर्ते कि प्रावधान की मान्यता हेतु निर्धारित मानदंड पूर्ण होते हों।

पश्चात व्ययों को परिसंपत्ति की वहन राशि में सम्मिलित किया जाता है या उपयुक्त होने पर पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तब जब यह संभावित हो कि संबंधित मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और उस मद की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके। पृथक परिसंपत्ति के रूप में लेखांकित किसी घटक की वहन राशि को उसके प्रतिस्थापन के समय अपमान्य कर दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत एवं रखरखाव व्ययों को उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, जिसमें वे व्ययित होते हैं, लाभ एवं हानि विवरण में अभिलिखित किया जाता है।

**संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का निपटान**

परिसंपत्तियों के अपमान्यता से उत्पन्न लाभ या हानि का निर्धारण शुद्ध निपटान प्राप्तियों और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है। ऐसे लाभ या हानि को परिसंपत्ति के अपमान्य किए जाने के समय लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**(ख) अमूर्त परिसंपत्तियाँ**

पृथक रूप से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रारंभिक मान्यता पर मापन लागत पर किया जाता है, जिसमें से संचित परिशोधन तथा संचित मूल्यह्रास हानि, यदि कोई हो, घटाई जाती है। लागत में क्रय मूल्य (छूट एवं रियायतों को घटाकर), कर एवं शुल्क तथा परिसंपत्ति को उसके अभिप्रेत उपयोग हेतु कार्यशील अवस्था में लाने से संबंधित सभी प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियाँ, पूंजीकृत विकास व्यय को छोड़कर, पूंजीकृत नहीं की जातीं और उनसे संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है, जिसमें वह व्यय किया जाता है।

**Derecognition of financial assets**

A financial asset is derecognized only when:

- The Company has transferred the rights to receive cash flows from the financial asset; or
- Retains the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset, but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients.

**(f) Fair Value Measurement**

The Company measures financial instruments at fair value which is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either.

- in the principal market for the asset or liability, or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities

Level 2 Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable; and

Level 3 Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs. For assets and liabilities that are recognized in the balance sheet on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

**Other significant accounting policiesProperty plant and equipment**

The cost of property, plant and equipment comprises of purchase price (net of rebates and discounts), taxes, duties, freight and any other incidental expenses directly attributable for bringing the asset to its working condition for it's intended use. The present value of the expected cost for the decommissioning of an asset after its use is included in the cost of the respective asset if the recognition criteria for a provision are met.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for, as a separate asset is derecognized when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of Profit & Loss during the reporting period in which they are incurred.

**Disposal of property, plant and equipment**

Gains or losses arising from the de-recognition of assets are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset. Such gains or losses are recognized in the Statement of Profit and Loss at the time the asset is de-recognized.

**(b) Intangibles**

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price (net of rebates and discounts), taxes, duties and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Internally generated intangibles, excluding capitalised development cost, are not capitalised and the related expenditure is reflected in Statement of Profit and Loss in the period in which the expenditure is incurred.

**अपमान्यता**

अमूर्त परिसंपत्तियों के निपटान से उत्पन्न लाभ या हानि का मापन निवल निपटान प्राप्तियों और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है तथा परिसंपत्ति के निपटान के समय इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**(ग) कर्मचारी हितलाभ**

कर्मचारियों को प्रदत्त कर्मचारी हितलाभों के संबंध में देयताओं के लिए प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है:

**अल्पकालिक दायित्व**

- वेतन एवं मजदूरी, अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) सहित ऐसे गैर–नकद लाभों से संबंधित देयताएँ, जिनका निपटान उस अवधि के अंत के पश्चात 12 माह के भीतर पूर्णतः किए जाने की अपेक्षा होती है जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवाएँ प्रदान की हैं, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में मान्यता दी जाती हैं तथा उनका मापन उस अनुमानित राशि पर किया जाता है, जो देयताओं के निपटान के समय व्ययित होने की अपेक्षा है। इन देयताओं को स्टैंडअलोन तुलन पत्र में चालू कर्मचारी बकाया देय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- कंपनी ने प्रतिपूरित अवकाश के संबंध में ऐसी नीति अपनाई है, जो संचयी तथा गैर–संचयी दोनों प्रकार की है। संचयी प्रतिपूरित अवकाश की अपेक्षित लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर एक स्वतंत्र अंकेक्षक द्वारा प्रक्षेपित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है, जो तुलन पत्र तिथि तक संचित अप्रयुक्त अधिकारों के कारण अपेक्षित अतिरिक्त भुगतान/उपयोग की राशि पर आधारित होता है। गैर–संचयी प्रतिपूरित अवकाश पर होने वाला व्यय उस अवधि में मान्यता किया जाता है, जिसमें ऐसे अवकाश घटित होते हैं।
- अन्य अल्पकालिक हितलाभों के संबंध में व्यय की मान्यता उस अवधि के लिए देय या भुगतान की गई राशि के आधार पर की जाती है, जिसके दौरान कर्मचारी द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

**अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ दायित्व**

अवकाश नकदीकरण तथा प्रतिपूरित अवकाश से संबंधित वे देयताएँ, जिनका निपटान उस अवधि के अंत के पश्चात कंपनी के परिचालन चक्र के भीतर पूर्णतः होने की अपेक्षा नहीं है जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवाएँ प्रदान की हैं, उनका मापन प्रक्षेपित इकाई ऋण पद्ध ति का उपयोग करते हुए अपेक्षित भावी नकद बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। इन लाभों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बांडों की उस बाजार प्रतिफल दर का उपयोग करते हुए छूटित किया जाता है, जिनकी अवधि संबंधित दायित्व की अवधि के लगभग समकक्ष होती है। अनुभव समायोजनों तथा बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले पुनर्मापन को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**सेवानिवृत्ति उपरांत दायित्व**

**परिभाषित हितलाभ योजनाएँ**

कंपनी के पास कर्मचारियों के लिए परिभाषित हितलाभ योजनाएँ हैं, जिनमें ग्रेच्युटी तथा सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ शामिल हैं। ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त देयता अथवा परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के बराबर होती है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक वर्ष अंकेक्षकों द्वारा प्रक्षेपित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, संबंधित दायित्व की अवधि के लगभग समकक्ष अवधि वाले सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपलब्ध बाजार प्रतिफल दर के संदर्भ में, अनुमानित भावी नकद बहिर्वाहों को छूटित करके निर्धारित किया जाता है।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल शेष पर छूट दर लागू करके की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजनों तथा बीमांकन मान्यताओं में परिवर्तनों से उत्पन्न पुनर्मापन लाभ एवं हानियों की मान्यता उस अवधि में की जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, और इन्हें प्रत्यक्ष रूप से अन्य समग्र आय में अभिलिखित किया जाता है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में प्रतिधारित आय के अंतर्गत तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया जाता है।

योजना संशोधनों अथवा कटौती के परिणामस्वरूप परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को पूर्व सेवा लागत के रूप में तत्काल लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**परिभाषित अंशदान योजनाएँ**

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ हेतु परिभाषित अंशदान योजनाएँ हैं, जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना शामिल है, जिसका प्रशासन भविष्य निधि आयुक्त के माध्यम से किया जाता है। कंपनी द्वारा इसमें किया गया अंशदान प्रत्येक वर्ष लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में अभिलिखित किया जाता है। अंशदान का भुगतान किए जाने के पश्चात कंपनी पर कोई अतिरिक्त भुगतान दायित्व शेष नहीं रहता है। राज्य स्तरीय योजनाओं, जैसे कर्मचारी राज्य बीमा निधि तथा कर्मचारी पेंशन योजना, में कंपनी के अंशदान को भी प्रत्येक वर्ष लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

**De-recognition**

Gains or losses arising from disposal of the intangible assets are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the Statement of Profit and Loss when the assets are disposed off.

**(c) Employee Benefits**

Liabilities in respect of employee benefits to employees are provided for as follows:

**Short-term obligations**

- Liabilities for wages and salaries, leave travel concession including non-monetary benefits that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognized in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be incurred when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee dues payable in the Standalone Balance Sheet.
- The Company has adopted a policy on compensated absences which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absences is determined by actuarial valuation performed by an independent actuary at each balance sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid /availed because of the unused entitlement that has accumulated at the balance sheet date. Expense on non-accumulating compensated absences is recognized in the period in which the absences occur.
- Expense in respect of other short-term benefits is recognized based on the amount paid or payable for the period during which services are rendered by the employee.

**Other long-term employee benefit obligations**

Liabilities for leave encashment and compensated absences which are not expected to be settled wholly within the operating cycle after the end of the period in which the employees render the related service are measured at the present value of the estimated future cash outflows which is expected to be paid using the projected unit credit method. The benefits are discounted using the market yields at the end of the reporting period on Government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation. Re-measurements as a result of experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the Statement of profit or loss.

**Post-employment obligations**

**Defined benefit plans**

The Company has defined benefit plans namely gratuity and post-retirement medical benefits for employees. The liability or asset recognised in the Financial Statement of the Company in respect of gratuity plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation. This cost is included in employee benefit expense in the Statement of profit or loss.

Re-measurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the Financial Statement of the Company.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in the Statement of profit or loss as past service cost.

**Defined contribution plans**

The Company has defined contribution plans for post-employment benefit namely Employee Provident Fund Scheme administered through Provident Fund Commissioner and the Company's contribution thereto is charged to the statement of profit or loss every year. The Company has no further payment obligations once the contributions have been paid. The Company's contribution to State Plans namely Employees' State Insurance Fund and Employees' Pension Scheme are charged to the Statement of Profit and Loss every year.

**(घ) कराधान**

आयकर व्यय में चालू कर तथा आस्थगित कर का कुल योग शामिल होता है।

**चालू कर**

चालू कर वर्ष के करयोग्य लाभ पर आधारित होता है। करयोग्य लाभ, लाभ एवं हानि विवरण में प्रदर्शित 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें ऐसे आय या व्यय मद शामिल होते हैं जो अन्य वर्षों में करयोग्य या कटौती योग्य होते हैं तथा ऐसे मद भी होते हैं जो कभी करयोग्य या कटौती योग्य नहीं होते। कंपनी का चालू कर उन कर दरों के आधार पर गणना किया जाता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या सारतः अधिनियमित हो चुकी हों।

**आस्थगित कर**

आस्थगित कर की मान्यता वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि तथा करयोग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त उनके कर–आधार के बीच अस्थायी अंतरों पर की जाती है। सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं की मान्यता की जाती है। सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों तथा उपार्जित कर हानियों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता उस सीमा तक की जाती है, जहाँ यह संभावित हो कि ऐसे करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिनके विरुद्ध इन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सके। ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की मान्यता नहीं की जाती है, यदि अस्थायी अंतर किसी ऐसे लेन–देन में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता हो (व्यवसाय संयोजन को छोड़कर), जो न तो करयोग्य लाभ को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ को।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है, जहाँ यह संभावित नहीं रह जाता कि परिसंपत्ति के पूर्ण या आंशिक वसूली हेतु पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों का मापन उन कर दरों पर किया जाता है, जिनके उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा होती है, जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति का साकार होना अपेक्षित है। यह मापन उन कर दरों (तथा कर कानूनों) पर आधारित होता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या सारतः अधिनियमित हो चुके हों।

आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को परिलक्षित करता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी द्व ारा अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षित विधि से उत्पन्न होंगे।

चालू कर तथा आस्थगित कर की मान्यता लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है, सिवाय उन मदों के जो अन्य समग्र आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होते हैं; ऐसे मामलों में संबंधित आयकर को भी क्रमशः अन्य समग्र आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

**(ङ) विदेशी मुद्रा लेन–देन एवं रूपांतरण**

विदेशी मुद्रा में किए गए लेन–देन को क्रियात्मक मुद्रा में उस तिथि की विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है, जो क्रियात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच लेन–देन की तिथि पर प्रचलित होती है। तुलन पत्र तिथि पर बकाया विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए क्रियात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में अभिहित गैर–मौद्रिक मद, जिन्हें ऐतिहासिक लागत पर वहन किया जाता है, उन्हें लेन–देन की तिथि की विनिमय दर पर ही प्रदर्शित किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान पर अथवा प्रतिवेदन तिथि पर पुनर्मूल्यांकन के कारण उत्पन्न विनिमय अंतरों को, जो प्रारंभिक अभिलेखन की दरों से भिन्न दरों पर होते हैं, उस वर्ष के स्वतंत्र लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

**(च) प्रति शेयर अर्जन**

**प्रति शेयर मूल अर्जन**

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कंपनी के स्वामियों को संबद्ध लाभ को वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचलित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

**प्रति शेयर तनुकृते अर्जन**

प्रति शेयर तनुकृते अर्जन, जहाँ लागू हो, संभावित अपकर्षित इक्विटी शेयरों से संबंधित ब्याज एवं अन्य वित्तपोषण लागतों के आयकर–पश्चात प्रभाव को सम्मिलित करते हुए तथा यह मानते हुए कि सभी तनुकृते संभावित इक्विटी शेयर परिवर्तित हो गए होते, उस स्थिति में प्रचलित अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को ध्यान में रखकर मूल प्रति शेयर आय के निर्धारण में प्रयुक्त आँकड़ों में समायोजन करती है।

**(छ) नकद एवं नकद समतुल्य**

नकद में हस्तगत नकद तथा बैंकों में मांग जमा शामिल होते हैं। नकद समतुल्य वे अल्पकालिक शेषराशियाँ (अधिग्रहण की तिथि से तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली) होती हैं, जो अत्यधिक तरल निवेश हैं, जिन्हें ज्ञात राशि के नकद में शीघ्रता से परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

नकद प्रवाह विवरण में नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में उपलब्ध नकद, चेक तथा बैंक शेषराशियाँ शामिल होती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं के अंतर्गत उधार में दर्शाया जाता है तथा नकद प्रवाह विवरण में वित्तपोषण गतिविधियों का भाग माना जाता है। बुक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में अन्य वित्तीय देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जाता है तथा नकद प्रवाह विवरण में परिचालन गतिविधियों का भाग माना जाता है।

**(d) Taxation**

Income tax expense represents the sum of the Current Tax and Deferred Tax.

**Current tax**

Current Tax is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from 'profit before tax' as reported in the Statement of Profit and Loss because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible. The Company's current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

**Deferred tax**

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profits. Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences and incurred tax losses to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilised. Such deferred tax assets and liabilities are not recognised if the temporary difference arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Current and deferred tax are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the income taxes are also recognised in other comprehensive income or directly in equity respectively.

**(e) Foreign currencies transactions and translations**

Foreign currency transactions are recorded in the functional currency, by applying the exchange rate between the functional currency and the foreign currency at the date of the transaction. Foreign currency monetary items outstanding at the balance sheet date are converted to functional currency using the closing rate. Non-monetary items denominated in a foreign currency which are carried at historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transactions.

Exchange differences arising on monetary items on settlement, or restatement as at reporting date, at rates different from those at which they were initially recorded, are recognized in the Standalone Statement of Profit and Loss in the year in which they arise.

**(f) Earning Per Share**

**Basic earnings per share**

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to owners of the company by the weighted average number of equity shares outstanding during the financial year.

**Diluted earnings per share**

Diluted earnings per share adjusts the figures used in the determination of basic earnings per share to take into account the after-income tax effect of interest and other financing costs associated with dilutive potential equity shares, wherever applicable, and the weighted average number of additional equity shares that would have been outstanding assuming the conversion of all dilutive potential equity shares.

**(g) Cash and Cash equivalents**

Cash comprises cash in hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

In the cash flow statement, cash and cash equivalents includes cash in hand, cheques and balances with bank. Bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities in the balance sheet and forms part of financing activities in the cash flow statement. Book overdraft is shown within other financial liabilities in the balance sheet and forms part of operating activities in the cash flow statement.

**(ज) प्रावधान, संभावित देयताएँ एवं संभावित परिसंपत्तियाँ**

प्रावधान की मान्यता तब की जाती है, जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर वर्तमान वैधानिक अथवा संरचनात्मक दायित्व उत्पन्न हो, कंपनी से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो तथा राशि का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सके।

बहिर्वाह का समय या राशि अनिश्चित हो सकती है। प्रावधानों का मापन वर्तमान दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित अनुमानित व्यय के आधार पर किया जाता है, जो प्रतिवेदन तिथि पर उपलब्ध सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष्यों तथा वर्तमान दायित्व से संबंधित जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। जहाँ धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण हो, वहाँ प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूटित किया जाता है।

संभावित देयता का प्रकटीकरण निम्न स्थितियों में किया जाता है:

- ऐसे संभावित दायित्व, जिनकी पुष्टि केवल भविष्य की घटनाओं से होगी, जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं; अथवा
- पूर्व घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जिनके निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना नहीं है, या जिनकी राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव नहीं है।

ऐसी स्थितियों में, जहाँ वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना अत्यंत कम या दूरस्थ मानी जाती है, कोई देयता न तो मान्यता प्राप्त की जाती है और न ही उसका प्रकटीकरण किया जाता है।

किसी दायित्व के संबंध में कंपनी द्वारा किसी तृतीय पक्ष (जैसे बीमा) से प्राप्त होने वाली प्रतिपूर्ति, जिसकी वसूली के प्रति कंपनी लगभग सुनिश्चित हो, उसे पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। तथापि, ऐसी परिसंपत्ति की राशि संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती।

आकस्मिक परिसंपत्तियों की मान्यता नहीं की जाती है। हालांकि, जब आर्थिक लाभों के प्रवाह की संभावना होती है, तब संबंधित परिसंपत्ति का प्रकटीकरण किया जाता है।

**(झ) लेखा नीतियों के अनुप्रयोग में प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण निर्णय एवं अनुमान संबंधी अनिश्चितताएँ**

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान एवं मान्यताएँ करने की आवश्यकता होती है, जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों एवं देयताओं की अभिलिखित राशियों, उनसे संबंधित प्रकटीकरणों तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं:

- **परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास संकेतकों का मूल्यांकन**

  परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के संकेतकों की प्रासंगिकता के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन को अनेक बाह्य एवं आंतरिक कारकों का आकलन करना पड़ता है, जो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में कमी का कारण बन सकते हैं।

- **प्रावधान**

  प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, प्रबंधन के निर्णय, तथ्यों में हुए परिवर्तनों तथा विधिक पहलुओं के आधार पर, कंपनी बकाया आकस्मिक देयताओं के विरुद्ध प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करती है। तथापि, वास्तविक भविष्य परिणाम इस निर्णय से भिन्न हो सकते हैं।

- **अवमूल्यन दरें/विधि**

  प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर अवमूल्यन दरों एवं विधि की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएँ तकनीकी तथा आर्थिक अप्रचलन से संबंधित होती हैं, जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को प्रभावित कर सकती हैं।

  यहाँ संलग्न समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सेहगल मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण सं.: 003330N

हस्ता/–
**सीए विनय कुमार सहगल**
(साझेदार)
सदस्यता सं.: 080517

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.07.2025

**कृते निदेशक मंडल की ओर से**
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता/–
**अश्वनी कुमार अग्रवाल**
(निदेशक एवं सीईओ)
सदस्यता सं.: 08828758

हस्ता/–
**पलाश श्रीवास्तव**
(अध्यक्ष एवं निदेशक)
डीआईएनः 02007911

**(h) Provisions, Contingent liabilities & Contingent Assets.**

Provisions are recognized when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of economic resources will be required from the Company and amounts can be estimated reliably.

Timing or amount of the outflow may still be uncertain. Provisions are measured at the estimated expenditure required to settle the present obligation, based on the most reliable evidence available at the reporting date, including the risks and uncertainties associated with the present obligation. Provisions are discounted to their present values, where the time value of money is material.

A contingent liability is disclosed for:

- Possible obligations which will be confirmed only by future events not wholly within the control of the Company or
- Present obligations arising from past events where it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

In those cases, where the outflow of economic resources as a result of present obligations is considered improbable or remote, no liability is recognized or disclosure is made.

Any reimbursement that the Company can be virtually certain to collect from a third party concerning the obligation (such as from insurance) is recognized as a separate asset. However, this asset may not exceed the amount of the related provision.

**Contingent assets** are not recognized. However, when the inflow of economic benefits is probable, the related asset is disclosed.

**(i) Significant management judgement in applying accounting policies and estimation uncertainty**

The preparation of the Company's financial statements requires the management to make judgement, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities:

- **Evaluation of indicators for impairment of assets**

  The evaluation of applicability of indicators of impairment of assets requires, the management to make an assessment of several external and internal factors which could result in deterioration of recoverable amount of the assets.

- **Provisions**

  At each balance sheet date basis the management judgment, changes in facts and legal aspects, the Company assesses the requirement of provisions against the outstanding contingent liabilities. However, the actual future outcome may be different from this judgement.

- **Depreciation rates / Method**

  Management reviews its depreciation rates / method at each reporting date, based on the expected utility of the assets. Uncertainties in these estimates relate to technical and economic obsolescence that may change the utility of assets.

As per our report of even date annexed

For **Sehgal Mehta & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 003330N

Sd/-
**CA Vinay Kumar Sehgal**
(Partner)
Membership No.: 080517

Place: New Delhi
Date: 25.07.2025

**For and on behalf of the Board of Directors**
IIFCL Projects Limited

Sd/-
**Ashwani Kumar Agarwal**
(Director & CEO)
DIN: 08828758

Sd/-
**Palash Srivastava**
(Chairman & Director)
DIN: 02007911

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर, भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली–110 002

सत्यमेव जयते

**OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002**

संख्या: एएमजी-II/3(4)/वार्षिक लेखा/
IPL (2024-25)/2025-26/206-207
दिनांक: 22 AUG 2025

सेवा में

अध्यक्ष एवं निदेशक,
आई आई एफ़ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड,
पांचवा तल, प्लेट- ए, एन बी सी सी टावर,
ब्लाक- 2, ईस्ट किदवई नगर,
नई दिल्ली-**110 023**

विषय: कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **143(6) (b)** के अंतर्गत **31** मार्च **2025** को समाप्त वर्ष के लिए आई आई एफ़ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आई आई एफ़ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीय,

पवन
22/8/25
(डॉ पवन कुमार कोंडा)
ओ एस डी
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdalca@cag.gov.in

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF IIFCL PROJECTS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025**

The preparation of financial statements of IIFCL Projects Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28 May 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of IIFCL Projects Limited for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) of the Act.

**For and on behalf of the**
**Comptroller & Auditor General of India**

22/8/25

**(Dr. Pawan Kumar Konda)**
**O S D**
**(Industry & Corporate Affairs)**
**New Delhi**

**Place: New Delhi**
**Date:** 22 AUG 2025

# नोट्स

आई पी एल
I P L

# आई आई एफ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

आई.आई.एफ.सी.एल. (भारत सरकार का एक उपक्रम) के पूर्ण स्वामित्व वाली संबद्ध कंपनी)

# IIFCL PROJECTS LIMITED

(A Wholly Owned Subsidiary of IIFCL, A Government of India Enterprise)

**पंजीकृत कार्यालयः** 5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

Regd. Office : 5th Floor, Block 2, Plate A & B, NBCC Tower, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

फोन / Phone : +91-11- 24655731

ई–मेल / E-mail : contact@iifclprojects.com, वेबसाइट / Website: www.iifclprojects.com